राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 116वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 116वीं बैठक दिनांक 28/09/2021 को 12:30 बजे श्री भोगी लाल सरन, अध्यक्ष, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे:–

1. डॉ. समीर बाजपेयी, सदस्य, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
2. श्री सुब्रत साहू, सदस्य सचिव, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1 **22/09/2021 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 115वीं बैठक दिनांक 22/09/2021 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2 **राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़ की 387वीं, 388वीं, 389वीं एवं 390वीं बैठक क्रमशः दिनांक 06/09/2021, 07/09/2021, 13/09/2021 एवं 14/09/2021 की अनुशंसा के आधार पर गौण/मुख्य खनिजों, औद्योगिक परियोजनाओं एवं कन्सट्रक्शन परियोजना संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।**

1. मेसर्स मानपुर डोलोमाईट स्टोन (लो ग्रेड) क्वारी माईन (प्रो.– श्री भास्कर कुमार सिंह), ग्राम–मानपुर, तहसील–कवर्धा, जिला–कबीरधाम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1758)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 223686/2021, दिनांक 08/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मानपुर, तहसील–कवर्धा, जिला–कबीरधाम स्थित खसरा क्रमांक 79, 129/11 एवं 129/30, कुल क्षेत्रफल–2.409 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 53,802.78 टन (20,693.38 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 31/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 387वीं बैठक दिनांक 06/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भास्कर कुमार सिंह, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सेमो का दिनांक 05/10/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हारोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रशा.), जिला–बिलासपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1256/2/खनि/डोलोमाईट/उ.यो./2021 बिलासपुर, दिनांक 19/07/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 823/ख.लि./खनिज/उ.प./2021 कबीरधाम, दिनांक 03/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 4.944 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 822/ख.लि./खनिज/उ.प./2021 कबीरधाम, दिनांक 03/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 44/ख.लि./खनिज/उ.प./20–21 कबीरधाम, दिनांक 07/01/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 79 श्री शिवकुमार एवं खसरा क्रमांक 129/11 एवं 129/30 आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमंडल, कवर्धा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./13838 कवर्धा, दिनांक 26/10/2017 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से 24 कि.मी. की दूरी पर है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सेमो 0.32 कि.मी., स्कूल ग्राम–मानपुर 0.75 कि.मी. एवं अस्पताल कवर्धा 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7.6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10.25 कि.मी. दूर है। मचकुंडाना नदी 0.5 कि.मी. एवं तालाब 0.4 कि.मी. दूर है।
11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 10,96,095 टन (4,21,575 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व लगभग 5,38,684 टन (2,07,186 घनमीटर) एवं रिकव्हरेबल 5,11,750 टन (1,96,827 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,217 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 8,936 घनमीटर है, जिसमें से 5,600 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा एवं शेष 3,336 घनमीटर मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं के भूमि में संरक्षित कर रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	49,400
द्वितीय	51,252
तृतीय	53,802
चतुर्थ	51,129
पंचम	51,270

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्टम	51,129
सप्तम	51,307
अष्टम	51,092
नवम	50,640
दशम	50,729

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.51 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,244 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

(ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 823/ख. लि./खनिज/उ.प./2021 कबीरधाम, दिनांक 03/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 4.944 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मानपुर) का रकबा 2.409 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मानपुर) को मिलाकर कुल रकबा 7.353 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

   iii. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.

   iv. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

   v. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

   vi. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

   vii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से

समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

2. मेसर्स सलका आर्डिनरी स्टोन माईन (प्रो.– श्रीमती ममता चौबे), ग्राम–सलका, तहसील–खड़गवां, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1759)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 223746/2021, दिनांक 08/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सलका, तहसील–खड़गवां, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 248, कुल क्षेत्रफल–0.71 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 2,993.5 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 31/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 387वीं बैठक दिनांक 06/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती ममता चौबे, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 248, कुल क्षेत्रफल – 0.71 हेक्टेयर, क्षमता – 2,993.52 टन (1,108.71 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति 5 वर्ष की अवधि हेतु जारी की गई।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1207/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 18/08/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वित्तीय वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2016–17	29
2017–18	945
2018–19	1,105
2019–20	1,104
2020–21	950

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सलका का दिनांक 23/05/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वहारोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1019/खनिज/खलि.2/2016 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 26/08/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 916/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 18/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 2.08 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 915/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 18/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। नाला 140 मीटर दूर है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्रीमती ममता चौबे के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षो अर्थात् दिनांक 17/10/2012 से 16/10/2017 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड लीज डीड 25 वर्षो अर्थात् दिनांक 17/10/2017 से 16/10/2042 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 248 श्री नरेन्द्रनाथ उपाध्याय के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमंडल, बैकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2552, दिनांक 15/12/2006 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सलका 0.4 कि.मी., स्कूल ग्राम–सलका 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल मनेन्द्रगढ़ 21.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 22.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10.1 कि.मी. दूर है। हसदेव नदी 3 कि.मी., तालाब 0.31 कि.मी. एवं नाला 0.14 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 90,383 टन (33,475 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व लगभग 31,009 टन (11,485 घनमीटर) एवं रिकव्हरेबल 27,908 टन (10,336 घनमीटर) है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 82,944 टन एवं

रिकव्हरेबल 21,213 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,585.76 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,562.99 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2022	2,993
2023	2,993
2024	2,994
2025	2,994
2026	2,993

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** — परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** — लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी का क्षेत्रफल 3,585 वर्गमीटर एवं परिधि 478 मीटर है। अतः इस क्षेत्र में 717 नग पौधें 3 पंक्तियों में रोपित किये जाएगें। वर्तमान में 200 नग वृक्षारोपण किया गया है। शेष 517 नग पौधे 3 माह के भीतर रोपित किये जायेगें।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** — लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** — परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
13.66	2%	0.28	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village-Salka**	
			Rain Water Harvesting System	0.45
			Plantation	0.05
			Total	**0.50**

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 916/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 18/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 2.08 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–सलका) का रकबा 0.71 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–सलका) को मिलाकर कुल रकबा 2.79 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स सलका आर्डिनरी स्टोन माईन (प्रो.– श्रीमती ममता चौबे) की ग्राम–सलका, तहसील–खडगवां, जिला–कोरिया के खसरा क्रमांक 248 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.71 हेक्टेयर, क्षमता – 2,993 टन (1,108 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स सलका आर्डिनरी स्टोन माईन (प्रो.– श्रीमती ममता चौबे) की ग्राम–सलका, तहसील–खडगवां, जिला–कोरिया के खसरा क्रमांक 248 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.71 हेक्टेयर, क्षमता – 2,993 टन (1,108 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

3. मेसर्स वंदना इंटरप्राईजेस (प्रो.– श्री सुनील कुमार अग्रवाल, बेलसरा डोलोमाईट स्टोन माईन), ग्राम–बेलसरा, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1760)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 64481/2021, दिनांक 09/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बेलसरा, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 216/1,

219/2, 216/4, 219/3, 216/2, 216/3, 218/1, 218/2, 219/1 एवं 220, कुल क्षेत्रफल–1.918 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 13,323.75 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 31/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 387वीं बैठक दिनांक 06/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुनील कुमार अग्रवाल, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बेलसरा का दिनांक 29/03/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हारोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रशा.), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 777/खनि/डोलोमाईट उ.यो./2021 बिलासपुर, दिनांक 27/05/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 777/डोलोमाईट/प्रमाण पत्र/2021 बिलासपुर, दिनांक 27/05/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 10.523 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 777/डोलोमाईट/प्रमाण पत्र/2021 बिलासपुर, दिनांक 27/05/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2321/गौण खनिज/न.क्र. 11/2020–21 बिलासपुर, दिनांक 02/02/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 216/1, 219/2, 216/4, 219/3 श्री सुखीराम एवं खसरा क्रमांक 216/2, 216/3, 218/1, 218/2, 219/1 एवं 220 श्री जागेश्वर ध्रुव के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी, तखतपुर के ज्ञापन क्रमांक/351, दिनांक 31/05/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बेलसरा 0.7 कि.मी., स्कूल ग्राम–बेलसरा 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–बेलसरा 1.1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 34.35 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 14.7 कि.मी. दूर है। मनियारी नदी 3 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,91,800 टन (76,720 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व लगभग 1,35,087 टन (54,035 घनमीटर) एवं रिकव्हरेबल 1,28,333 टन (51,333 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौडी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,445 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल मात्रा 29,470 घनमीटर है, जिसमें से 4,000 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा एवं शेष 26,943.5 घनमीटर मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं के भूमि में संरक्षित कर रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	12,516
द्वितीय	12,706
तृतीय	12,801
चतुर्थ	12,611
पंचम	12,825

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्टम	13,003
सप्तम	13,181
अष्टम	13,323
नवम	12,469
दशम	12,896

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 777/डोलोमाईट/प्रमाण पत्र/2021 बिलासपुर, दिनांक 27/05/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 10.523 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बेलसरा) का रकबा 1.918 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बेलसरा) को मिलाकर कुल रकबा 12.441 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

    i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

    ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

    iii. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.

    iv. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for usage of water.

v. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

vi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

vii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

viii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

4. मेसर्स मिरौद सेण्ड माईन (प्रो.– सुश्री सुमन बंजारे), ग्राम–मिरौद, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1761)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 66541/2021, दिनांक 11/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–मिरौद, तहसील–चारामा जिला–उत्तर बस्तर कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 111, कुल क्षेत्रफल – 9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 02/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 387वीं बैठक दिनांक 06/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आशीष शुक्ला, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मिरौद का दिनांक 28/09/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ इन्व्हारोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 59/खनिज/उत्ख.यो.अनु./रेत/2021–22 कांकेर, दिनांक 13/05/2021 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 60(इ)/ खनिज/रेत(मूल) /2021–22 कांकेर, दिनांक 13/05/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 60(बी)/खनिज/रेत(मूल)/2021–22 कांकेर, दिनांक 13/05/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बांध, अस्पताल, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. सुश्री सुमन बंजारे के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उ.ब. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1237 खनिज/रेत (रिवर्स ऑक्शन)/2020–21 कांकेर, दिनांक 02/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–भिरौद 2 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–भिरौद 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. राज्यमार्ग 15 कि.मी. दूर है। पुल खदान से 0.6 कि.मी. की दूरी पर डाउनस्ट्रीम में स्थित है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट स्थित नहीं है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 390 मीटर, न्यूनतम 252 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 892 मीटर, न्यूनतम 806 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 150 मीटर, न्यूनतम 89 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के दाये किनारे से दूरी अधिकतम 48 मीटर, न्यूनतम 40 मीटर एवं बायें किनारे से दूरी अधिकतम 200 मीटर, न्यूनतम 120 मीटर है।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है।

अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,80,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 9 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 4.01 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 04/06/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। समिति का मत है कि मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज फाईनल ई. आई.ए. रिपार्ट में शामिल किया जाए।

15. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.34 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 60(इ)/ खनिज/रेत(मूल) /2021–22 कांकेर, दिनांक 13/05/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–भिरौद) का रकबा 9 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए.

/ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iii. Project Proponent shall submit the post monsoon RL survey report (same grid points mentioned in pre-monsoon report) of the proposed mine and 100 meters outside the mine in upstream and downstream. The RL report shall be certified from the mining department.

iv. Post monsoon measurement of depth of sand in the mine area at 9 places all over the mine.

v. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for usage of water.

vi. Project Proponent shall submit the details of transportation route along with approach road.

vii. Project Proponent shall submit the copy of LOI extension.

viii. Project proponent shall submit the NOC from forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit plantation details all along the river bank and submit photographs in the EIA report.

xii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया:–

"Project proponent shall follow the guidelines of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi regarding "Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016" and "Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020" and EIA study report shall be prepared incorporating the guidelines mentioned above alongwith separate compliance statement of these guidelines."

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

5. **मेसर्स श्री बालाजी ब्रिक्स उद्योग (प्रो.– श्री घनश्याम चन्द्रा, चोरभट्ठी ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट), ग्राम–चोरभट्ठी, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1762)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 224423/2021, दिनांक 12/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–चोरभट्ठी, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 43, 44, 45, 97 एवं 116, कुल क्षेत्रफल–1.153 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 31/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 387वीं बैठक दिनांक 06/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री चन्द्रहास साहू, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत चोरभट्ठी का दिनांक 17/02/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 4042/खनि/उ.यो.अ./2017 कोरबा, दिनांक 06/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 1021/गौण खनिज/न.क्र./2021–22 जांजगीर, दिनांक 10/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 1020/गौण खनिज/न.क्र./2021–22 जांजगीर, दिनांक 10/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। सोन नदी 138 मीटर दूर है।
6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि एवं एल.ओ.आई. आवेदक के नाम पर है, जिसमें कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 770/गौण खनिज/न.क्र./2021–22 जांजगीर, दिनांक 14/07/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर–चांपा वनमण्डल, चांपा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2985 चांपा, दिनांक 03/04/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से 13.7 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–चोरभट्ठी 0.9 कि.मी., स्कूल ग्राम–चोरभट्ठी 1 कि.मी. एवं अस्पताल जैजैपुर 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 22 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। सोन नदी 0.138 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 23,060 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 17,212 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 664 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.15 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भठ्ठा स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जायेगा। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जायेगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
प्रथम	500	5,00,000
द्वितीय	500	5,00,000
तृतीय	500	5,00,000
चतुर्थ	500	5,00,000
पंचम	500	5,00,000

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
षष्टम	500	5,00,000
सप्तम	500	5,00,000
अष्ठम	500	5,00,000
नवम	500	5,00,000
दशम	500	5,00,000

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.52 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 335 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में साईट सर्विस हेतु 100 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाएगा। इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयला से लगभग 5 से 8 प्रतिशत ऐश जनित होगा, जिसका उपयोग ईंट निर्माण में किया जाएगा। साथ ही रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग पहुंच मार्ग के रख–रखाव हेतु किया जाएगा।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Government Navin Primary School, Village-chorbhatti (bhatapara)	
			Rain Water Harvesting System	1.00
			Total	1.00

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 1021/गौण खनिज/न.क्र./2021–22 जांजगीर, दिनांक 10/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–चोरभट्ठी) का रकबा 1.153 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स श्री बालाजी ब्रिक्स उद्योग (प्रो– श्री घनश्याम चन्द्रा, चोरभट्ठी ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट) की ग्राम–चोरभट्ठी, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा के खसरा क्रमांक 43, 44, 45, 97 एवं 116 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.153 हेक्टेयर, क्षमता – 500 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 5,00,000) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स श्री बालाजी ब्रिक्स उद्योग (प्रो– श्री घनश्याम चन्द्रा, चोरभट्ठी ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट) की ग्राम–चोरभट्ठी, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा के खसरा क्रमांक 43, 44, 45, 97 एवं 116 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.153 हेक्टेयर, क्षमता – 500 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 5,00,000) प्रतिवर्ष हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर जिग–जेग आधारित किल्न एवं फिक्स चिमनी में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ग्रेविटी सेटलिंग चेम्बर की स्थापना की जाए। साथ ही एक लाख ईंट उत्पादन हेतु 12 टन से अधिक कोयले का उपयोग नहीं की जाए।

ii. खदान बंद होने के उपरांत खदान के चारों तरफ वृक्षारोपण के साथ–साथ वृक्षों के बीच में झाड़िया व घास लगाया जाये, जिससे मृदा अपरदन/भूमि क्षरण व सिल्टेशन को रोका जा सके।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

6. मेसर्स नुवोको विस्टास कार्पोरेशन लिमिटेड (आरसमेटा लाईम स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट), ग्राम–आरसमेटा, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1472)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 58499/2021, दिनांक 21/11/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 02/12/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 13/08/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–आरसमेटा, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 289/2 एवं अन्य 94 खसरा क्रमांक निजी भूमि तथा खसरा क्रमांक 312/2 शासकीय भूमि, कुल क्षेत्रफल–46.292 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 10,00,360 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 31/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 387वीं बैठक दिनांक 06/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रितेश कैमल डिप्टी जरनल मैनेजर एवं श्री अजय सिंह मैनेजर, तथा सलाहकार के रूप में मेसर्स एसीरिज इन्फ्रारोटेक इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, उत्तर प्रदेश की ओर से डॉ. अंजली हरीभाउ चाचाने विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत आरसमेटा का दिनांक 15/12/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें ग्राम सभा का कार्यवाही विवरण के साथ सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफिकेशन्स इन अप्रुव्हड माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक जांजगिर/चूप/ खयो/1243/ 2020–रायपुर/833, दिनांक 28/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 179/गौण खनिज/न.क्र./2021–22 जांजगीर, दिनांक 03/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान है, जिसका क्षेत्रफल 499.98 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं होने के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
6. **लीज का विवरण** – छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, महानदी भवन अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक एफ3–10/2012/XII अटल नगर, दिनांक 05/10/2018 द्वारा स्वीकृत खनिपट्टा के व्यपगत (Lapse) घोषित किये गये खदान को राज्य शासन एतद्द्वारा, एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 4ए(4) सहपठित खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 20 के उपनियम (7) के प्रावधानों के तहत् पुनर्जीवित (Revival) किये जाने हेतु आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार **"आवेदक कंपनी द्वारा खनिपट्टा अनुबंध निष्पादन के उपरांत खनन संक्रियाएं**

संचालित करने के लिए आवश्यक पर्यावरण सम्मति, **Consent to Establish** और **Consent to Operate** प्राप्त करने के लिए सतत् प्रयास किये गये, किन्तु कलेक्टर, जांजगीर–चांपा द्वारा खनन कार्य पर लगाई गई रोक और न्यायालयीन प्रकरणों के कारण आवेदक एम.एम.डी.आर. एक्ट 1957 की धारा 4ए(4) के अनुसार कंपनी खनन संक्रियाएं संचालित करने में असफल रही। खनन संक्रियाएं संचालित करने में असफल रहने के लिए जो कारण है, वे कारण आवेदक कंपनी के नियंत्रण में नहीं थे और आवेदक कंपनी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होती है। उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 19/07/2017 द्वारा आवेदक कंपनी मैसर्स न्युवोको विस्टास कार्पोरेशन लिमिटेड को जिला–जांजगीर–चांपा, ग्राम–आरसमेटा के कुल रकबा 46.292 हेक्टेयर क्षेत्र पर व्यपगत (Laps) घोषित किये गये चूना पत्थर खनिपट्टा को राज्य शासन, एतद्द्वारा, एम.एम.डी.आर. एक्ट 1957 की धारा 4ए(4) सहपठित खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 20 के उपनियम (7) के प्रावधानों के तहत् पुनर्जीवित (Revival) करता है" का उल्लेख है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–अरसमेटा 0.8 कि.मी., स्कूल ग्राम–अरसमेटा 4 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–अरसमेटा 3.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.37 कि.मी. दूर है। लीलागर नदी 0.075 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 14.15 मिलियन टन एवं माईनेबल रिजर्व लगभग 9.73 मिलियन टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2.17 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की कुल मात्रा 1,70,023 घनमीटर है, आवश्यकतानुसार ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा एवं शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बण्ड (Bund) निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 7 मीटर एवं चौड़ाई 7 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10.6 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2020–21	80,706
2021–22	10,00,360

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 157.5 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 6.5 घनमीटर प्रतिदिन, अन्य उपयोग हेतु 151 घनमीटर प्रतिदिन) होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित पिट सम्प (Pit sump) में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति आरसमेटा प्लांट से की जाएगी।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 4,340 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में पूर्ण भूमि कंपनी के नाम पर नहीं है, कुछ भूमि का एग्रीमेंट किया गया है। जो कि प्रक्रियाधीन है। समिति का मत है कि सम्पूर्ण भूमि मेसर्स नुवोको विस्टास कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरण होने अथवा सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किया जाए।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 179/गौण खनिज/न.क्र./2021–22 जांजगीर, दिनांक 03/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 499.98 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–आरसमेटा) का रकबा 46.292 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–आरसमेटा) को मिलाकर कुल रकबा 546.27 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस

अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project proponent shall submit certificate regarding important structure within 200 meter radius from the mine, from the concerned department.

v. Project proponent shall submit the details of land documents with name change documents.

vi. Project Proponent shall submit the copy of old lease deed.

vii. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for mining activities.

viii. Project proponent shall submit the NOC from forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

ix. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

xi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

xii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

xiii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. Hydrogeological investigations regarding safety of Lilagar river should be carried out & be incorporated in EIA study.

ii. Project proponent shall submit NOC from Water Resource Department, Government of Chhattisgarh for no any effect on river passing nearer to the mine area due to mining operations.

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

7. **मेसर्स पथरिया लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री मुकेश धोढ़ी), ग्राम–पथरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1665)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /63389/2021, दिनांक 19/05/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन/63389/2020, दिनांक 12/08/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – खदान 15/01/2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण यह प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी का है। यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–पथरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 363, 364, 365, 366, 368/1, 368/2, 367(पार्ट) एवं 320(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–4.12 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–27,900 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया है। साथ ही जारी टी.ओ.आर. "परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा कि यह खदान उस क्लस्टर का भाग है, जिसके लिए लोक सुनवाई पूर्व में की गई थी। उक्त आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर तदानुसार लोक सुनवाई की आवश्यकता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा" का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 16/07/2021 को लोक सुनवाई की आवश्यकता के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/529/खनि.लि.2/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 05/07/2021 का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार मेसर्स मुकेश धोढ़ी को स्वीकृत खदान भी उस क्लस्टर का भाग है जिसके लिए पर्यावणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 को आयोजित थी।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 31/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021 एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की 114वीं बैठक दिनांक 02/09/2021 में ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने के लिए जारी किये गये स्टैण्डर्ड टीओआर में, पूर्व में क्लस्टर हेतु किये गये ई.आई.ए. स्टडी को मान्य किये जाने तथा जारी टीओआर में लोक सुनवाई की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होने के संबंध में निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 387वीं बैठक दिनांक 06/09/2021:

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की 114वीं बैठक दिनांक 02/09/2021 में लिये गये निर्णय अनुरूप प्रकरण पर विचार किया गया।

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अशोक बाफना, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 395/खनि.लि. 2/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 18/06/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वित्तीय वर्ष	उत्पादन (टन)
जनवरी 2015 से मार्च 2015	निरंक
2015–16	1,300
2016–17	550
2017–18	निरंक
2018–19	
2019–20	
2020–21	

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पथरिया का दिनांक 27/08/1996 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान एलॉगविथ प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक स/दुर्ग/चूप/खयो–1242/2020–रायपुर/826, दिनांक 18/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 199/खनि.लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 25/05/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 11 खदानें, क्षेत्रफल 65.3 हेक्टेयर है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 4206/खनि.लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 22/03/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **लीज का विवरण** – लीज श्री मुकेश धोदी के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 19/05/2003 से 18/05/2033 तक की अवधि हेतु वैध है।

8. **भू–स्वामित्व** – खसरा क्रमांक 367 पार्ट एवं 370 शासकीय भूमि है तथा खसरा क्रमांक 363, 364, 365, 366, 368/1, 368/2, श्री अशोक बाफना के नाम पर है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2021/2575 दुर्ग, दिनांक 06/07/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से 6 कि.मी. की दूरी पर है।

11. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पथरिया 1.3 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–पथरिया 1.3 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–पथरिया 1.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 0.375 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 0.7 कि.मी. दूर है।

12. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

13. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 16,96,500 टन एवं माईनेबल रिजर्व लगभग 7,20,850 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 7,100 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 13,800 घनमीटर है, जिसमें से 9,580 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में 1.35 मीटर ऊंचाई तक तथा शेष 4,220 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव कर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 26 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2020–21	27,900
2021–22	27,900
2022–23	27,900

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,700 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

16. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के उत्खनित क्षेत्र का रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया गया है। उक्त रेस्टोरेशन (Restoration) का कार्य खदान प्रारंभ होने के 1 वर्ष के भीतर पूर्ण किये जाने हेतु शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भविष्य में उल्लंघन नहीं किये जाने के संबंध में शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

18. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 63 से 93 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 56.1 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 37.8 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

19. खदानों के क्लस्टर की लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 प्रातः 12:00 बजे स्थान–शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने, ग्राम–मेड़ेसरा, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 26/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।

20. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या अहिवारा से पॉवर हॉउस रोड जहाँ पर गिट्टी खदानों की बड़ी–बड़ी गाड़िया चलती है, की स्थिति ठीक नहीं है तथा सड़के अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इन मार्गों का डी.एम.एफ. से उपलब्ध राशि से संधारण करवाया जाये। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।

ii. निश्चित समय पर ब्लाटिंग होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर ब्लाटिंग होना चाहिए। जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे खदान एवं क्रशर जो चालू होगा उसमें शासन का नियम लागू होगा। उसकी सतत् निगरानी शासन द्वारा किया जाए। क्रशर को पूर्णतः कव्हर्ड होकर जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाली पानी को मुफ्त में फसलों की सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।

iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

iv. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।

v. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदानें है, जिससे पानी ठहरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्रामों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण

नहीं किया गया है। ब्लास्टिंग से बहुत आवाज आती है। अवैधानिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।

vi. गिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी–बड़ी वाहनें चलती है, उससे बहुत दुर्घटना होती है। इनके गति में रोक लागई जाए। रोड का भी संधारण किया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. डी.एम.एफ. की राशि या रॉयल्टी की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।

ii. प्रदूषण नियत्रंण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।

iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।

v. जो खदानें बंद पड़ी है, उनमें वर्षा का पानी भण्डारित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।

vi. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संचालित है। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

21. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
77	2%	1.54	Following activities at Government Middle School, **Village-Pathariya**	
			Rain Water Harvesting System	0.75
			Potable Drinking water Facility	0.24
			Running Water Facility for Toilets	0.25
			Plantation with fencing	0.115
			Total	**1.355**
			Potable Drinking water Facility	0.24

			Running Water Facility for Toilets	0.25
			Plantation with fencing	0.115
			Total	**0.605**
			Grand Total	**1.96**

22. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान–** इस क्लस्टर में शामिल पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदित 17 खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। अतः क्लस्टर में शामिल पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदित खदान द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

    I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड एवं खदानों के चारों तरफ से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए जल छिड़काव हेतु अनुमानित राशि 12,24,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

    II. 5.94 कि.मी. में (2,000 नग) सड़क मार्ग के दोनों तरफ कम से कम दो कतार में वृक्षारोपण एवं उसके रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 10,00,000/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

    III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quaterly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 1,50,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

    IV. सड़कों/ पहुँच मार्ग का संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 3,40,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

    V. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यो हेतु कुल राशि 27,14,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

23. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

    I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड एवं खदानों के चारों तरफ से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए जल छिड़काव हेतु अनुमानित राशि 72,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

    II. 0.4 कि.मी. में (500 नग) सड़क मार्ग के दोनों तरफ कम से कम दो कतार में वृक्षारोपण एवं उसके रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 2,00,000/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

    III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quaterly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 1,50,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

    IV. सड़कों/ पहुँच मार्ग का संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 25,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

V. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यो हेतु कुल राशि 4,47,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यो क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

25. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

26. **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कार्ययोजना –**

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा Environmental Compensation हेतु निम्न फार्मुला के आधार पर गणना कर क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) प्रस्तुत किया गया है:–

EC=PIxNxRxSxLF
Where,
EC - Environmental compensation in Rs.
PI - Pollution Index of Industrial Sector
N - Number of days of voilation took place
R - a Factor in Rs. For EC
S - Factor for scale of operation
LF - Location Factor

Environment Compensation = PIxNxRxLFxS

No of days(N) = (250 x Violation Production) / No. of days of Violation

= (250 x 1850) / 27,900 = 16.57 say 17

Environment Compensation = 80x17x170x0.5x0.5 = Rs. 57,800/-

II. समिति की पूर्व बैठक दिनांक 18/05/2020 को संपन्न 322वीं बैठक में Environmental Compensation के आंकलन की Methodology हेतु लिए गये निर्णय के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत रेमेडियल प्लान एवं क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) रुपये 57,800 की गणना को मान्य किया गया।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में निर्धारित राशि से अधिक 1,00,000/– रुपये का उपयोग हेतु निम्न प्रस्ताव बाबत् अनुरोध किया गया है:–

- शासकीय प्राथमिक स्कूल, अहिवारा में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है।

अथवा

- पूर्व में क्लस्टर में शामिल 16 खदानों द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु Environmental Compensation के तहत् निर्धारित राशि के कार्य एकीकृत रूप से आस–पास के क्षेत्रों में वृहद वृक्षारोपण कार्य, बायोडायवर्सिटी पार्क/ऑक्सीजोन निर्माण कार्य आदि शासन के किसी उपक्रम के माध्यम से कराये जाने पर क्षेत्र के पर्यावरणीय घटकों पर अनुकूल प्रभाव परिलक्षित होने के साथ Environmental Compensation राशि का समुचित उपयोग किये जाने के लिए निर्धारित राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को जमा कराया गया था। पूर्व में क्लस्टर में शामिल 16 खदानों द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु Environmental Compensation के तहत् जमा किये गये राशि के साथ आवेदित खदान द्वारा उल्लंघन हेतु Environmental Compensation के तहत् निर्धारित राशि 1,00,000/– रूपये को भी समायोजित किया जाए।

IV. समिति द्वारा आवेदित खदान द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु Environmental Compensation के तहत् निर्धारित राशि 1,00,000/– रूपये को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में जमा करने के अनुरोध को मान्य किया गया। साथ ही समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में 16 खदानों द्वारा जमा राशि एवं आवेदित खदान द्वारा प्रस्तावित राशि 1,00,000/– रूपये हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन संवर्धन कार्यों के तहत् एकीकृत रूप से आस–पास के क्षेत्रों में उपलब्ध शासकीय भूमि में वृहद वृक्षारोपण कार्य, बायोडायवर्सिटी पार्क/ऑक्सीजोन निर्माण आदि के लिए प्रस्ताव मंगाये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. समिति का यह निष्कर्ष है कि क्लस्टर हेतु बनाये गये कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, मॉनिटरिंग प्लान तथा विचाराधीन खदान के लिए प्रस्तावित इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु निर्धारित कार्यों को सुनिश्चित करने पर, खदान को उपयुक्त पर्यावरण के सुरक्षात्मक उपायों को लागू कर, पर्यावरणीय मानकों का पालन करते हुये धारणीय (Sustainably) रूप से चलाया जा सकता है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 199/खनि.लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 25/05/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 11 खदानें, क्षेत्रफल 65.3 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–पथरिया) का रकबा 4.12 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–पथरिया) को मिलाकर कुल रकबा 69.42 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.

जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

4. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के कार्यों को करने संबंधी अनुरोध पर विस्तार से चर्चा की गई। परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में निर्धारित राशि रूपये 1,00,000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में जमा किया जाकर सूचना दी जाए। इस मद में सभी उल्लंघन के प्रकरणों में निर्धारित राशि प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक से प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन संवर्धन कार्यों के तहत् एकीकृत रूप से आस–पास के क्षेत्रों में उपलब्ध शासकीय भूमि में वृहद वृक्षारोपण कार्य, बायोडावर्सिटी पार्क/ऑक्सीजोन निर्माण आदि बाबत् प्रस्ताव मंगाया जाकर आगामी कार्यवाही की जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स पथरिया लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री मुकेश धोढ़ी) की ग्राम–पथरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 363, 364, 365, 366, 368/1, 368/2, 367(पार्ट) एवं 320(पार्ट) में स्थित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–4.12 हेक्टेयर, क्षमता – 27,900 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में जमा करने की पुष्टि उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी की जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में निर्धारित राशि रूपये 1,00,000/– छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी पुष्टि सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन दिनांक 27/09/2021 के माध्यम से की गई है। तदानुसार आवेदक – मेसर्स पथरिया लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री मुकेश धोढ़ी) की ग्राम–पथरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 363, 364, 365, 366, 368/1, 368/2, 367(पार्ट) एवं 320(पार्ट) में स्थित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–4.12 हेक्टेयर, क्षमता – 27,900 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

ii. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के मद से सभी उल्लंघन के प्रकरणों में निर्धारित राशि प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक से

प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन संवर्धन कार्यों के तहत् एकीकृत रूप से आस–पास के क्षेत्रों में उपलब्ध शासकीय भूमि में वृहद वृक्षारोपण कार्य, बायोडावर्सिटी पार्क/ऑक्सीजोन निर्माण आदि बाबत् प्रस्ताव मंगाया जाकर आगामी कार्यवाही की जाए।

iii. क्लस्टर में शामिल कुछ खदानों को पूर्व से ही पर्यावणीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उनके द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु रूचि नहीं ली जा रहीं है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि क्लस्टर में आने वाले अन्य खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष खदानों को भी शामिल करते हुये क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से 03 माह के भीतर उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया जाए एवं कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान अनुसार शेष खदानों द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने पर पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही करने के संबंध में भी अवगत कराया जाए।

संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को उपरोक्तानुसार सूचना एवं परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

8. मेसर्स ईश्वर इस्पात इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–6), उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1638)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 62680/2021, दिनांक 14/04/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /आईएनडी/66559/2021, दिनांक 12/08/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लाट नं. 662, 679, 696, 697, 712 एवं 713 में स्टील इंगॉट्स/बिलेट्स थ्रू इण्डक्शन फर्नेश (2 x 10 टन प्रतिघंटा) क्षमता – 60,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपए 35 करोड़ होगी।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 में संशोधन अधिसूचना दिनांक 18/03/2021 का निम्न प्रावधान है – "(x) Notwithstanding anything contained above, the projects where construction and commissioning of proposed activities have not been completed within the validity period of the Environmental Clearance (EC) and a fresh application for EC has been submitted due to expiry of the said period of the EC, the concerned Expert Appraisal Committee or State Level Expert Committee, as the case may be, may exempt the requirement of public hearing subject to the condition that the project has been implemented not less than fifty percentage in its physical form or construction."

उपरोक्त प्रावधान के आधार पर एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा के तहत् प्रकरण "बी–1" केटेगरी का होने के कारण भारत

सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु टीओआर जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 02/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 387वीं बैठक दिनांक 06/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विपुल पटेल, मैनेजर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स ए.एम.पी. आई. इन्वायरो प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री विपिन कुमार विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का विवरण –**

- एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/10/2009 द्वारा मेसर्स जी. पी. इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–2), प्लॉट क्रमांक 662, 679, 697, 712 एवं 713, उरला औद्योगिक क्षेत्र, तहसील व जिला–रायपुर इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 60,000 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल (1 x 350 टीपीडी) क्षमता – 1,05,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। ई.आई.ए. अधिसूचना (यथा संशोधित), 2006 के प्रावधानों के अनुसार उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 22/10/2016 तक थी।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 60,000 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल (1x350 टीपीडी) क्षमता – 1,05,000 टन प्रतिवर्ष के लिए जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में से रोलिंग मिल (1x350 टीपीडी) क्षमता – 1,05,000 टन प्रतिवर्ष के संचालन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर से जल एवं वायु सम्मति प्राप्त की गई है। जिसकी नवीनीकरण वैधता दिनांक 31/07/2022 तक है। इण्डक्शन फर्नेस की स्थापना का कार्य शेष है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जल एवं वायु स्थापना सम्मति की वैधता समाप्त होने के पश्चात् इण्डक्शन फर्नेस क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया गया है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के ज्ञापन क्रमांक 6583/तक/मु./छ.ग.प.सं.मं./2018 अटल नगर, दिनांक 12/12/2018 द्वारा मेसर्स जी.पी. इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–2) को मेसर्स ईश्वर टी.एम.टी प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–6) के नाम पर हस्तांतरित (Transfer) किया गया।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लाट नं. 662, 679, 696, 697, 712 एवं 713 में स्टील

इंगॉट्स/बिलेट्स थ्रू इण्डक्शन फर्नेश (2 x 10 टन प्रतिघंटा) क्षमता – 60,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी ग्राम–बीरगांव 0.5 कि.मी. एवं शहर रायपुर 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन उरकुरा 3.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.0 कि.मी. दूर है। खारून नदी 4.5 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, घोषित पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Area(in SQM)	Area (%)
1	Induction Furnace	1,300	7.46
2	Rolling Mill Area	1,900	10.89
3	Finished Good Area	2,080	11.93
4	Raw Material Area	1,200	6.88
5	Parking Area	700	4.01
6	Road Area	3,280	18.81
7	Greenbelt	6,980	40.02
	Total	**17,440**	**100**

4. **रॉ–मटेरियल –**

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode
		For Billets		
1.	Sponge Iron	49,500	Local Market	By Road (through covered trucks)
2.	Scrap	18,950		
3.	Alloys	600		
		For Rolling Mill		
1.	Billets	60,000	In House	-
2.		55,000	Open Market	By Road (through covered trucks)
3.	Coal	5,500	Open Market	
4.	Lime	40		

5. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

S. No.	Activities for which EC previously granted	Activities which has been Implemented	Activities for which presently EC applied	Activities After Expansion
1.	Induction Furnace – 60,000 TPA	-	Induction Furnace - 60,000 TPA	Induction Furnace - 60,000 TPA

2.	Rolling Mill - 1,05,000 TPA	Rolling Mill - 1,05,000 TPA	-	Rolling Mill - 1,05,000 TPA

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – प्रस्तावित परियोजना के अतंर्गत इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से टी.एम.टी. बार्स का उत्पादन किया जाता है। प्रस्तावित परियोजना हेतु रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से टी.एम.टी. बार्स एवं रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जाएगा। रि–हिटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में स्क्रबर स्थापित है। प्रस्तावित परियोजना हेतु रि–हिटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में बेग फिल्टर लगाया जाना प्रस्तावित है, जिससे पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में रि–हीटिंग फर्नेस रोलिंग मिल से एस.ओ.$_2$ के उत्सर्जन की मात्रा 24,000 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होता है। प्रस्तावित परियोजना हेतु रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से एस.ओ.$_2$ की उत्सर्जन की मात्रा में कमी लाने हेतु स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित की जाएगी। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी। वर्तमान में कोल गैसीफायर हेतु कोयले की मात्रा 5,500 टन प्रतिवर्ष की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित परियोजना में कोयले की मात्रा परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित की जाएगी, जिसमें लाईम की मात्रा 40 टन प्रतिवर्ष का उपयोग किया जाएगा।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वर्तमान में स्थापित रोलिंग मिल से मिल स्केल – 3,900 टन प्रतिवर्ष एवं इण्ड कटिंग – 6,600 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। प्रस्तावित परियोजना हेतु इण्डक्शन फर्नेस इकाई से स्लेग – 6,000 टन प्रतिवर्ष, फिल्टर बेग डस्ट – 700 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। स्लेग को स्लेग क्रशिंग इकाईयों / ईंट निर्माण इकाई को उपलब्ध कराया जाएगा। मिल स्केल, इण्ड कटिंग एवं फिल्टर बेग डस्ट को स्वयं के इण्डक्शन फर्नेस में पुनःउपयोग किया जाएगा।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 10 घनमीटर जल प्रतिदिन उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 30 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 22 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति सी.एस.आई.डी.सी. के माध्यम से की जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी. (न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) स्थापित है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार

हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 4 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रति''त दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 9,408 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 7 नग रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पिट्स निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

9. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 1,150 के.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु 15,000 के.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी।

10. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.698 हेक्टेयर क्षेत्र (कुल क्षेत्रफल का 40.02 प्रतिशत) में 1,745 नग पौधे रोपित किये गये है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि इसके अतिरिक्त उद्योग के पहुंच मार्ग के दोनों तरफ की पट्टी में वृक्षारोपण किया जाएगा।

11. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में इण्डक्शन फर्नेस एवं रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से प्रदूषकों के उत्सर्जन हेतु प्रदूषण भार की गणना प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में रखी गई पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की सीमा 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित करने के आधार पर इण्डक्शन फर्नेस से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 14,580 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष एवं संचालित रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 14,364 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित परियोजना हेतु पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की सीमा 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से इण्डक्शन फर्नेस से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 8,748 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष एवं रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 8,532 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष संभावित है। स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित किया जाएगा, जिससे सल्फर डाई–ऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा में कमी होगी।

12. रि–हिटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से टीएमटी बार्स के उत्पादन हेतु पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में रि–हिटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से टीएमटी बार्स एवं रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स के उत्पादन हेतु अनुरोध किया गया है। समिति का मत है कि टीएमटी बार्स एवं रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स एक ही उत्पाद मिक्स है एवं उत्पादन प्रक्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अतः समिति द्वारा रि–हिटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से टीएमटी बार्स एवं रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स के उत्पादन हेतु मान्य किया गया।

13. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य मार्च, 2021 से जून, 2021 के मध्य किया गया है। मॉनिटरिंग कार्य करने की सूचना आवेदक द्वारा अपने टी.ओ.आर. आवेदन दिनांक 14/04/2021 में किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 6 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 17.5 से 38.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 45.9 से 91.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 10.2 से 23.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 12.3 से 25.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 45.9 डीबीए से 68.4 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 40.9 डीबीए से 63.0 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

v. भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 335 पी.सी.यू. प्रतिघंटा है। प्रस्तावित परियोजना से 340 पी.सी.यू. प्रतिघंटा होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक के भीतर है।

14. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैः–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
3500	1%	35	Following activities at 27 Nearby Government Schools, 1 Hospital & 5 Primary Health Center	

			Rain Water Harvesting System	37.38
			Running Water Facility for Toilets	11.20
			Potable Drinking Water Facility with 3 year AMC	14.40
			Plantation with Fencing	8.00
			Total	**70.98**

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य (1) शासकीय शाला ग्राम–भरदा, (2) शासकीय शाला ग्राम–मुर्रा, (3) शासकीय शाला ग्राम–हसदा, (4) शासकीय शाला ग्राम–निओनारा, (5) शासकीय शाला ग्राम–पहरा, (6) शासकीय शाला ग्राम–धौरा, (7) शासकीय शाला ग्राम–रामपुर, (8) शासकीय शाला ग्राम–भोथली, (9) शासकीय शाला ग्राम–घुघवा, (10) शासकीय शाला ग्राम–कांदुल, (11) शासकीय शाला ग्राम–बाराडुआ, (12) शासकीय शाला ग्राम–जोरा, (13) शासकीय शाला ग्राम–सेरीखेड़ी, (14) शासकीय शाला ग्राम–धनसुली, (15) शासकीय शाला ग्राम–पचेड़ा, (16) शासकीय शाला ग्राम–तर्रा, (17) शासकीय शाला ग्राम–मटिया, (18) शासकीय शाला ग्राम–जरोदा, (19) शासकीय शाला ग्राम–चटौद, (20) शासकीय शाला ग्राम–अडसेना, (21) शासकीय शाला ग्राम–निल्जा, (22) शासकीय शाला ग्राम–पथरी, (23) शासकीय शाला ग्राम–तारेसर, (24) शासकीय शाला ग्राम–सिलयारी, (25) शासकीय शाला ग्राम–मलौद, (26) शासकीय शाला ग्राम–कुकेरा, (27) शासकीय शाला ग्राम–कुनरा (28) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम–धनसुली, (29) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम–सेरीखेड़ी, (30) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम–जरोदा, (31) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम–रामपुर, (32) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम–पथरी एवं (33) शासकीय अस्पताल ग्राम–सिलयारी में किया जाएगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् उक्त कार्यों को प्रथम त्रैमास (1st quarter - October - December 2021) में 33 प्रतिशत, द्वितीय त्रैमास (2nd quarter - January to march 2022) में 33 प्रतिशत एवं तृतीय त्रैमास (3rd quarter - April to june 2022) में शेष 34 प्रतिशत कार्य किया जाकर पालन प्रतिवेदन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किया जाएगा।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** मेसर्स ईश्वर इस्पात इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–6), उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लाट नं. 662, 679, 696, 697, 712 एवं 713 में स्टील इंगॉट्स/बिलेट्स थ्रू इण्डक्शन फर्नेश (2 x 10 टन प्रतिघंटा) क्षमता – 60,000 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स ईश्वर इस्पात इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–6), उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लाट नं. 662, 679, 696, 697, 712 एवं 713 में स्टील इंगॉट्स/बिलेट्स थ्रू

इण्डक्शन फर्नेश (2 x 10 टन प्रतिघंटा) क्षमता – 60,000 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

9. मेसर्स सुरेठा ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी माईन एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट (प्रो.– श्री राम किशोर चक्रधारी), ग्राम–सुरेठा, तहसील व जिला–मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1764)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 224085/2021, दिनांक 14/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–सुरेठा, तहसील व जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 98/9 एवं 98/38, कुल क्षेत्रफल–1.578 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,077.11 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 31/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 388वीं बैठक दिनांक 07/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राम किशोर चक्रधारी, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–

i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 98/9 एवं 98/38, कुल क्षेत्रफल – 3.9 एकड़, क्षमता – 1,077.11 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–मुंगेली द्वारा दिनांक 01/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1364/खनि02/2021 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 द्वारा विगत वर्षो में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
दिनांक 01/02/2017 से 31/03/2017	निरंक
2017–18	300
2018–19	640
2019–20	200
2020–21	500

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अमलीडीह का दिनांक 06/09/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हारोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशासन), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1499/ख.लि/तीन–1/2016 बलौदाबाजार, दिनांक 06/12/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1364/खलि–03/2021 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 0.829 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1364/खलि–03/2021 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं राष्ट्रीय राजमार्ग आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। नदी 75 मीटर दूर है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री राम किशोर चक्रधारी के नाम पर है। लीज डीड 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 28/09/2011 से 27/09/2016 तक की अवधि हेतु वैध है। तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्षों अर्थात् दिनांक 28/09/2016 से 27/09/2041 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – खसरा क्रमांक 98/9 श्री लखपत एवं 98/38 आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर वन मण्डल, जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2331 बिलासपुर, दिनांक 21/07/2005 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सुरेठा 0.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–सुरेठा 0.52 कि.मी. एवं अस्पताल मुंगेली 2.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 38.9 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.5 कि.मी. दूर है। तालाब 0.55 कि.मी. एवं आगर नदी 0.075 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 23,693 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 18,183 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 16,365 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित

क्षेत्र) का क्षेत्रफल 510 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 35 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 15 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
प्रथम	1,118	8,61,542
द्वितीय	1,119	8,62,146
तृतीय	1,121	8,63,417
चर्तुथ	985	7,59,164
पंचम	1,104	8,50,477

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.7 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 170 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ईंट निर्माण हेतु 103.61 टन कोयला से लगभग 51.81 घनमीटर ऐश जनित होगा, जिसका उपयोग ईंट निर्माण में किया जाएगा। साथ ही रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग बण्ड, हॉल रोड के रख–रखाव हेतु किया जाएगा।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
23	2%	0.46	Following activities at Nearby Government Middle School, Village- Suretha	
			Rain Water Harvesting System	0.70
			Plantation	0.10
			Total	0.80

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1364/खनि–03/2021 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 0.829 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–सुरेठा) का रकबा 1.578 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–सुरेठा) को मिलाकर कुल रकबा 2.407 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. लीज क्षेत्र के 75 मीटर में आगर नदी है। नदी तट की सुरक्षा की दृष्टि से समिति द्वारा यह निर्देशित किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा नदी की तरफ लीज क्षेत्र की 10 मीटर सीमा पट्टी में, 2 गुणा 2 मीटर के अंतराल पर, 5 पंक्तियों में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स सुरेठा ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी माईन एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट (प्रो.– श्री राम किशोर चक्रधारी) की ग्राम–सुरेठा, तहसील व जिला–मुंगेली के खसरा क्रमांक 98/9 एवं 98/38 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई, कुल क्षेत्रफल– 1.578 हेक्टेयर, क्षमता – 1,077 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के पहुंच मार्ग में आम, नीम, अर्जुन, करंज आदि के 500 नग पौधे लगाये जायेगें।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स सुरेठा ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी माईन एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट (प्रो.– श्री राम किशोर चक्रधारी) की ग्राम–सुरेठा, तहसील व जिला–मुंगेली के खसरा क्रमांक 98/9 एवं 98/38 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई, कुल क्षेत्रफल– 1.578 हेक्टेयर, क्षमता – 1,077 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर जिग–जेग आधारित किल्न एवं फिक्स चिमनी में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ग्रेविटी सेटलिंग चेम्बर की स्थापना

की जाए। साथ ही एक लाख ईंट उत्पादन हेतु 12 टन से अधिक कोयले का उपयोग नहीं की जाए।

ii. खदान बंद होने के उपरांत खदान के चारों तरफ वृक्षारोपण के साथ–साथ वृक्षों के बीच में झाड़िया व घास लगाया जाये, जिससे मृदा अपरदन/भूमि क्षरण व सिल्टेशन को रोका जा सके।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

10. मेसर्स शुभम सिंह ब्रिक्स अर्थ क्वारी (प्रो.– श्री शुभम सिंह ठाकुर), ग्राम–अकरजन, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1765)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 224822/2021, दिनांक 16/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अकरजन, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1095, 1096, 1097, 1086/2, 1089/1 एवं 1089/2, कुल क्षेत्रफल – 1.842 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 2,641 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 26,41,000 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 31/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 388वीं बैठक दिनांक 07/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शुभम सिंह ठाकुर, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–

i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1095, 1096, 1097, 1086/2, 1089/1 एवं 1089/2, कुल क्षेत्रफल – 1.842 हेक्टेयर, क्षमता – 2,720 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/258/ख.लि. 02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 25/03/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	400

2018	960
2019	1,000
2020	1,000
2021 फरवरी	400

पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 को समाप्त होने के उपरांत भी उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। तत्पश्चात् भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27/11/2020 अनुसारः–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the validity of prior environmental clearances granted under the provisions of this notification in respect of the projects or activities whose validity is expiring in the Financial Year 2020-2021 shall deemed to be extended till the 31st March, 2021 or six months from the date of expiry of validity, whichever is later. Such extension is subject to same terms and conditions of the prior environmental clearance in the respective clearance letters, to ensure uninterrupted operations of such projects or activities which have been stalled due to the outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control".

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार उत्खनन कार्य किया गया है। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अकरजन का दिनांक 17/12/2013 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 4185/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र./05/2019(4) नवा रायपुर, दिनांक 07/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 256/ख.लि. 03/2021 राजनांदगांव, दिनांक 25/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 257/ख.लि. 02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 25/03/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री शुभम सिंह के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 07/11/2009 से 06/11/2014 तक की अवधि हेतु वैध थी।

तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्षो अर्थात् दिनांक 07/11/2014 से 06/11/2039 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1096, 1097, 1089/2 श्री सुरेश सिंह, खसरा क्रमांक 1095 आवेदक के नाम पर, खसरा क्रमांक 1086/2 श्री सुरेश सिंह एवं श्रीमती सावित्री सिंह तथा खसरा क्रमांक 1089/1 श्री मनहरन के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, खैरागढ़ वनमण्डल खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/माचि./3852 खैरागढ़, दिनांक 05/09/2009 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से 4 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–अकरजन 0.12 कि.मी., स्कूल ग्राम–अकरजन 0.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–अकरजन 0.55 कि. मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 50 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2 कि.मी. दूर है। मुसका नाला 0.11 कि.मी. एवं अमनेर नदी 2.0 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 36,840 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 27,926 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 26,529 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 688 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.12 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 35 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	2,780
द्वितीय	2,780
तृतीय	2,780
चर्तुथ	2,780
पंचम	2,780

आगामी वर्षो का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
षष्टम	2,780
सप्तम	2,780
अष्टम	2,780
नवम	2,780
दशम	2,780

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है, जिसकी प्रति प्रस्तुत की गई है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन प्रतिवर्ष कोयला से लगभग 6 घनमीटर ऐश जनित होगा, जिसका उपयोग ईंट निर्माण में किया जाएगा। साथ ही रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग बण्ड, हॉल रोड एवं पहुंच मार्ग के रख–रखाव हेतु किया जाएगा।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Nearby Government Primary School, Village- Akrajan	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Running Water Facility for Toilets with Installation of water tank	0.22
			Plantation with fencing	0.18
			Total	**1.00**

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by

SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 256/ख. लि. 03/2021 राजनांदगांव, दिनांक 25/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–अकरजन) को मिलाकर कुल रकबा 1.842 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स शुभम सिंह ब्रिक्स अर्थ क्वारी (प्रो.– श्री शुभम सिंह ठाकुर) की ग्राम–अकरजन, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1095, 1096, 1097, 1086/2, 1089/1 एवं 1089/2 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.842 हेक्टेयर, क्षमता – 2,641 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 26,41,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के पहुंच मार्ग में आम, नीम, अर्जुन, करंज आदि के 500 नग पौधे लगाये जायेगें।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स शुभम सिंह ब्रिक्स अर्थ क्वारी (प्रो.– श्री शुभम सिंह ठाकुर) की ग्राम–अकरजन, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1095, 1096, 1097, 1086/2, 1089/1 एवं 1089/2 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.842 हेक्टेयर, क्षमता – 2,641 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 26,41,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर जिग–जेग आधारित किल्न एवं फिक्स चिमनी में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ग्रेविटी सेटलिंग चेम्बर की स्थापना की जाए। साथ ही एक लाख ईंट उत्पादन हेतु 12 टन से अधिक कोयले का उपयोग नहीं की जाए।

ii. खदान बंद होने के उपरांत खदान के चारों तरफ वृक्षारोपण के साथ–साथ वृक्षों के बीच में झाड़िया व घास लगाया जाये, जिससे मृदा अपरदन/भूमि क्षरण व सिल्टेशन को रोका जा सके।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

11. मेसर्स नरदहा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री पुरूषोत्तम जुमनानी), ग्राम–नरदहा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – डीआईए /सीजी /एमआईएन / 9671/2017, दिनांक 04/10/2017 द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 225056/2021, दिनांक 16/08/2021 को पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नरदहा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 1981, 1982/2, 1983/1, 1988/2 कुल क्षेत्रफल–2.79 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 28,875 टन प्रतिवर्ष है।
तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 02/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 388वीं बैठक दिनांक 07/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पुरूषोत्तम जुमनानी, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1981, 1982/2, 1983/1, 1988/2, कुल क्षेत्रफल – 2.79 हेक्टेयर, क्षमता – 28,875 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर द्वारा दिनांक 26/02/2018 को जारी की गई।
2. **लीज का विवरण** – लीज श्री पुरूषोत्तम जुमनानी के नाम पर है। लीज दिनांक 13/02/2018 से 12/02/2048 तक की अवधि हेतु वैध है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र में स्थापित क्रशर को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में शामिल करने हेतु अनुरोध किया गया है।
4. समिति का मत है कि क्रशर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अतः प्रस्तुत आवेदन में विचार किया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को अमान्य करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स कुम्हारी क्ले माईन एण्ड फिक्स चिमनी (प्रो.– श्री अशोक कुमार आहूजा), ग्राम–कुम्हारी, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1768)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 66708/2021, दिनांक 17/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी इकाई है। खदान ग्राम–कुम्हारी, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 105(पार्ट), 108(पार्ट), 109(पार्ट), 110(पार्ट), 111(पार्ट), 118(पार्ट), 119(पार्ट), 120/1(पार्ट), 120/2(पार्ट), 121/1(पार्ट), 122(पार्ट), 123/1(पार्ट), 123/2(पार्ट), 124/1(पार्ट), 124/2(पार्ट) एवं 125/1(पार्ट), कुल क्षेत्रफल– 3.993 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 2,000 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 15,00,000 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 02/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 388वीं बैठक दिनांक 07/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अशोक कुमार आहूजा, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 105, 108, 109, 110, 111, 118, 119, 120/1, 120/2, 121/1, 122, 123/1, 123/2, 124/1, 124/2 एवं 125/1 कुल क्षेत्रफल– 3.993 हेक्टेयर, क्षमता– 2,000 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 15,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर द्वारा दिनांक 24/06/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 05/11/2019 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क. /ख.लि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 10/08/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (नग)
2016	13,80,000
2017	13,50,000
2018	12,00,000
2019	12,20,000
2020	निरंक

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कुम्हारी का दिनांक 01/04/1999 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 361/खनि. लि./खनिज/2019 बालोद, दिनांक 24/07/2019 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – खनि अधिकारी, जिला–रायपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 3.367 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं होने के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री अशोक आहूजा के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 06/11/2009 से 05/11/2019 तक की अवधि हेतु वैध है। तत्पश्चात् लीज डीड में 10 वर्षों की, दिनांक 06/11/2019 से 05/11/2029 तक विस्तारित की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 105, 119, 120/2, 121/1, 122, 123/1, 123/2, 124/2, 125/1 श्री किशनचंद एवं खसरा क्रमांक 120/1, 124/1, श्री ताराचंद आहूजा के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। शेष खसरा क्रमांक 108(पार्ट), 109(पार्ट), 110(पार्ट), 111(पार्ट), 118(पार्ट) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कुम्हारी 0.1 कि.मी., स्कूल ग्राम–कुम्हारी 0.10 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–सोंधरा 3.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6.2 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 12 कि.मी. दूर है। खारून नदी 0.10 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 70,860 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 63,480 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,290 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.111 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भठ्ठा स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 35 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 32 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की गई है। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	प्रस्तावित ईंट उत्पादन (नग)
प्रथम	2,000	15,00,000
द्वितीय	2,000	15,00,000
तृतीय	2,000	15,00,000
चर्तुथ	2,000	15,00,000
पंचम	2,000	15,00,000

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	प्रस्तावित ईंट उत्पादन (नग)
षष्टम	2,000	15,00,000
सप्तम	2,000	15,00,000
अष्ठम	2,000	15,00,000
नवम	2,000	15,00,000
दशम	2,000	15,00,000

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया जाएगा।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 670 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. खनि अधिकारी, जिला–रायपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 3.367 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–कुम्हारी) का रकबा 3.993 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–कुम्हारी) को मिलाकर कुल रकबा 7.36 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

   iii. Project proponent shall submit certificate regarding important structure within 200 meter radius from the mine, from the concerned department.

   iv. Project proponent shall submit the details of land documents with agreement copy for mining.

   v. Project proponent shall submit NOC from CGWA for usage of water.

   vi. Project proponent shall submit the details of coal consumption quantity, generated ash & uses of broken/ reject bricks.

   vii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

   viii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

   ix. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.

   x. Project proponent shall complete the plantation of 1 meter width of mine lease periphery during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

   xi. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

xii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

13. मेसर्स तेलसरा आर्डिनरी सेण्ड क्वारी (प्रो.– श्री हरिशंकर साहू), ग्राम–तेलसरा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1769)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 225456/2021, दिनांक 19/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–तेलसरा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा स्थित खसरा क्रमांक 50, कुल क्षेत्रफल–3.0 हेक्टेयर में है। उत्खनन अहिरन नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 15,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 31/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 388वीं बैठक दिनांक 07/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेन्द्र ध्रुव, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत तेलसरा के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 50, क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर, क्षमता – 15,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरबा द्वारा दिनांक 27/09/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

   ii. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/12/2019 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत तेलसरा को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री हरिशंकर साहू के नाम पर हस्तांतरण किया गया है।

   iii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गाद अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 4094/खनि–01/रेत नी.(तेलसरा)/न.क्र.11/2019 कोरबा, दिनांक

12/08/2021 के अनुसार विगत वर्षो में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2019–20	3,300
2020–21	12,900
2021–22 (जून 2021 तक)	1,500

v. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत तेलसरा का दिनांक 05/04/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

4. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशा.), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 4101/खनि–6/2020 कोरबा, दिनांक 12/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 4098/खनि–01/रेत नी.(तेलसरा)/न.क्र. 11/2019, कोरबा, दिनांक 12/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 4097/खनि–03/रेत नी. (तेलसरा)/न.क्र. 11/2019 कोरबा, दिनांक 12/08/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे बांध, एनीकट, मंदिर, मस्जिद, मरघट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री हरिशंकर साहू के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 267/खनि–03/रेत नी. (तेलसरा)/न.क्र.11./2019 कोरबा, दिनांक 27/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–तेलसरा 0.6 कि.मी., स्कूल ग्राम–तेलसरा 0.6 कि.मी. एवं अस्पताल कटघोरा 16 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 03 कि.मी. दूर है। खदान से 540 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में एक पुल स्थित है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट स्थित नहीं है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम

164 मीटर, न्यूनतम 110 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 380 मीटर, न्यूनतम 322 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 100 मीटर, न्यूनतम 72 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 46 मीटर, न्यूनतम शून्य है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 2.5 मीटर से अधिक तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 15,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 3 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 2.5 मीटर से 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

12. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 10/06/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Inveatment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
27.42	2%	0.55	Following activities at Nearby Government Primary School, Village- Telsara	
			Rain Water Harvesting System	0.45
			Plantation	0.10
			Total	**0.55**

14. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 164 मीटर, न्यूनतम 110 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 46 मीटर, न्यूनतम शून्य है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 2,300 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 2.77 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

15. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। अहिरन नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–तेलसरा) का रकबा 3.0 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,500 नग पौधे – 750 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 750 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 750 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –

   i. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स तेलसरा आर्डिनरी सेण्ड क्वारी (प्रो.– श्री हरिशंकर साहू), खसरा क्रमांक 50, ग्राम–तेलसरा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा, कुल लीज क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 2,300 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 2.77 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 0.75 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 15,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा

(Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स तेलसरा आर्डिनरी सैण्ड क्वारी (प्रो.– श्री हरिशंकर साहू), खसरा क्रमांक 50, ग्राम–तेलसरा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा, कुल लीज क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 2,300 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 2.77 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 0.75 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 15,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

14. मेसर्स निसदा लाईम स्टोन (फ्लेगी लाईमस्टोन) क्वारी (प्रो.– श्री मुलऊ राम साहू), ग्राम–निसदा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1770)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 66790/2021, दिनांक 20/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–निसदा, तहसील–आरंग जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 1350, कुल क्षेत्रफल–1.62 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 17,337 टन प्रतिवर्ष (6,934.8 घनमीटर प्रतिवर्ष) है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 02/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 388वीं बैठक दिनांक 07/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गोकुल प्रसाद साहू, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 477/ख.लि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 04/08/2021 द्वारा वर्ष 2014 से आज दिनांक तक कोई उत्पादन कार्य नहीं किया गया है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत निसदा का दिनांक 15/03/2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/ख.लि./तीन–6/उ.प. 18/2009/3691 रायपुर, दिनांक 20/03/2017 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 477/ख.लि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 04/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानें, क्षेत्रफल 10.71 हेक्टेयर है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क्यू/ख.लि. /तीन–6/ 2021 रायपुर, दिनांक 19/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। महानदी 0.11 कि.मी. दूर स्थित है।

7. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री भुलऊ राम साहू के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षो अर्थात् दिनांक 03/10/2009 से 02/10/2019 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 03/10/2019 से 02/10/2039 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–निसदा 1.0 कि.मी., स्कूल ग्राम–निसदा 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.5 कि. मी. दूर है। महानदी 0.11 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 2,76,750 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 1,66,725 टन एवं रिकव्हरेबल 1,58,389 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र)

का क्षेत्रफल 3,456 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 7,200 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	17,100	षष्टम	17,337
द्वितीय	17,100	सप्तम	16,150
तृतीय	17,100	अष्टम	17,100
चतुर्थ	17,100	नवम	17,100
पंचम	17,100	दशम	5,130

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 864 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,456 वर्गमीटर है, जिसमें से 1,200 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, इस प्रकार कुल 6,000 घनमीटर क्षेत्र उत्खनित है। समिति का मत है कि उपरोक्त पूर्व से उत्खनित क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) एवं रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान तथा रिजर्व्स की विस्तृत गणना को समावेश करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक viii (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 477/ख.लि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 04/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानें, क्षेत्रफल 10.71 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–निसदा) का रकबा 1.62 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–निसदा) को मिलाकर कुल रकबा 12.33 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for usage of water.

v. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

vi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

vii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.

viii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan incorporating all the reserves calculation accordingly.

ix. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery were previously mining has be done & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

x. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. Hydrogeological investigations regarding safety of Mahanadi river should be carried out & be incorporated in EIA study.

ii. Project proponent shall submit NOC from Water Resource Department, Government of Chhattisgarh for no any effect on river passing nearer to the mine area due to mining operations.

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए।

15. मेसर्स मुड़पार लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री कमलेश देवांगन), ग्राम–मुड़पार, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1771)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 66874/2021, दिनांक 24/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मुड़पार, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 31/1(पार्ट), 31/2(पार्ट), 33, 34, 60, 61, 62/1, 62/2, 63/2(पार्ट), 65/1(पार्ट), 65/2(पार्ट) एवं 65/3(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.84 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 25,001.25 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 31/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 388वीं बैठक दिनांक 07/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कमलेश देवांगन, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मुड़पार का दिनांक 23/03/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 697/खनि. अनु.–01/2021 दुर्ग, दिनांक 02/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 770/खनि. लि02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 18/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 27 खदानें, क्षेत्रफल 46.428 हेक्टेयर है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 770/खनि.लि. 02/खनिज/ 2021 दुर्ग, दिनांक 18/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार

उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि आवेदक के नाम है। एल.ओ. आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 531/खनिज/उ.प./2021 दुर्ग, दिनांक 05/07/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक हैं।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मुड़पार 0.32 कि.मी., स्कूल ग्राम–मुड़पार 0.32 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–सेलूद 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.5 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 9,20,000 टन, माईनेबल रिजर्व 3,51,663 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 3,16,497 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,392 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 8,151 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 14 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	25,001
द्वितीय	25,001
तृतीय	25,001
चतुर्थ	25,001
पंचम	25,001

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.2 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

14. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के दक्षिण भाग में चौड़ाई कम होने के कारण 4,866 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य अक्टूबर, 2021 से दिसम्बर, 2021 मध्य किया जाएगा।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 770/खनि. लि02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 18/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 27 खदानें, क्षेत्रफल 46.428 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मुड़पार) का रकबा 1.84 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मुड़पार) को मिलाकर कुल रकबा 48.268 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

    i. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

    ii. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

    iii. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for usage of water.

iv. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

v. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

vi. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.

vii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

viii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

16. मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–खरगहनी–पथर्रा, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1323)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / सीएमआईएन/ 53903/2020, दिनांक 16/06/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /सीएमआईएन/66779/2020, दिनांक 19/08/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–खरगहनी–पथर्रा, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 1, 2/1, 2/2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29/1, 29/2, 30, 31, 473/1, 473/2 एवं 473/3, कुल क्षेत्रफल – 11.62 हेक्टेयर में प्रस्तावित कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपये 22 करोड़ होगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/10/2020 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 2(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष वेट टाईप हेतु टीओआर जारी किया गया है।

प्रावधानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 31/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 387वीं बैठक दिनांक 06/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विशाल कुमार जैन, डॉयरेक्टर एवं श्री संदीप कुमार वर्मा, महाप्रबंधक तथा पर्यावरण सलाहकार मेसर्स विमता लेब्स लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्रीमती दुर्गा भवानी विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - निकटतम आबादी ग्राम–पथर्रा 0.7 कि.मी., ग्राम–खरगहनी 1.5 कि.मी., शहर कोटा 4.5 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन कलमितर 2.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है। घोंघा नदी 5.5 कि.मी. एवं अरपा नदी 4 कि.मी. दूर है।

   - रामचंदा आरक्षित वन 5.2 कि.मी., कुआजाती आरक्षित वन 6.1 कि.मी., लोरमी आरक्षित वन 6.6 कि.मी., रतनपुर संरक्षित वन 7 कि.मी., शिवतराई संरक्षित वन 8.9 कि.मी., कंचनपुर संरक्षित वन 10.7 कि.मी., रानीबचाली आरक्षित वन 10.8 कि.मी., घासीपुर संरक्षित वन 10.9 कि.मी., ईस्ट बेलगहना संरक्षित वन 13.3 कि.मी. दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – परियोजना स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत पथर्रा का दिनांक 22/09/2019 एवं ग्राम पंचायत खरगहनी का दिनांक 21/05/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीवन और क्षेत्रीय निदेशक अचानकमार टाईगर रिजर्व, जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/व.प्रा./तक.अधि./2021/1082 बिलासपुर, दिनांक 26/03/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा अचानकमार टाईगर रिजर्व से 24.2 कि.मी. की दूरी पर है।

4. **भूमि स्वामित्व –** भूमि महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है।

5. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – कुल क्षेत्रफल 28.72 एकड़ (11.62 हेक्टेयर) हैं, जिसमें वॉशरी प्लांट 2.45 एकड़, रॉ–कोल, स्टॉक यार्ड, क्लीन कोल एवं रिजेक्ट्स 3.95 एकड़, अन्य फेसिलिटी 3.65 एकड़, वेकेंट भूमि 6.4 एकड़ एवं ग्रीन बेल्ट 12.27 एकड़ (42.72 प्रतिशत) में प्रस्तावित है।

6. **रॉ–मटेरियल** – रॉ–कोल 0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष उपयोग किया जाएगा। वाश्ड कोल 0.768 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं रिजेक्ट्स कोल 0.192 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। रॉ–कोल एस.ई.सी.एल. कोरबा के खदानों दीपका, गेवरा एवं कुसमुंडा से आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। खदान से वॉशरी तक रॉ–कोल का परिवहन सकड़ मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा। वॉशरी से वाश्ड कोल का 30 से 40 प्रतिशत परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों

एवं 60 से 70 प्रतिशत रेलमार्ग द्वारा किया जाएगा। रिजेक्ट का परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा।

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – कोल क्रशर इकाई, रोटरी ब्रेकर एवं स्क्रीन हाऊस में डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर की स्थापना की जाएगी। सभी कोल कन्व्हेयर बेल्ट्स एवं जंक्शन प्वाईंट्स को ढंका जाकर अतिरिक्त बेग फिल्टर से संलग्न कर चिमनी से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। परिसर के चारों ओर 3 मीटर ऊँची बाउण्ड्री वॉल का निर्माण एवं रेन गन के साथ ऊँची स्क्रीन स्थापित की जाएगी। साथ ही डस्ट सप्रेशन / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही निम्न अतिरिक्त उपाय किए जायेंगे :–

   I. उद्योग द्वारा कोल क्रशर इकाई, रोटरी ब्रेकर एवं स्क्रीन हाऊस जैसे धुल उत्सर्जक इकाईयों की दूरी समीपस्थ रेल मार्ग से कम से कम 200 मीटर रखी जायेगी।

   II. उद्योग द्वारा रेल मार्ग की ओर अर्थात प्रस्तावित स्थल के पूर्व दिशा में कम से कम 65 मीटर चौड़ी ग्रीनबेल्ट का विकास किया जायेगा।

   III. उद्योग द्वारा पूर्व दिशा में 03 मीटर ऊँची बाउण्ड्रीवाल एवं इसके ऊपर 04 मीटर उंची स्क्रीन विंड वॉल के साथ रेन गन लगाया जायेगा।

   IV. उद्योग द्वारा संपूर्ण आंतरिक मार्गों का पक्कीकरण किया जायेगा। आंतरिक मार्गों की सफाई एवं जल छिड़काव नियमित रूप से किया जाएगा।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वॉशरी रिजेक्ट्स लगभग 0.192 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को कव्हर्ड ट्रकों के माध्यम से ईंट निर्माण इकाई को उपलब्ध कराया जाएगा।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

   - **जल खपत एवं स्त्रोत** – घरेलू उपयोग हेतु 30 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 20 घनमीटर प्रतिदिन एवं वॉशरी हेतु 3,880 घनमीटर प्रतिदिन जल की खपत होगी। वॉशरी से उत्पन्न दूषित जल 3,680 घनमीटर प्रतिदिन को सेटलिंग पॉण्ड एवं बेल्ट प्रेस से उपचार उपरांत पुनः उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार कुल फ्रेश वॉटर की आवश्यकता 250 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसकी आपूर्ति भू–जल से की जाएगी। परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से 250 घनमीटर प्रतिदिन के लिए दिनांक 06/05/2021 से 05/05/2024 तक अनुमति प्राप्त की गई है।

   - **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – हैवी मीडिया सायक्लोन आधारित वेट कोल वॉशरी स्थापित किया जाएगा। क्लोज्ड लूप वॉटर सिस्टम व्यवस्था की जाएगी। प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु थिकनर, बेल्ट प्रेस एवं सेटलिंग पॉण्ड की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को उपरोक्तानुसार उपचार उपरांत पुनः प्रक्रिया में तथा परिसर के भीतर वृक्षारोपण में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट क्षमता 30 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना की जाएगी। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

10. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 44,708 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 तालाब 18,252 घनमीटर (लंबाई 65 मीटर, चौड़ाई 65 मीटर, गहराई 8 मीटर) एवं 1 तालाब 9,360 घनमीटर (लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर, गहराई 8 मीटर) क्षमता का निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। समिति का मत है कि यह कार्य आगामी 01 माह में पूर्ण किया जाए।

11. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु 1,500 के.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 2 नग गुणा 500 के.व्ही.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकॉस्टिक इंक्लोजर में स्थापित किया जाएगा एवं सीपीसीबी द्वारा निर्धारित ऊंचाई (10 मीटर) की चिमनी संलग्न की जाएगी।

12. **वृक्षारोपण की स्थिति** – कुल क्षेत्रफल में से 12.27 एकड़ (42.72 प्रतिशत) में 600 नग प्रति एकड़ पौधों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। चारों तरफ कम से कम 20 मीटर हरित पट्टी का विकास किया जाना प्रस्तावित है। रेलवे लाईन की तरफ 65 मीटर तक सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि ऐसी वृक्ष प्रजातियों का रोपण किया जाए जिसकी ऊंचाई कम से कम 25 मीटर से अधिक होती है। साथ ही प्रति हेक्टेयर 1,666 नग पौधों का रोपण 3 गुणा 2 मीटर के अंतराल में किया जाए।

13. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः–**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूम्बर, 2020 से दिसम्बर, 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 4 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 13.7 से 32.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 20.9 से 41.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 4.1 से 5.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_2$ 9.1 से 14.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेशीय वायु में जी.एल.सी. (GLC) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार परियोजना के प्रारंभ होने के उपरांत पी.एम. की मात्रा 3.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि,

डी.जी. सेट से सल्फर डाईआक्साईड की मात्रा 0.18 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि एवं एन.ओ.$_{एक्स}$ की मात्रा 5.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि होगी।

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 50.1 डीबीए से 52.3 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 41.2 डीबीए से 42.8 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

v. भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 9342 पी.सी.यू. प्रतिदिन है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 10,272 पी.सी.यू. प्रतिदिन होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक के भीतर है।

14. लोक सुनवाई दिनांक 04/08/2021 प्रातः 12:00 बजे ग्राम–पथर्रा के पंचायत भवन के पास स्थित मैदान, जिला–बिलासपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 19/08/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

15. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाये।

ii. प्रक्रिया से उत्सर्जित धुल सड़क मार्ग पर एवं पास स्थित जमीन खेत आदि पर जमा होगा। जैसा कि घुटकु गांव में होता है। अतः आपत्ति है।

iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. बॉशरी में प्रारंभ से उपयुक्त जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्थाऐं की जाएगी एवं बॉशरी प्रारंभ होने के उपरांत नियमित रूप से कोल स्टोरेज यार्ड (रॉ–कोल, वाश्ड एवं रिजेक्ट) एवं आंतरिक मार्गों पर जल छिड़काव किया जाएगा।

ii. बॉशरी प्रारंभ होने के उपरांत जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का सतत संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। उद्योग परिसर के बाहर एप्रोच रोड में भी नियमित रूप से जल छिड़काव किया जाएगा। बॉशरी से प्रदूषण से संबंधित कोई समस्या आमजनों / ग्रामवासियों को होने पर आपस में बैठकर जल, वायु, जमीन, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में दोनों पक्षों को मान्य हल निकाला जाएगा।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
2200	2%	44	Following activities at nearby Government 18 Schools as per proposal	
			Rain Water Harvesting System	31.00
			Potable Drinking water Facility	6.30
			Running water facility for Toilets	4.25
			Plantation with fencing	2.45
			Total	**44.00**

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य (1) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–पथर्रा, (2) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–भरारी, (3) शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम–मोहभट्ठा, (4) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–मोहभट्ठा, (5) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–भुण्डा, (6) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–गनियारी, (7) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–पिपरतराई, (8) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–खुरदुर, (9) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–अमली, (10) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–नेवरा, (11) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–भौउआ कापा, (12) शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला ग्राम–कलमीतार, (13) शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला ग्राम–गोकुलपुर, (14) शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला ग्राम–अमने, (15) शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला ग्राम–केवरा पारा, (16) शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला ग्राम–कहिरा, (17) शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला ग्राम–खुंटाडीह तथा (18) शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला ग्राम–छिपोरा में किया जाएगा।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उद्योग परिसर की सीमा से निकटतम अचानकमार–अमरकंटक जैव मंडल क्षेत्र की सीमा की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 387वीं बैठक दिनांक 06/09/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा संचालक, कार्यालय संचालक, अचानकमार–अमरकंटक जैवविविधता क्षेत्र के ज्ञापन क्रमांक एमजीएमटी/541 दिनांक 07/09/2021 के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 388वीं बैठक दिनांक 07/09/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. संचालक, कार्यालय संचालक, अचानकमार–अमरकंटक जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र, कोनी, जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक एमजीएमटी/541 दिनांक 07/09/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा अचानकमार–अमरकंटक जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र से 4.64 कि.मी. की दूरी पर है। उल्लेखनीय है कि ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) की अनुसूची में वर्णित श्रेणी 2(ए) में कोल वॉशरी हेतु सामान्य शर्तें लागू है। सामान्य शर्तों के अनुसार प्रवर्ग "ख" में विनिर्दिष्ट परियोजना या क्रियाकलाप को प्रवर्ग "क" के अनुसार केन्द्रीय स्तर पर मुल्यांकन किया जाना है, यदि (1) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र अथवा (2) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2) के तहत् परिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित है, की सीमाओं से परियोजना (पूर्ण अथवा आंशिक) स्थल 5 कि.मी. के भीतर अवस्थित है। समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि अचानकमार–अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2) के तहत् परिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व (Conservation Reserves), सामुदायिक रिजर्व (Community Reserves) तथा बाघ रिजर्व (Tiger Reserves) की स्थापना वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत् किया जाता है, जबकि जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र (Biosphere Reserves) को केन्द्रीय सरकार द्वारा चिन्हीत (Designate) किया जाता है तथा यह किसी अधिनियम / नियम के अंतर्गत अधिसूचित नहीं किया जाता है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि अचानकमार–अमरकंटक जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र कमांक 9/16/99–CS/BR दिनांक 30/03/2005 के द्वारा चिन्हीत (Designate) किया गया है। जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र (Biosphere Reserves) UNESCO द्वारा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्यों के सांकेतिक भागों के लिये दिया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है, जो स्थलीय या तटीय / समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों के बड़े क्षेत्रों या दोनों के संयोजन को शामिल करता है। आवेदित परियोजना क्षेत्र की सीमा अचानकमार टाईगर रिजर्व (अधिसूचित परिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र) की सीमा से 24.2 कि.मी. की दूरी पर है।

2. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विचाराधीन प्रकरण का मूल्यांकन राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.) के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण इसका मूल्यांकन कर गुणदोषों के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदन के संबंध में अनुशंसा की जाए।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति** से मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–खरगहनी–पथर्रा, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 1, 2/1, 2/2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29/1, 29/2, 30, 31, 473/1, 473/2 एवं 473/3, कुल क्षेत्रफल – 11.62 हेक्टेयर में प्रस्तावित कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–खरगहनी–पथर्रा, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 1, 2/1, 2/2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29/1, 29/2, 30, 31, 473/1, 473/2 एवं 473/3, कुल क्षेत्रफल – 11.62 हेक्टेयर में प्रस्तावित कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

17. मेसर्स मोहभट्ठा लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्रीमती विनिता राय), ग्राम–मोहभट्ठा, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1775)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 66916/2021, दिनांक 26/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मोहभट्ठा, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 652, 653 एवं 654, कुल क्षेत्रफल–0.482 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–5.925 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 369वीं बैठक दिनांक 13/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 13/09/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि आवेदन में त्रुटि होने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

18. मेसर्स मोहभट्ठा लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्रीमती विनिता राय), ग्राम–मोहभट्ठा, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1776)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – **एसआईए** /सीजी /एमआईएन / 66917/2021, दिनांक 26/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मोहभट्ठा, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 741, 748, 751, 755, 756, 955, 957 एवं 958/1, कुल क्षेत्रफल–0.737 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–7,126 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 389वीं बैठक दिनांक 13/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती विनिता राय, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 741, 748, 751, 755, 756, 955, 957 एवं 958/1, कुल क्षेत्रफल–0.737 हेक्टेयर, क्षमता–7,126 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–मुंगेली द्वारा दिनांक 04/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1368/ख.लि.02/2021 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
04/01/2017 से 31/03/2017	निरंक
2017–18	350
2018–19	769
2019–20	820
2020–21	2,032

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मोहभट्ठा का दिनांक 14/12/2010 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो 5 वर्ष के लिए वैध थी।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशासन), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1152/ख.लि. /तीन–1/2015 बलौदाबाजार, दिनांक 14/12/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1368/खनि–03/2020 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 8 खदानें, क्षेत्रफल 8.47 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1368/खनि–03/2020 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्रीमती विनिता राय के नाम पर है। लीज डीड 25 वर्षों अर्थात् दिनांक 14/10/2016 से 13/10/2041 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 748, 751, 955, 957, 958/1 श्री मनोज राय, खसरा क्रमांक 755 सागर उद्योग लिमिटेड, खसरा क्रमांक 756 श्री गोपाल प्रसाद एवं खसरा क्रमांक 741 आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर वनमण्डल, जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./255 बिलासपुर, दिनांक 06/01/2011 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मोहभट्ठा 0.4 कि.मी., स्कूल ग्राम–मोहभट्ठा 0.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.6 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 3.5 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 2,07,982 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 71,335 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व लगभग 67,769 टन है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 2,03,802 टन एवं रिकव्हरेबल 63,798 टन शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,452 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नही है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	7,470
द्वितीय	7,470
तृतीय	7,470
चतुर्थ	7,470
पंचम	7,470
षष्टम	7,470

13. प्रस्तुत माईनिंग प्लान में लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 1,452 वर्गमीटर बताया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि माईनिंग प्लान में त्रुटिवश 1,452 वर्गमीटर के अनुसार गणना की गई है, जबकि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,529 वर्गमीटर है। उक्त हेतु रिजर्व की गणना कर, संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 705 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,529 वर्गमीटर है, जिसमें से कुछ भाग उत्खनित है। समिति का मत है कि उपरोक्त पूर्व से उत्खनित क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) एवं रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान तथा रिजर्वस की विस्तृत गणना को समावेश करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में आवेदक श्री मोहन लाल अग्रवाल (एसआईए /सीजी /एमआईएन / 57905/2020) में आने वाली समस्त खदानों को क्लस्टर में शामिल करते हुए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 अक्टूबर, 2020 से 14 जनवरी, 2021 के मध्य किया गया था। तत्समय बेसलाईन डाटा कलेक्शन की सूचना दी गई थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों में उक्त खदान का उल्लेख है। अतः आवेदित खदान उस क्लस्टर का भाग है, जिसके लिए ई.आई.ए. स्टडी पूर्व में की गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एकत्रित बेसलाईन डाटा का उपयोग कर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

19. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1368/खनि–03/2020 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 8.47 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मोहभट्ठा) का रकबा 0.737 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मोहभट्ठा) को मिलाकर कुल रकबा 9.207 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों

बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the valid NOC of gram panchayat.

iii. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project proponent shall ensure that minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

v. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

vi. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.

vii. Project proponent shall submit revised mining plan with revised reserve calculation taking correct area of 7.5 meter mine boundary.

viii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan incorporating all the reserves calculation accordingly.

ix. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery were previously mining has be done & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

x. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह

भी निर्णय लिया गया कि माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए।

19. मेसर्स मोहभट्ठा लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री शैलेष राय), ग्राम–मोहभट्ठा, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1773)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 66946 / 2021, दिनांक 26 / 08 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मोहभट्ठा, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 694 / 2, 696 एवं 743, कुल क्षेत्रफल–0.562 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–3,500 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08 / 09 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 389वीं बैठक दिनांक 13 / 09 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 13 / 09 / 2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि आवेदन में त्रुटि होने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28 / 09 / 2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

20. मेसर्स मंगलम एलॉय एण्ड इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–जरवाय, तेंदुआ रोड, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1777)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 226437/2021, दिनांक 26/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–जरवाय, तेंदुआ रोड, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 299/1, 310/1, 310/6, 310/8, 310/7, 297, 300, 301, 302/2, 302/3, 302/4, 307/1, 307/2, 324, 309, 308 एवं 310/4, कुल क्षेत्रफल – 4.6792 हेक्टेयर में कोल गैसीफायर रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,500 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग की कुल लागत 3 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 389वीं बैठक दिनांक 13/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दिनेश पोरवाल, जनरल मेनेजर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति** –

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से स्ट्रक्चरल रि–रोल्ड प्रोडक्टस, आई–बिम, एच–बिम, एंगल्स, राउण्ड, चैनल आदि क्षमता 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 13/05/2019 को जारी की गई है, जिसकी वैधता 31/05/2029 तक है।

   - पूर्व में जारी सम्मति नवीनीकरण के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

   - निकटतम आबादी ग्राम–गुमा 1.25 कि.मी. एवं शहर रायपुर 4.5 कि.मी. स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन सरोना 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, रायपुर 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खारून नदी 3.5 कि.मी. दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** –

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1.	Rolling Mill Area	2,100	4.49
2.	Finished Good Area	1,800	3.85
3.	Raw Material Yard	1,950	4.16
4.	Parking Area	1,100	2.35

5.	Road Area	1,150	2.46
6.	Greenbelt Area	18,721	40.01
7.	Area for future expansion	19,971	42.68
	Total	**46,792**	**100**

4. **रॉ–मटेरियल –**

S.No	Input	Quantity (TPA)	Source	Transport
1.	Billets	59,900	Open Market	By Road
2.	Coal	5,950	Open Market	By Road
3.	Lime	42	Open Market	By Road

5. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

S. No.	Particular	Existing	After Expansion
1.	Unit	Reheating Rolling Mill (Coal Gasifier based)	Reheating Rolling Mill (Coal Gasifier based)
2.	Products	Re-rolled products – 30,000 TPA	Re-rolled products – 59,500 TPA

Note: Existing Coal Gasifier based reheating furnace rolling mill shall not be changed and capacity expansion shall be achieved by increasing working hours of reheating furnace from 10 Hrs per day to 18 Hrs per day and some modification in motors and mill stands of rolling mill.

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 25 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी। वर्तमान में स्ट्रक्चरल रि–रोल्ड प्रोडक्टस, आई–बिम, एच–बिम, एंगल्स, राउण्ड एवं चैनल आदि के उत्पादन हेतु 10 टन प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रि–रोल्ड के उत्पादन हेतु 19.8 टन प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होगी। वर्तमान में रोलिंग मिल रि–हीटिंग फर्नेस से एस.ओ.$_2$ के उत्सर्जन की मात्रा 24,000 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रोलिंग मिल रि–हीटिंग फर्नेस से एस.ओ.$_2$ की उत्सर्जन की मात्रा में कमी लाने हेतु स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित की जाएगी, जिससे 55 प्रतिशत एस.ओ.$_2$ उत्सर्जन में अनुमानित कमी होगी। इस व्यवस्था से एस.ओ.$_2$ के उत्सर्जन की मात्रा 21,600 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होना संभावित है।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वर्तमान में उत्पन्न मिल स्केल को स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाता है। यूस्ड आयल को अधिकृत विक्रेता को

विक्रय किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् रोलिंग मिल से मिल स्केल – 400 टन प्रतिवर्ष एवं यूस्ड आयल – 180 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। यही व्यवस्थायें प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 12 घनमीटर जल प्रतिदिन उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत कुल 21 घनमीटर जल प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् जल की आपूर्ति भू–जल से किया जाना प्रस्तावित है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी.(न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) स्थापित है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 4 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग द्वारा परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 16,774 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 11 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। समिति का मत है कि यह कार्य आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाए।

9. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों

के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 6,900 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 6,210 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष संभावित होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल उत्पन्न होगा, अपितु रोलिंग मिल के कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् कुल 580 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर एवं एस.ओ.$_2$ की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में वृद्धि (2,700 घनमीटर) होना संभावित है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु उद्योग परिसर में वर्षाजल के कुल रनऑफ (16,774 घनमीटर) का भू–गर्भ में रिचार्ज करना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 4 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। वर्तमान में विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 के.व्ही.ए. क्षमता का डी. जी. सेट एकॉस्टिक इंक्लोजर में स्थापित है। जिसमें 12 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल 1.381 हेक्टेयर (29.8 प्रतिशत) क्षेत्र में 2,080 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् 1.872 हेक्टेयर (40.01 प्रतिशत) क्षेत्र में 2,595 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। वृक्षारोपण का कार्य आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाएगा।

12. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
300	1%	3.0	Following activities at Nearby 3 Government Schools	
			Rain Water Harvesting System	3.39
			Potable Drinking Water Facility With 3 Years AMC	1.35
			Running Water Facility for Toilets	1.05

			Plantation with Fencing	0.75
			Total	**6.54**

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य शासकीय शाला ग्राम–जरोदा, शासकीय शाला ग्राम–चटौद एवं शासकीय शाला ग्राम–अड़सेना में किया जाएगा।

13. स्थापित उद्योग में प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित नहीं है। अतः किसी भी प्रकार के पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होती है।

14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. नं. J-13012/12/2013-IA-II(I) दिनांक 24/12/2013 के अनुसार 'बी' श्रेणी की परियोजनाओं 'को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु 'बी1' अथवा 'बी2' केटेगरी में किए जाने संबंधी गाईडलाईन जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन फेरस) हेतु निम्नानुसार गाईडलाईन जारी किए गए हैं:–

"Category B2 – All non toxic secondary metallurgical processing industries involving operation of furnaces only, such as induction and electric arc furnaces, submerged arc furnaces, and cupola with capacity > 30,000 TPA but < 60,000 TPA provided that such projects are located within the notified Industrial Estates."

15. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(ii)(a) के अनुसार State Level Expert Appraisal Committee will decide on due diligence necessary including preparation of Environment Impact Assessment and Public consultations and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance.

16. समिति का सर्वसम्मति से यह मत है कि प्रस्तावित क्षमता विस्तार के तहत् उन्नत वायु प्रदूषण नियंत्रण अपनाने से उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी होना प्रस्तावित है। उद्योग के विस्तार में कुल 2,700 घनमीटर अतिरिक्त जल की प्रतिवर्ष आवश्यकता होगी। उद्योग द्वारा अपने परिसर में कुल 16,774 घनमीटर वर्षाजल का रेन वॉटर हार्वेस्टिंग द्वारा रिचार्ज किया जाएगा। समग्र रूप से स्थापित एवं प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं, शून्य निस्सारण बनाये रखने, उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर एवं एस.ओ.$_2$ की मात्रा में कमी, उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्टों की मात्रा में वृद्धि (यद्यपि कुल मात्रा में वृद्धि होगी, जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा) तथा इनके सुरक्षित एवं वैज्ञानिक विधि से अपवहन करने, जल उपभोग की मात्रा में कुछ वृद्धि होगी, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु परिसर के पूर्ण रनऑफ को रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था से रिचार्ज किये जाने से होगी तथा क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण नहीं किये जाने के कारण किसी प्रकार के पुनर्वास एवं पुनःस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होने से पर्यावरणीय घटकों पर नगण्य प्रभाव (insignificant impact on environment) पड़ने की संभावना है। अतः प्रस्तावित कार्यकलापों को "बी1" श्रेणी के अंतर्गत मानते हुए, ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(ii)(a) के प्रावधान के तहत्, समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित कार्यकलापों हेतु ई.आई.ए. रिपार्ट एवं लोक सुनवाई की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् मेसर्स मंगलम एलॉय एण्ड इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–जरवाय, तेंदुआ रोड, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 299/1, 310/1, 310/6, 310/8, 310/7, 297, 300, 301, 302/2, 302/3, 302/4, 307/1, 307/2, 324, 309, 308 एवं 310/4, कुल क्षेत्रफल – 4.6792 हेक्टेयर में कोल गैसीफायर रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,500 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् मेसर्स मंगलम एलॉय एण्ड इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–जरवाय, तेंदुआ रोड, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 299/1, 310/1, 310/6, 310/8, 310/7, 297, 300, 301, 302/2, 302/3, 302/4, 307/1, 307/2, 324, 309, 308 एवं 310/4, कुल क्षेत्रफल – 4.6792 हेक्टेयर में कोल गैसीफायर रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,500 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

21. मेसर्स प्रेसियस मिनरल्स एण्ड स्मेल्टिंग लिमिटेड (प्रो.– श्री विमल लुनिया, बड़े बचेली टिन माईन), ग्राम–बड़े बचेली, तहसील–बड़े बचेली, जिला–दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1772)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /66923/2021, दिनांक 26/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित टिन (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बड़े बचेली, तहसील–बड़े बचेली, जिला–दंतेवाड़ा स्थित खसरा क्रमांक 979, 980/1, 980/2, 980/3, 981, 982, 983 एवं 984, कुल क्षेत्रफल–5.314 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1.5 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 389वीं बैठक दिनांक 13/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विमल लुनिया, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 372/खनिज/ख.प./2021–22 दंतेवाड़ा दिनांक 29/07/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (कि.ग्रा.)
2007–08	131.4
2008–09	22.9
2009–10	516.8
2010–11	105.8
2011–12	163.3
2012–13	166.3
2013–14	15.4
2014–15	15
2015–16	119
2016–17	31.1
2017–18	74
2018–19	निरंक
2019–20	
2020–21	

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अक्टूबर 2014 से दिनांक 31/03/2018 तक बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन कर पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।

3. **नगर पालिका परिषद् का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में नगर पालिका परिषद् बड़े बचेली का दिनांक 13/12/2005 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक दंतेवा/टिन/खयो–1071–2017 दिनांक 20/02/2017 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 371/खनिज/ख.प./2021–22 दंतेवाड़ा, दिनांक 29/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 373/खनिज/ख.प./2021–22 दंतेवाड़ा, दिनांक 29/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **लीज का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि लीज सी.एम.डी.सी. को 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 30/09/2003 से 29/03/2023 तक की अवधि हेतु वैध है। प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि लीज डीड दिनांक 23/09/2053 तक विस्तारित है, जिसकी प्रति फाईनल

ई.आई.ए. रिपार्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। सी.एम.डी.सी. द्वारा वर्किंग परमिशन (5.314 हेक्टेयर में से 4.914 हेक्टेयर हेतु) के लिए प्रेसियस मिनरल्स एण्ड स्मेल्टिंग लिमिटेड को लीज का हस्तांतरण दिनांक 13/12/2004 को किया जाना बताया गया है। वर्किंग परमिशन के ट्रांसफर की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

8. **भू–स्वामित्व** – भू–संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बचेली 2.8 कि.मी., स्कूल ग्राम–बचेली 2.8 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–बचेली 2.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.45 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 15 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 401 टन एवं माईनेबल रिजर्व लगभग 266.16 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,472 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मेनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 178 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव की व्यवस्था की गई है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2018–19	1.5
2019–20	1.5
2020–21	1.5
2021–22	1.5
2022–23	1.5

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 154 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से दिनांक 31/12/2021 के मध्य किया जाएगा।

17. भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ अकंन समिति के 25वीं बैठक (इण्डस्ट्रीज–1 सेक्टर) दिनांक 25 से 27 नवम्बर, 2020

को विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई थी। जिसके प्रकरण क्रमांक 25.2 में मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड, कलिंगानगर इण्डस्ट्रीयल कॉम्पलेक्स, दुबुरी, जिला–जजपुर (ओड़िशा) के ऑनलाईन आवेदन क्रमांक आईए/ओआर/आईएनडी/128148/2016 दिनांक 21/09/2016 पर विशेषज्ञ अकंन समिति द्वारा निम्न तथ्य प्रस्तुत किया गया:–

"25.2.4 Based on the EAC recommendations, the file was processed wherein the Competent Authority of MoEF&CC observed that the instant case is beyond the applicability of S.O. 804 (e) dated 14/03/2017 and directed to adopt the following principle in all cases where violation is suspected or alleged.

i. Send the matter to the Sector EAC for consideration of the case on merit.
ii. Take action against the alleged violation as per law.
iii. Do not wait for either the evidence of action having been started or violation proceedings to finish before taking up the case on merit.
iv. The EC if given after consideration on merit would be valid from the date it is given and not with retrospective effect. For the period before it, if violation is established by the court or the competent authority, the punishment/penalty as per law would be imposed."

साथ ही भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ अकंन समिति के 10वीं बैठक (इण्डस्ट्रीज–3) दिनांक 18 से 19 मई, 2021 को विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई थी। जिसके एजेण्डा क्रमांक 10.1 में मेसर्स संस्कार केमिकल्स एण्ड ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–अम्मूर, ग्राम–चेट्टीथंगल, तहसील–वालाजाह, जिला–वेल्लोर (रानीपेट), तमिलनाडु पर विचार कर निम्न तथ्यों से अवगत कराया गया:–

"The Member Secretary informed the Committee that the Competent Authority in the Ministry, in a related case (of M/s Tata Steel Limited, Odisha, F. No. J-11011/7/2006-IA-II(I)), has observed and directed that the case is beyond the applicability of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and should be considered by EAC as normal project. He also informed the Committee that the Competent Authority in the Ministry has also directed to follow the procedure adopted in the case of M/s Electrosteel Ltd (F.No.L-11011/188/2017-IA.II(I)(Pt)) for consideration of such cases. It was also directed in the F. No. 2/8/2021-IA.III, to consider such cases of violation for grant of ToR/EC, if there is no specific stay by the Hon'ble Courts on consideration of such projects."

18. उपरोक्त उल्लघंन के प्रकरणों पर भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ अकंन समिति द्वारा विचार करते हुए निर्णय लिया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर राज्य स्तर विशेषज्ञ अकंन समिति, छत्तीसगढ़ द्वारा इस प्रकरण पर विचार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 371/खनिज/ख.प./2021–22 दंतेवाड़ा, दिनांक 29/07/2021 के

अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–बड़े बचेली) का रकबा 5.314 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को निर्देशित की जाए। साथ ही स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु भी लिखा जाए।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के अनुसार उल्लंघन करने वाले प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार बैंक गारंटी प्रस्तुत किये जाने के निर्देश है:–

"The project proponent shall be required to submit a bank guarantee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Chhattisgarh Environment Conservation Board prior to the grant of EC. The quantum shall be recommended by the SEAC, C.G. and finalized by the SEIAA C.G. The bank guarantee shall be release after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan, and after the recommendation of the concerned Regional Office of the Ministry, the SEAC, C.G. and approval of the SEIAA C.G."

4. विचाराधीन खदान उल्लंघन का प्रकरण है। अतः समिति द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने एवं प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit top soil and overburden management plan & incorporate the details in the EIA report.

iii. Project proponent shall submit the land ownership details, lease extension copy and lease transfer copy.

iv. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

v. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

vi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

vii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

viii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

ix. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the environment (Protection) Act 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.

x. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural and community resource augmentation plan corresponding to ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.

xi. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA eport by accredited consultants.

xii. The Project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirement and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. before grant of ToR / EC. The undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation in future.

xiii. In case of violation of above undertaking, the ToR / EC shall be liable to be terminated forthwith.

xiv. The Environment Clearance will not be operational till such time the Project Proponent complies with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

xv. State Government concerned shall ensure that mining operation shall not commence till the entire compensation levied, if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

xvi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को निर्देशित की जाए। साथ ही स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु भी लिखा जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को पत्र लिखा जाए।

22. मेसर्स प्रेसियस मिनरल्स एण्डस्मेल्टिंग लिमिटेड (प्रो.– श्री विमल लुनिया, नेरली कैसेटराईट माईन), ग्राम–नेरली, तहसील व जिला–दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1774)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /66924/2021, दिनांक 26/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित टिन (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नेरली, तहसील व जिला–दंतेवाड़ा स्थित खसरा क्रमांक 179, 182 एवं 183, कुल क्षेत्रफल–4.97 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–0.95 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 389वीं बैठक दिनांक 13/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विमल लुनिया, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 377/खनिज/ख.प./2021–22 दंतेवाड़ा दिनांक 29/07/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (कि.ग्रा.)
2010–11	12.6
2011–12	15.4
2012–13	17.4
2013–14	15.1
2014–15	14.3
2015–16	16
2016–17	29.9
2017–18	73.2
2018–19	निरंक
2019–20	
2020–21	

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अक्टूबर 2014 से दिनांक 31/03/2018 तक बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन कर पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नेरली का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बैठक दिनांक तथा सचिव का सील एवं हस्ताक्षर नहीं है। समिति का मत है कि ग्राम पंचायत नेरली

का अनापत्ति प्रमाण पत्र (जिसमें सरपंच एवं सचिव के सील एवं हस्ताक्षर हो) कार्यवाही बैठक दिनांक सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक दंतेवा/टिन/खयो/1072/2017 दिनांक 17/03/2017 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 375/खनिज/ख.प./2021–22 दंतेवाड़ा, दिनांक 29/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 376/खनिज/ख.प./2021–22 दंतेवाड़ा, दिनांक 29/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **लीज का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि लीज सी.एम.डी.सी. को 20 वर्षो अर्थात् दिनांक 07/07/2005 से 06/07/2025 तक की अवधि हेतु वैध है। प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि लीज डीड दिनांक 06/07/2055 तक विस्तारित है, जिसकी प्रति फाईनल ई.आई.ए. रिपार्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। सी.एम.डी.सी. द्वारा वर्किंग परमिशन प्रेसियस मिनरल्स एण्ड स्मेल्टिंग लिमिटेड को दिनांक 15/06/2009 को ट्रांसफर की गई है। वर्किंग परमिशन के ट्रांसफर की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

8. **भू–स्वामित्व** – भू–संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बचेली 3.5 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–बचेली 3.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–बचेली 3.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31.7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 15 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 38.322 टन एवं माईनेबल रिजर्व लगभग 22.328 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 520 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मेनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 2 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर है। खदान की संभावित आयु 23.5 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का

छिड़काव की व्यवस्था की गई है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष	0.016
द्वितीय वर्ष	0.95
तृतीय वर्ष	0.95
चतुर्थ वर्ष	0.95
पंचम वर्ष	0.95

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 173 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से दिनांक 31/12/2021 के मध्य किया जाएगा।

16. भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ अकंन समिति के 25वीं बैठक (इण्डस्ट्रीज–1 सेक्टर) दिनांक 25 से 27 नवम्बर, 2020 को विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई थी। जिसके प्रकरण क्रमांक 25.2 में मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड, कलिंगानगर इण्डस्ट्रीयल कॉम्पलेक्स, दुबुरी, जिला–जजपुर (ओड़िशा) के ऑनलाईन आवेदन क्रमांक आईए/ओआर/आईएनडी/128148/2016 दिनांक 21/09/2016 पर विशेषज्ञ अकंन समिति द्वारा निम्न तथ्य प्रस्तुत किया गया:–

"25.2.4 Based on the EAC recommendations, the file was processed wherein the Competent Authority of MoEF&CC observed that the instant case is beyond the applicability of S.O. 804 (e) dated 14/03/2017 and directed to adopt the following principle in all cases where violation is suspected or alleged.

i. Send the matter to the Sector EAC for consideration of the case on merit.
ii. Take action against the alleged violation as per law.
iii. Do not wait for either the evidence of action having been started or violation proceedings to finish before taking up the case on merit.
iv. The EC if given after consideration on merit would be valid from the date it is given and not with retrospective effect. For the period before it, if violation is established by the court or the competent authority, the punishment/penalty as per law would be imposed."

साथ ही भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ अकंन समिति के 10वीं बैठक (इण्डस्ट्रीज–3) दिनांक 18 से 19 मई, 2021 को विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई थी। जिसके एजेण्डा क्रमांक 10.1 में मेसर्स संस्कार केमिकल्स एण्ड ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–अम्मूर, ग्राम–चेट्टीथंगल, तहसील–वालाजाह, जिला–वेल्लोर (रानीपेट), तमिलनाडु पर विचार कर निम्न तथ्यों से अवगत कराया गया:–

"The Member Secretary informed the Committee that the Competent Authority in the Ministry, In a related case (of M/s Tata Steel Limited, Odisha, F. No. J-11011/7/2006-IA-II(I)), has observed and directed that the case is beyond the applicability of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and should be considered by EAC as normal project. He also informed the Committee that the Competent Authority in the Ministry has also directed to follow the procedure adopted in the case of M/s Electrosteel Ltd (F.No.L-11011/188/2017-IA.II(I)(Pt)) for consideration of such cases. It was also directed in the F. No. 2/8/2021-IA.III, to consider such cases of violation for grant of ToR/EC, if there is no specific stay by the Hon'ble Courts on consideration of such projects."

17. उपरोक्त उल्लघंन के प्रकरणों पर भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ अकंन समिति द्वारा विचार करते हुए निर्णय लिया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर राज्य स्तर विशेषज्ञ अकंन समिति, छत्तीसगढ़ द्वारा इस प्रकरण पर विचार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 375/खनिज/ख.प./2021–22 दंतेवाड़ा, दिनांक 29/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–नेरली) का रकबा 4.97 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी2' श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को निर्देशित किया जाए। साथ ही स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु भी लिखा जाए।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के अनुसार उल्लंघन करने वाले प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार बैंक गारंटी प्रस्तुत किये जाने के निर्देश है:–

   "The project proponent shall be required to submit a bank guarantee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Chhattisgarh Environment Conservation Board prior to the grant of EC. The quantum shall be recommended by the SEAC, C.G. and finalized by the SEIAA C.G. The bank guarantee shall be release after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan, and after the recommendation of the concerned Regional Office of the Ministry, the SEAC, C.G. and approval of the SEIAA C.G."

4. विचाराधीन खदान उल्लंघन का प्रकरण है। अतः समिति द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्वॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में

प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit top soil and overburden management plan & incorporate the details in the EIA report.

iii. Project proponent shall submit the land ownership details, lease extension copy and lease transfer copy.

iv. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

v. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

vi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

vii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

viii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

ix. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the environment (Protection) Act 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) Institution working in the field of environment.

x. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural and community resource augmentation plan corresponding to ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.

xi. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA eport by accredited consultants.

xii. The Project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirement and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. before grant of ToR / EC. The undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation in future.

xiii. In case of violation of above undertaking, the ToR / EC shall be liable to be terminated forthwith.

xiv. The Environment Clearance will not be operational till such time the Project Proponent complies with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

xv. State Government concerned shall ensure that mining operation shall not commence till the entire compensation levied, if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

xvi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार एवं ग्राम पंचायत नेरली का अनापत्ति प्रमाण पत्र (जिसमें सरपंच एवं सचिव के सील एवं हस्ताक्षर हो तथा कार्यवाही बैठक दिनांक सहित) टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को निर्देशित की जाए। साथ ही स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु भी लिखा जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को पत्र लिखा जाए।

23. मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड (कोनकोना ऑर्डिनरी स्टोन टेम्परारी परमिट क्वॉरी (06)), ग्राम–कोनकोना, तहसील–पोड़ी उपरोड़ा, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1778)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 226610/2021, दिनांक 27/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कोनकोना, तहसील–पोड़ी उपरोड़ा, जिला–कोरबा स्थित खसरा क्रमांक 9/1, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,70,005 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 389वीं बैठक दिनांक 13/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रवीण सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कोनकोना का दिनांक 08/03/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – टी.पी. क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशा.), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 2573/खनि–5/उ.यो.अ./2020 कोरबा, दिनांक 30/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 4246/खनि–1/न.क्र.06/2020 कोरबा, दिनांक 26/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 4245/खनि–1/न.क्र. 06/2020 कोरबा, दिनांक 26/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। तान नदी 110 मीटर की दूरी पर स्थित है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – यह शासकीय भूमि है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 2164/खनि–1/उ.अनुज्ञापत्र/न.क्र.06/2020 कोरबा, दिनांक 28/05/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कटघोरा वनमण्डल, जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक तक.अधि./2020/4610 कटघोरा, दिनांक 16/09/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन भूमि से 0.5 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कोनकोना 2.35 कि. मी., स्कूल ग्राम–कोनकोना 2.7 कि.मी. एवं अस्पताल कटघोरा 14 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.51 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10.85 कि.मी. दूर है। तान नदी 0.11 कि.मी. एवं तालाब 0.63 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 4,05,000 टन, माईनेबल रिजर्व 2,01,325 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,97,299 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,865 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 16 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,783.75 घनमीटर है।

इस मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। ओव्हर बर्डन की मोटाई 0.75 मीटर है तथा कुल मात्रा 5,351.25 घनमीटर है। जिसे आवश्यकतानुसार रैम्प, हॉल रोड तथा पहुंच मार्ग के रख-रखाव में उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,70,005
द्वितीय	27,293

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.85 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 573 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
36.5	2%	0.73	Following activities at Government Primary School, **Village – Ghogharapara**	
			Rain Water Harvesting System	0.38
			Potable Drinking Water Facility with 5 years AMC	0.20
			Running Water Facility for Toilets	0.15
			Plantation	0.05
			Total	**0.78**

15. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by

SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 4246/खनि–1/न.क्र.06/2020 कोरबा, दिनांक 26/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–कोनकोना) का रकबा 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–कोनकोना) को मिलाकर कुल रकबा 4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड (कोनकोना ऑर्डिनरी स्टोन टेम्परारी परमिट क्वॉरी (06)) की ग्राम–कोनकोना, तहसील–पोड़ी उपरोड़ा, जिला–कोरबा के खसरा क्रमांक 9/1 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर, क्षमता – 1,70,005 टन (2 वर्षों में कुल क्षमता 1,97,298 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड (कोनकोना ऑर्डिनरी स्टोन टेम्परारी परमिट क्वॉरी (06)) की ग्राम–कोनकोना, तहसील–पोड़ी उपरोड़ा, जिला–कोरबा के खसरा क्रमांक 9/1 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर, क्षमता – 1,70,005 टन (2 वर्षों में कुल क्षमता 1,97,298 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

24. मेसर्स कुम्हारी अर्थ क्ले क्वारी माईन एवं फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो. – श्री नरेन्द्र कुमार प्रितवानी), ग्राम–कुम्हारी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 835)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 34754/ 2019, दिनांक 17/04/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 34754/ 2019, दिनांक 26/08/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–कुम्हारी, तहसील–धमधा,

जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1270/1, 1270/3, 1271, 1272, 1278/2, 1279, 1280 एवं 1281, कुल क्षेत्रफल–4.625 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 3,992.73 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 37,99,321 नग) प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/11/2019 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 26/08/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 389वीं बैठक दिनांक 13/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नरेन्द्र कुमार प्रितवानी, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **नगर पालिका परिषद् का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में नगर पालिका परिषद् कुम्हारी का दिनांक 21/12/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हारोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 361/खनि लि./खनिज/2019 बालोद, दिनांक 24/07/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 2332/खनि.लि.02/खनिज/2020 दुर्ग, दिनांक 22/06/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 4.445 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 74/खनि लिपि.2/2018 दुर्ग, दिनांक 09/04/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 191/खनि.लि.02/ई–ऑक्शन/2018 दुर्ग, दिनांक 26/04/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की

अवधि तक थी। एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के अपील क्रमांक एफ–42/2019/12 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 15/07/2020 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी श्री नरेन्द्र प्रीतवानी, पिता स्व. श्री चन्द्र प्रीतवानी निवासी– लाखेनगर, ईदगाह भाठा, रायपुर द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन दिनांक 13/06/2019 को मान्य करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला दुर्ग को प्रत्यावर्तित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015" यथासंशोधित के नियम 42(5) के प्रावधानांतर्गत गुण दोष के आधार पर नियमानुसार विचार कर प्रकरण का निराकरण किया जाए"** होना बताया गया है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 1268, 1270/1, 1279, 1280 आवेदक, खसरा क्रमांक 1265, 1266, 1267, 1270/3, 1271, 1281 आवेदक एवं श्री अशोक कुमार प्रीतवानी, खसरा क्रमांक 1272, 1278/2 आवेदक एवं श्री अशोक कुमार प्रीतवानी एवं सन्स, खसरा क्रमांक 1264 श्री अशोक कुमार प्रीतवानी के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/भा.चि./2019/1261 दुर्ग, दिनांक 12/04/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन भूमि से 30 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कुम्हारी 1.2 कि.मी., स्कूल ग्राम–कुम्हारी 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–कुम्हारी 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.29 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 9.8 कि.मी. दूर है। खारून नदी 0.13 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 92,500 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 77,463 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 69,717 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,080 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.3 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भठ्ठा स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जायेगा। खदान की संभावित आयु 17 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जायेगा। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	प्रस्तावित ईंट उत्पादन (नग)
प्रथम	3,992	37,99,321
द्वितीय	3,992	37,99,321
तृतीय	3,992	37,99,321
चतुर्थ	3,992	37,99,321
पंचम	3,992	37,99,321

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	प्रस्तावित ईंट उत्पादन (नग)
षष्टम	3,992	37,99,321
सप्तम	3,992	37,99,321
अष्टम	3,992	37,99,321
नवम	3,992	37,99,321
दशम	3,992	37,99,321

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.67 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त की गई है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 600 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि फिक्स चिमनी में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु ग्रेविटी सेटलिंग चेम्बर की व्यवस्था की जाएगी।

16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः–**

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर, 2020 से दिसम्बर, 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 10 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

    ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 21.09 से 42.54 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 40.09 से 65.63 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 8.11 से 15.34 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_2$ 10.42 से 16.34 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

    iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

    iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 42.4 डीबीए से 66.2 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 33.5 डीबीए से 54.4 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

v. भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 79 पी.सी.यू. प्रतिघंटा है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत 85 पी.सी.यू. प्रतिघंटा होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक के भीतर है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 30/07/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान – नगर पालिका परिषद् के सांस्कृतिक भवन ग्राम–कुम्हारी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 26/08/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु क्या व्यवस्था की जाएगी।

ii. लोक सुनवाई की सूचना आस–पास के लोगों को नहीं दी गई। प्रस्तावित ईंट भट्ठा खेत के बगल में रहेगी, जिससे खेत को नुकसान पहुचेगी। विगत 25 वर्षों से वृक्षारोपण नहीं किया गया है। जमीन के आस–पास गढ्ढे हो चुके है। नदी से मिट्टी निकाली जाती है।

iii. खदान की आयु समाप्ति के उपरांत खदान का क्या उपयोग किया जाएगा।

iv. स्थानीय लोगों को क्या व्यवस्था दी जाएगी। वृक्षारोपण किन–किन स्थानों पर कितनी मात्रा में किया जाएगा।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. पहुंच मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जाएगा। दिन में दो बार पानी का छिड़काव किया जाएगा। चिमनी की ऊचाई 33 मीटर है तथा इसमें वायु पदूषण नियंत्रण हेतु ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर लगाया जायेगा। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् पर्यावरण के संरक्षण एवं सर्वधन हेतु राशि 12,00,000/– रूपये खर्च किये जायेंगे, जिससे पर्यावरण को लाभ होगा।

ii. लोक सुनवाई की जानकारी एक माह पूर्व हिन्दी तथा अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित की गई थी। साथ ही कार्यपालिका सारांश की कॉपी ग्राम पंचायत में रखवाई गई थी तथा मुनादी करवाई गई थी। यह नई खदान है, मिट्टी का उत्खनन स्वयं के लीज सीमा के भीतर मैन्युअल विधि से की जाएगी। खदान के चारों ओर 1 मीटर की चौड़ाई में वृक्षारोपण किया जाएगा।

iii. खदान की अवधि समाप्ति उपरांत खदान में वृक्षारोपण एवं नर्सरी के रूप में किया जाएगा।

iv. स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। खदान के चारों ओर 1 मीटर की चौड़ाई में 600 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

19. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में कुल 5 खदानें आती है। शेष खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु रूचि नहीं ली जा रहीं है। अतः क्लस्टर में शामिल पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, 6.5 कि.मी. तक पहुँच मार्गो हेतु अनुमानित राशि 9,60,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

II. गांव के (6.5 कि.मी. तक) पहुँच मार्ग के दोनों तरफ कम से कम दो कतार में (13,000 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 41,44,710/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 15,15,000/– प्रतिवर्ष तथा चतुर्थ एवं पंचम वर्ष के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 14,50,000/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quaterly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 1,26,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

IV. सड़कों/ पहुँच मार्ग (6.5 कि.मी. तक) का संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 4,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

V. नदी के तरफ 1,20,150 वर्गमीटर क्षेत्र में (13,350 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 6,67,500/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 66,750/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

VI. अन्य कार्यों (Other Miscellaneous) हेतु अनुमानित राशि 3,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

VII. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यो हेतु प्रथम पांच वर्षो में कुल राशि 1,98,05,710/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

- प्रथम वर्ष में राशि 65,98,210/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), गांव के सड़क मार्ग में वृक्षारोपण, नदी के तरफ वृक्षारोपण, अन्य कार्यों (Other Miscellaneous) हेतु द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में राशि 33,67,750/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), गांव के सड़क मार्ग में वृक्षारोपण, नदी के तरफ वृक्षारोपण, अन्य कार्यों (Other Miscellaneous) हेतु चतुर्थ वर्ष एवं पंचम वर्ष में राशि 32,36,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VIII. पंचम वर्ष के बाद आगामी वर्षों में डस्ट सप्रेशन, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग एवं सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance) हेतु राशि 14,86,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

IX. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यो क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

20. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक एवं मेसर्स शिवा इन्फ्रास्ट्रक्चर (पार्टनर– श्री उमेश सचदेव) की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, 3.5 कि.मी. तक पहुँच मार्गो हेतु अनुमानित राशि 4,80,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

II. 3.5 कि.मी. तक पहुँच मार्ग के दोनों तरफ कम से कम दो कतार में (3,500 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 21,50,920/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। आगामी चार वर्षो के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 8,14,500/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quaterly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 56,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

IV. सड़कों/ पहुँच मार्ग (3.5 कि.मी. तक) का संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 2,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

V. नदी के तरफ 26,474 वर्गमीटर क्षेत्र में (2,941 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 1,47,050/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 14,705/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

VI. अन्य कार्यों (Other Miscellaneous) हेतु अनुमानित राशि 2,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

VII. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यो हेतु प्रथम पांच वर्षो में कुल राशि 1,08,89,920/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

- प्रथम वर्ष में राशि 32,33,970/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), नदी के तरफ वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यों (Other Miscellaneous) हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्षों में राशि 17,65,205/– प्रतिवर्ष व्यय तथा चतुर्थ एवं पंचम वर्षों में राशि 17,50,500/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VIII. पंचम वर्ष के बाद आगामी वर्षों में डस्ट सप्रेशन, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग एवं सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance) हेतु राशि 7,36,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

IX. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यो क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
221	2%	4.42	Following activities at 2 Government Schools	
			Rain Water Harvesting System	2.60
			Potable Drinking water Facility with 3 year AMC	1.05
			Running water facility for Toilets	0.50
			Plantation with fencing	0.80
			Total	**4.95**

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य (1) स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल ग्राम–कुम्हारी एवं (2) शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–कुम्हारी में किया जाएगा।

23. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in Process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 2332/खनि. लि.02/खनिज/2020 दुर्ग, दिनांक 22/06/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 4.445 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–कुम्हारी) का रकबा 4.625 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–कुम्हारी) को मिलाकर कुल रकबा 9.07 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स कुम्हारी अर्थ क्ले क्वारी माईन एवं फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्री नरेन्द्र कुमार प्रितवानी) की ग्राम–कुम्हारी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग के खसरा क्रमांक 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1270/1, 1270/3, 1271, 1272, 1278/2, 1279, 1280 एवं 1281 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई, कुल क्षेत्रफल–4.625 हेक्टेयर, क्षमता – 3,992 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 37,99,321 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स कुम्हारी अर्थ क्ले क्वारी माईन एवं फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्री नरेन्द्र कुमार प्रितवानी) की ग्राम–कुम्हारी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग के खसरा क्रमांक 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1270/1, 1270/3, 1271, 1272, 1278/2, 1279, 1280 एवं 1281 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई, कुल क्षेत्रफल–4.625 हेक्टेयर, क्षमता – 3,992 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 37,99,321 नग) प्रतिवर्ष हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर जिग–जेग आधारित किल्न एवं फिक्स चिमनी में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ग्रेविटी सेटलिंग चेम्बर की स्थापना की जाए। साथ ही एक लाख ईंट उत्पादन हेतु 12 टन से अधिक कोयले का उपयोग नहीं की जाए।

ii. खदान बंद होने के उपरांत खदान के चारों तरफ वृक्षारोपण के साथ–साथ वृक्षों के बीच में झाड़िया व घास लगाया जाये, जिससे मृदा अपरदन/भूमि क्षरण व सिल्टेशन को रोका जा सके।

साथ ही प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि क्लस्टर में शामिल कुछ खदानों को पूर्व से ही पर्यावणीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उनके द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु रूचि नहीं ली जा रहीं है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि क्लस्टर में आने वाले अन्य खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष खदानों को भी शामिल करते हुये क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से 03 माह के भीतर उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया जाए एवं कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान अनुसार शेष खदानों द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने पर पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही करने के संबंध में भी अवगत कराया जाए।

संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को उपरोक्तानुसार सूचना एवं परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

25. मेसर्स शिवा इन्फास्ट्रक्चर (पार्टनर– श्री उमेश सचदेव), ग्राम–कुम्हारी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1420)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 57529/ 2020, दिनांक 16/10/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 57529/ 2020, दिनांक 28/08/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–कुम्हारी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 1010/1, 1010/2, 1010/3, 1010/4, 1011/1, 1011/2, 1013, 1015, 1016/1, 1016/2, 1017/1, 1017/2, 1017/3, 1017/4, 1018/1, 1018/2, 1019, 1020/1, 1020/2, 1023/1, 1023/2, 1025, 1028, 1029/1, 1029/2, 1029/3, 1091/19, 1091/20 एवं 1091/26, कुल क्षेत्रफल–8.776 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 5,300 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 53,00,000 नग) प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/04/2021 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड

टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 28/08/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 389वीं बैठक दिनांक 13/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री महेन्द्र कुमार सचदेव, पार्टनर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **नगर पालिका परिषद् का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन के संबंध में नगर पालिका परिषद् कुम्हारी का दिनांक 01/02/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 4133/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.06/2020(1) नवा रायपुर, दिनांक 09/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 912/खनि.लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 13/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 8 खदानें, क्षेत्रफल 9.07 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन दिनांक 06/11/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 2795/खनिज/ उ.प./2020 दुर्ग, दिनांक 22/09/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी।
7. **भू–स्वामित्व** – भूमि पार्टनर श्री महेन्द्र कुमार सचदेव, मेसर्स शिवा इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम पर है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2020/3559 दुर्ग, दिनांक 10/09/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन भूमि से 20 कि.मी. तथा नंदनवन जू से 1.6 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कुम्हारी 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–कुम्हारी 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–कुम्हारी 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है। खारून नदी 0.28 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,75,520 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 1,58,886 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,072 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भठ्ठा स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जायेगा। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 10 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जायेगा। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	प्रस्तावित ईंट उत्पादन (नग)
प्रथम	5,300	53,00,000
द्वितीय	5,300	53,00,000
तृतीय	5,300	53,00,000
चतुर्थ	5,300	53,00,000
पंचम	5,300	53,00,000

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	प्रस्तावित ईंट उत्पादन (नग)
षष्टम	5,300	53,00,000
सप्तम	5,300	53,00,000
अष्टम	5,300	53,00,000
नवम	5,300	53,00,000
दशम	5,300	53,00,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त की गई है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि फिक्स चिमनी में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु ग्रेविटी सेटलिंग चेम्बर की व्यवस्था की जाएगी।

16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी –** मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर, 2020 से दिसम्बर, 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 10 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 21.09 से 42.54 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 40.09 से 65.63 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 8.11 से 15.34 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_2$ 10.42 से 16.34 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 42.4 डीबीए से 66.2 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 33.5 डीबीए से 54.4 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

v. भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 79 पी.सी.यू. प्रतिघंटा है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत 106 पी.सी.यू. प्रतिघंटा होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक के भीतर है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 31/07/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान – नगर पालिका परिषद् के सांस्कृतिक भवन ग्राम–कुम्हारी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 28/08/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. लोक सुनवाई कराई जा रही है। ग्राम–कटारी के लोगों को लोक सुनवाई में बुलाया जाना था।

ii. बरसात के पानी को स्टोर करने के लिए टैंक का निर्माण किया जाकर आस–पास के गांव में वृक्षारोपण कार्य किया जाए। रोजगार देने के लिए गांव के लोगों को स्किल डेव्हलपमेंट किया जाए।

iii. खदान प्रारंभ होने उपरांत कितने नग वृक्ष लगाये जायेगें तथा कितने लोगों को रोजगार दिया जाएगा।

iv. लीज क्षेत्र के समीप रहवासी क्षेत्र है। नियमों को अनदेखा कर लीज क्षेत्र के बाहर भी उत्खनन किया जा रहा है। साथ ही इनके द्वारा प्रदूषण फैलाया जाता है, जिससे नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का निरंतर सामना करना पड़ रहा है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:—

i. लोक सुनवाई की जानकारी एक माह पूर्व हिन्दी तथा अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित की गई थी।

ii. बरसात के पानी को स्टोर करने के लिए 2 नग टंकिया बनाई जाएगी, जिसे ऑफिस बिल्डिंग के छत से जोड़ा जाएगा तथा ईंट निर्माण हेतु इस पानी का उपयोग किया जाएगा। स्किल डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग दिया जाकर स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता दी जायेगी।

iii. खदान में 690 नग वृक्षारोपण किया जाएगा तथा पहुंच मार्ग में 200 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही 85 लोगों को रोजगार दिया जाएगा।

iv. यह एक नवीन खदान है। खदान में उत्खनन कार्य लीज सीमा के भीतर मैन्युअल विधि से किया जाएगा। चिमनी में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर लगाया जायेगा। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् पर्यावरण के संरक्षण एवं सर्वधन हेतु कार्य किया जाएगा, जिससे पर्यावरण को लाभ होगा। साथ ही साफ–सफाई पर ध्यान दिया जाएगा।

19. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान –** परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में कुल 5 खदानें आती है। शेष खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु रूचि नहीं ली जा रही है। अतः क्लस्टर में शामिल पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, 6.5 कि.मी. तक पहुँच मार्गो हेतु अनुमानित राशि 9,60,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

II. गांव के (6.5 कि.मी. तक) पहुँच मार्ग के दोनों तरफ कम से कम दो कतार में (13,000 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 41,44,710/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 15,15,000/– प्रतिवर्ष तथा चतुर्थ एवं पंचम वर्ष के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 14,50,000/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quaterly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 1,26,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

IV. सड़कों/ पहुँच मार्ग (6.5 कि.मी. तक) का संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 4,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

V. नदी के तरफ 1,20,150 वर्गमीटर क्षेत्र में (13,350 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 6,67,500/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। द्वितीय एवं

तृतीय वर्ष के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 66,750/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

VI. अन्य कार्यों (Other Miscellaneous) हेतु अनुमानित राशि 3,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

VII. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यो हेतु प्रथम पांच वर्षो में कुल राशि 1,98,05,710/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

- प्रथम वर्ष में राशि 65,98,210/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), गांव के सड़क मार्ग में वृक्षारोपण, नदी के तरफ वृक्षारोपण, अन्य कार्यों (Other Miscellaneous) हेतु द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में राशि 33,67,750/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), गांव के सड़क मार्ग में वृक्षारोपण, नदी के तरफ वृक्षारोपण, अन्य कार्यों (Other Miscellaneous) हेतु चतुर्थ वर्ष एवं पंचम वर्ष में राशि 32,36,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VIII. पंचम वर्ष के बाद आगामी वर्षों में डस्ट सप्रेशन, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग एवं सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance) हेतु राशि 14,86,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

IX. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यो क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

20. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक एवं मेसर्स कुम्हारी अर्थ क्ले क्वारी माईन एवं फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो. – श्री नरेन्द्र कुमार प्रितवानी) की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, 3.5 कि.मी. तक पहुँच मार्गो हेतु अनुमानित राशि 4,80,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

II. 3.5 कि.मी. तक पहुँच मार्ग के दोनों तरफ कम से कम दो कतार में (3,500 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 21,50,920/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। आगामी चार वर्षो के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 8,14,500/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quaterly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 56,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

IV. सड़कों/ पहुँच मार्ग (3.5 कि.मी. तक) का संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 2,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

V. नदी के तरफ 26,474 वर्गमीटर क्षेत्र में (2,941 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 1,47,050/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 14,705/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

VI. अन्य कार्यो (Other Miscellaneous) हेतु अनुमानित राशि 2,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

VII. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यो हेतु प्रथम पांच वर्षो में कुल राशि 1,08,89,920/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

- प्रथम वर्ष में राशि 32,33,970/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), नदी के तरफ वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यो (Other Miscellaneous) हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्षो में राशि 17,65,205/– प्रतिवर्ष व्यय तथा चतुर्थ एवं पंचम वर्षो में राशि 17,50,500/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VIII. पंचम वर्ष के बाद आगामी वर्षो में डस्ट सप्रेशन, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग एवं सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance) हेतु राशि 7,36,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

IX. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यो क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation

				(in Lakh Rupees)
391	2%	7.82	Following activities at 3 Government Schools	
			Rain Water Harvesting System	2.40
			Potable Drinking water Facility with 4 year AMC	1.05
			Running water facility for Toilets	0.70
			Plantation	3.75
			Total	**7.90**

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य (1) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–खपरी, (2) शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–मजरघट्टा एवं (3) शासकीय बालक पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–कुम्हारी में किया जाएगा।

23. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in Process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 912/खनि.लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 13/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 9.07 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–कुम्हारी) का रकबा 8.776 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–कुम्हारी) को मिलाकर कुल रकबा 17.846 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स शिवा इन्फ्रास्ट्रक्चर (पार्टनर– श्री उमेश सचदेव) की ग्राम–कुम्हारी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग के खसरा क्रमांक 1010/1, 1010/2, 1010/3, 1010/4, 1011/1, 1011/2, 1013, 1015, 1016/1, 1016/2, 1017/1, 1017/2, 1017/3, 1017/4, 1018/1, 1018/2, 1019, 1020/1, 1020/2, 1023/1, 1023/2, 1025, 1028, 1029/1, 1029/2, 1029/3, 1091/19, 1091/20 एवं 1091/26 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई, कुल क्षेत्रफल–8.776 हेक्टेयर, क्षमता – 5,300 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 53,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स शिवा इन्फ्रास्ट्रक्चर (पार्टनर– श्री उमेश सचदेव) की ग्राम–कुम्हारी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग के खसरा क्रमांक 1010/1, 1010/2, 1010/3, 1010/4, 1011/1, 1011/2, 1013, 1015, 1016/1, 1016/2, 1017/1, 1017/2, 1017/3, 1017/4, 1018/1, 1018/2, 1019, 1020/1, 1020/2, 1023/1, 1023/2, 1025, 1028, 1029/1, 1029/2, 1029/3, 1091/19, 1091/20 एवं 1091/26 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई, कुल क्षेत्रफल–8.776 हेक्टेयर, क्षमता – 5,300 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 53,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर जिग–जेग आधारित किल्न एवं फिक्स चिमनी में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ग्रेविटी सेटलिंग चेम्बर की स्थापना की जाए। साथ ही एक लाख ईंट उत्पादन हेतु 10 टन से अधिक कोयले का उपयोग नहीं की जाए।

ii. खदान बंद होने के उपरांत खदान के चारों तरफ वृक्षारोपण के साथ–साथ वृक्षों के बीच में झाड़िया व घास लगाया जाये, जिससे मृदा अपरदन/भूमि क्षरण व सिल्टेशन को रोका जा सके।

साथ ही प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि क्लस्टर में शामिल कुछ खदानों को पूर्व से ही पर्यावणीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उनके द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु रूचि नहीं ली जा रहीं है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि क्लस्टर में आने वाले अन्य खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष खदानों को भी शामिल करते हुये क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से 03 माह के भीतर उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया जाए एवं कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान अनुसार शेष खदानों द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने पर पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही करने के संबंध में भी अवगत कराया जाए।

संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को उपरोक्तानुसार सूचना एवं परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

26. मेसर्स सियादेही ब्रिक अर्थ क्वारी एण्ड ब्रिक किल्न प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री रामचन्द्र चक्रधारी), ग्राम–सियादेही, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1537)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 194751/2021, दिनांक 24/01/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–सियादेही, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 06, कुल क्षेत्रफल – 2.44 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 890 घनमीटर (10,01,250 नग) प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
3. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रामचन्द्र चक्रधारी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सियादेही का दिनांक 18/01/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ इन्व्हारोमेंट मेनेजमेंट प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उ.ब. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 971/खनिज/उत्ख.यो.अनु./उ.प./2020–21 कांकेर, दिनांक 11/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 55/खनिज/2021 धमतरी, दिनांक 20/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 56/खनिज/2021 धमतरी, दिनांक 20/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1834/खनिज/उत्खनिपट्टा/2020 धमतरी, दिनांक 26/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक है।

6. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री राममिलन, श्री रामचन्द्र एवं श्री रमाकान्त के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./जी/4004 धमतरी, दिनांक 25/09/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सियादेही 1.8 कि.मी, स्कूल ग्राम–सियादेही 1 कि.मी. एवं अस्पताल धमतरी 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 48,800 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 42,300 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 40,185 घनमीटर प्रतिवर्ष है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 690 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन की जाएगी। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.187 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भट्ठा (किल्न) प्रस्तावित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर होगी। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग की जाएगी। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 18 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार प्रस्तावित वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	890
द्वितीय	890
तृतीय	890
चर्तुथ	890
पंचम	890

आगामी वर्षों का उत्खनन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
छष्टम	890
सप्तम	890
अष्टम	890
नवम	975
दशम	986

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 150 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
30.3	2%	0.61	Following activities at Government Primary School School, Village – Siyadehi	
			Rain Water Harvesting System	0.35
			Potable Drinking Water Facility	0.15
			Plantation	0.15
			Total	**0.65**

16. समिति के संज्ञान में तथ्य आया कि प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में दर्शित सेकेण्ड फाइव ईयर प्लान में 975 एवं 986 घनमीटर उत्खनन प्रस्तावित किया गया है, जबकि आवेदन में प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन 890 घनमीटर बताया गया है। इसी प्रकार ईंट उत्पादन हेतु 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश मिलाया जाना प्रस्तावित

किया गया है, जिससे ईंट उत्पादन हेतु कुल रॉ–मटेरियल 1,335 घनमीटर होता है। उक्त रॉ–मटेरियल से अधिकतम 7,00,000 नग ईंट का उत्पादन किया जा सकता है, जबकि आवेदन में प्रस्तावित ईंट उत्पादन 10,01,250 नग बताया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रस्तुत माईनिंग प्लान में त्रुटि है। अतः उपरोक्तानुसार संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में दिये विवरण अनुसार मिट्टी उत्खनन एवं ब्रिक्स निर्माण की विस्तृत गणना कर, संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. ब्रिक्स निर्माण हेतु आवश्यक कोयले की मात्रा के संबंध में गणना सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त वांछित जानकारी प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/05/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजाना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 21/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. मॉडिफाईड क्वारी प्लान एलांग विथ इन्वहारोमेंट मेनेजमेंट प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उ.ब. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 74/खनिज/उत्ख.यो.अनु./मिट्टी/ 2021–22 कांकेर, दिनांक 25/05/2021 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार 8,90,000 नग ब्रिक्स के निर्माण हेतु 890 घनमीटर मिट्टी एवं 890 घनमीटर फ्लाई ऐश की आवश्यकता होगी।
2. ब्रिक्स निर्माण हेतु आवश्यक कोयले की मात्रा के संबंध में गणना सहित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. ब्रिक्स निर्माण हेतु आवश्यक कोयले की मात्रा के संबंध में गणना सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 01/09/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 389वीं बैठक दिनांक 13/09/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. ब्रिक्स निर्माण हेतु आवश्यक कोयले की मात्रा के संबंध में गणना सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार एक लाख ईंट निर्माण हेतु 18 टन कोयला की आवश्यकता होगी।
2. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का दिनांक 27/05/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–
   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 55/खनिज/2021 धमतरी, दिनांक 20/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–सियादेही) का रकबा 2.44 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स सियादेही ब्रिक अर्थ क्वारी एण्ड ब्रिक किल्न प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री रामचन्द्र चक्रधारी) की ग्राम–सियादेही, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी के खसरा क्रमांक 06 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई, कुल क्षेत्रफल– 2.44 हेक्टेयर, क्षमता – 890 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 8,90,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स सियादेही ब्रिक अर्थ क्वारी एण्ड ब्रिक किल्न प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री रामचन्द्र चक्रधारी) की ग्राम–सियादेही, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी के खसरा क्रमांक 06 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई, कुल क्षेत्रफल– 2.44 हेक्टेयर, क्षमता – 890 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 8,90,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर जिग–जेग आधारित किल्न एवं फिक्स चिमनी में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ग्रेविटी सेटलिंग चेम्बर की स्थापना

की जाए। साथ ही एक लाख ईंट उत्पादन हेतु 12 टन से अधिक कोयले का उपयोग नहीं की जाए।

ii. खदान बंद होने के उपरांत खदान के चारों तरफ वृक्षारोपण के साथ–साथ वृक्षों के बीच में झाड़िया व घास लगाया जाये, जिससे मृदा अपरदन/भूमि क्षरण व सिल्टेशन को रोका जा सके।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

27. मेसर्स रूनियाडीह ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट (प्रो.– श्री रविशंकर जायसवाल), ग्राम–रूनियाडीह, तहसील व जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1402)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 174324/2020, दिनांक 22/09/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 07/10/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 27/11/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–रूनियाडीह, तहसील व जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1273, कुल क्षेत्रफल – 0.87 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,073.23 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की पठनीय प्रति (बैठक दिनांक सहित) प्रस्तुत की जाए।
2. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रविशंकर जायसवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदन में मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता 1,073.23 घनमीटर प्रतिवर्ष का उल्लेख किया गया है, जबकि माईनिंग प्लान में ईंट उत्पादन अधिकतम क्षमता – 5,76,400 नग प्रतिवर्ष का भी प्रस्ताव है। अतः पर्यावरणीय स्वीकृति मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता 1,073.23 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता – 5,76,400 नग) प्रतिवर्ष हेतु जारी किये जाने का अनुरोध किया गया, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत रूनियाडीह का दिनांक 08/06/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के पृ. क्रमांक/230–31/खनिज/खलि.2/2016 बैकुंठपुर, दिनांक 20/05/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 832/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 26/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 832/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 26/10/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, गुरूद्वारा, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्री रविशंकर जायसवाल के नाम पर है, जिसकी अवधि 10 वर्ष की दिनांक 28/03/2006 से दिनांक 27/03/2016 तक थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षो की, दिनांक 28/03/2016 से 27/03/2036 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सरगुजा वनमंडल, अंबिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./1258/2005 अंबिकापुर, दिनांक 19/04/2005 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–रूनियाडीह 1.5 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–रूनियाडीह 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–रूनियाडीह 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 5.4 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 11,701 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 6,479 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 5,831 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 364.79 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। माईनिंग प्लान अनुसार वर्तमान में 5,698.68 वर्गमीटर क्षेत्र में लगभग 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन किया गया है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। स्थापित लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भठ्ठा (किल्न) प्रस्तावित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर होगी। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 25 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। माईनिंग प्लान में वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम वर्ष प्रथम बेंच	631
प्रथम वर्ष द्वितीय बेंच	561
द्वितीय	562
तृतीय	583
चतुर्थ	518
पंचम	618
छष्टम	619
सप्तम	619
अष्टम	619
नवम	620
दशम	528

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर अथोरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 180 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

    I. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 1273, क्षेत्रफल 0.87 हेक्टेयर, क्षमता–1,073.23 घनमीटर (5,47,581 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–सूरजपुर द्वारा दिनांक 19/12/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 832ए/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 26/10/2020 के अनुसार विगत वर्षो में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	वास्तविक उत्पादन (नग)	वास्तविक उत्खनन (घनमीटर)
2017	50,000	100
2018	5,25,000	1,050
2019	2,70,000	540

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
32	2%	0.64	Following activities at Govt Primary School, **Village-Runiyadih**	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Potable Drinking Water Facility	0.20
			Total	**0.70**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. परियोजना प्रस्तावक को विगत वर्षों में वर्षवार किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष) खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

2. आवेदित उत्खनन क्षमता 1,073.23 घनमीटर प्रतिवर्ष है। जबकि माईनिंग प्लान में प्रथम वर्ष में उत्खनन 1,192 घनमीटर दर्शाया गया है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/02/2021 एवं 08/02/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 22/03/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 832ए/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 26/10/2020 द्वारा विगत वर्षो में किये गये उत्खनन की उपयुक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. विगत वर्षों में वर्षवार किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी वित्तीय वर्ष अनुसार प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही पूर्व में इस संबंध में जो आंकड़ें जिस ज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक से प्रस्तुत किये गये थे, उसी ज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक से वर्तमान में परिवर्तित आंकड़ें प्रस्तुत किये गये है। इस प्रकार एक ही ज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक से भिन्न–भिन्न उत्खनन आंकड़ें प्रस्तुत किये गये है। उक्त विसंगतियों के संबंध में लेख करते हुए कलेक्टर को सूचित किया जाना आवश्यक है। साथ ही उपरोक्त के संबंध में संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर को अवगत कराया जाना होगा।

3. माईनिंग प्लान में प्रथम वर्ष में उत्खनन 1,192 घनमीटर दर्शित होने, जबकि आवेदित उत्खनन क्षमता 1,073.23 घनमीटर प्रतिवर्ष होने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रथम वर्ष में उत्खनन उपरांत माईन वेस्ट को कम किये जाने पर उपलब्ध मिट्टी की मात्रा 1,073.23 घनमीटर है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि कलेक्टर, जिला–सूरजपुर को एक ही कमांक एवं दिनांक द्वारा जारी दो अलग–अलग पत्रों के संबंध में जाँच कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये विगत वर्षों में वर्षवार किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी वित्तीय वर्ष में प्रेषित किये जाने हेतु लेख किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/06/2021 के परिपेक्ष्य में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन दिनांक 26/08/2021 (प्राप्ति दिनांक 02/09/2021) द्वारा जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 389वीं बैठक दिनांक 13/09/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1897/खनिज/2021 सूरजपुर, दिनांक 26/08/2021 के अनुसार विगत वर्षो में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	वास्तविक उत्पादन (नग)	वास्तविक उत्खनन (घनमीटर)
2017	50,000	100
2018	5,25,000	1,050
2019	2,70,000	540

2. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where even it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 832/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 26/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–रूनियाडीह) का रकबा 0.87 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स रूनियाडीह ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट (प्रो.– श्री रविशंकर जायसवाल) की ग्राम–रूनियाडीह, तहसील व जिला–सूरजपुर के खसरा क्रमांक 1273 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई, कुल क्षेत्रफल– 0.87 हेक्टेयर, क्षमता – 1,073 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 5,76,400 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के पहुंच मार्ग में आम, नीम, अर्जुन, करंज आदि के 500 नग पौधे लगाये जायेगें।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स रूनियाडीह ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट (प्रो.– श्री रविशंकर जायसवाल) की ग्राम–रूनियाडीह, तहसील व जिला–सूरजपुर के खसरा क्रमांक 1273 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई, कुल क्षेत्रफल– 0.87 हेक्टेयर, क्षमता – 1,073 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 5,76,400 नग) प्रतिवर्ष हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर जिग–जेग आधारित किल्न एवं फिक्स चिमनी में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ग्रेविटी सेटलिंग चेम्बर की स्थापना की जाए। साथ ही एक लाख ईंट उत्पादन हेतु 12 टन से अधिक कोयले का उपयोग नहीं की जाए।

ii. खदान बंद होने के उपरांत खदान के चारों तरफ वृक्षारोपण के साथ–साथ वृक्षों के बीच में झाड़िया व घास लगाया जाये, जिससे मृदा अपरदन/भूमि क्षरण व सिल्टेशन को रोका जा सके।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

28. मेसर्स पाईकभाठा क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री ज्ञानचंद गोलछा), ग्राम–पाईकभाठा, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1752)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 221813/2021, दिनांक 04/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–पाईकभाठा, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 795, कुल क्षेत्रफल–1.2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 30,005.28 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 25/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 386वीं बैठक दिनांक 01/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ज्ञानचंद गोलछा, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि पूर्व में आवेदित खदान में कोई उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पाईकभाठा का दिनांक 02/01/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला – उ.ब. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 229/खनिज/उत्ख.यो.अनु./उ.प./2021–22 कांकेर, दिनांक 02/07/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/912/खनिज/उत्ख.प./2021 धमतरी, दिनांक 07/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/911/खनिज/उत्ख. प./2021 धमतरी, दिनांक 07/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। पूर्व में लीज श्री अभिषेक गोलछा के नाम पर थी। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 30/12/2010 से 29/12/2020 तक थी। तत्पश्चात् कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/673/खनिज/पत्थर/उत्ख. पट्टा/2020–21 धमतरी, दिनांक 07/06/2021 द्वारा लीजधारक श्री अभिषेक गोलछा की मृत्यु

उपरांत लीज का नामांतरण उनके विधिक उत्तराधिकारी श्री ज्ञानचंद गोलछा के नाम पर किये जाने हेतु तथा लीज अवधि विस्तार करने के संबंध में आशय पत्र जारी किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./जी/508 धमतरी, दिनांक 27/01/2010 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन भूमि से 1.1/2 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पाईकभाठा 0.66 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–पाईकभाठा 0.68 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 43 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। बलका नहर 1.6 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 5,83,200 टन, माईनेबल रिजर्व 2,64,616 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 2,51,385 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,405.07 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 8,594 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	25,013	षष्टम	30,005
द्वितीय	30,002	सप्तम	30,005
तृतीय	30,001	अष्टम	21,918
चर्तुथ	30,004	नवम	26,677
पंचम	30,004	दशम	10,729

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 900 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
35	2%	0.70	Following activities at Government Primary School, **Village-Paikbhata**	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Potable Drinking Water Facility	0.24
			Running Water Facility for Toilets	0.14
			Plantation with fencing in school/ community health center premises	0.14
			Total	**0.92**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. ऊपरी मिट्टी (Top Soil) के भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 386वीं बैठक दिनांक 01/09/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 08/09/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 389वीं बैठक दिनांक 13/09/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. ऊपरी मिट्टी (Top Soil) के भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 8,594 घनमीटर है, जिसमें से 1,062 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा एवं शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर सहमति प्राप्त भूमि में संरक्षित कर रखा जाएगा। उक्त हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का दिनांक 03/09/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/912/खनिज/उत्ख.प./2021 धमतरी, दिनांक 07/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–पाईकभाठा) का रकबा 1.2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स पाईकभाठा क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री ज्ञानचंद गोलछा) की ग्राम–पाईकभाठा, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 795 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.2 हेक्टेयर, क्षमता – 30,005 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

3. उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व आवेदक, क्षेत्र में उपलब्ध मिट्टी 8,594 घनमीटर को सीमा पट्टी 3,405.07 वर्गमीटर में आवश्यकतानुसार भण्डारण करने के उपरांत अवशेष मिट्टी लगभग 7,532 घनमीटर के भण्डारण हेतु सक्षम प्राधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त की जाए तथा अनुमति की प्रति एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित की जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स पाईकभाठा क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री ज्ञानचंद गोलछा) की ग्राम–पाईकभाठा, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 795 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.2 हेक्टेयर, क्षमता – 30,005 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

29. मेसर्स श्री श्याम वेंचर्स गोंडपेण्ड्री लाईम स्टोन माईन (पार्टनर – श्री संजय अग्रवाल), ग्राम–गोंडपेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1780)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन/ 67035/2021, दिनांक 28/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–गोंडपेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 383, 384, 393(पार्ट), 394/1, 394/2, 395/1, 395/2, 396, 397, 398, 399(पार्ट), 401, 402/1, 402/2, 403/3(पार्ट), 437 एवं 438(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–4.98 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–55,500 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 390वीं बैठक दिनांक 14/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय अग्रवाल, पार्टनर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गोंडपेण्ड्री का दिनांक 06/08/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/856/खनि.अनु.–01/2021 दुर्ग, दिनांक 26/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 855/खनि. लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 25/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 23 खदानें, क्षेत्रफल 51.67 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 855/खनि. लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 25/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, राजमार्ग, राष्ट्रीय राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 852/खनिज/उ.प./2021 दुर्ग, दिनांक 25/08/2021 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 383, 384, 393(पार्ट), 394/2, 395/1, 396, 397, 398, 399(पार्ट), 401, 402/2, 403/3(पार्ट), 437 एवं 438(पार्ट) श्री दयाशंकर अग्रवाल, श्री दयांश अग्रवाल, खसरा क्रमांक 394/1 श्री राजकुमार एवं खसरा क्रमांक 395/2, 402/1 श्री प्रभात वर्मा के नाम पर है। उत्खनन हेतु श्री दयाशंकर अग्रवाल एवं श्री दयांश अग्रवाल का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। खसरा क्रमांक 394/1, 395/2 एवं 402/1 का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–गोंडपेण्ड्री 0.32 कि.मी., स्कूल ग्राम–गोंडपेण्ड्री 0.32 कि.मी. एवं अस्पताल सेलुद 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.22 कि.मी. दूर है। तालाब 0.15 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 31,12,500 टन, माईनेबल रिजर्व 11,93,394 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 10,74,054 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,307 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 26 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर एवं मात्रा 37,054 घनमीटर है, जिसमें से 12,460 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग एवं शेष 24,593 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को गैर माईनिंग क्षेत्र 9,674 वर्गमीटर में भंडारण कर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 79 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 900 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	3,000
द्वितीय	3,000
तृतीय	5,000
चतुर्थ	9,000
पंचम	55,500

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 2,100 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उत्तर–पूर्व दिशा में 150 मीटर की दूरी पर तालाब स्थित होने के कारण 9,674 वर्गमीटर क्षेत्र एवं लीज क्षेत्र के कुछ भाग की चौड़ाई कम होने से उत्खनन नहीं किये जाने के कारण 92 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। साथ ही 2,493 वर्गमीटर क्षेत्र में 19.5 मीटर की गहराई तक ही उत्खनन किया जाएगा। उपरोक्त का उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर का उल्लेख है। समिति का मत है कि सुरक्षा कारणों से बेंच की ऊंचाई एवं चौड़ाई में संशोधन कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. माईनिंग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मात्रा 37,054 घनमीटर है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि ऊपरी मिट्टी की मात्रा 12,460 घनमीटर को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक तथा शेष ऊपरी मिट्टी को गैर माईनिंग क्षेत्र में भंडारित कर वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि सुरक्षा के कारणों से ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 1 मीटर की ऊंचाई से अधिक रखा जाना संभव नहीं है। अतः उपरोक्त के आधार पर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में ग्राम–गोंडपेण्ड्री में आने वाली समस्त खदानों को क्लस्टर में शामिल करते हुए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिसम्बर, 2019 से फरवरी, 2020 के मध्य किया गया था। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एकत्रित बेसलाईन डाटा का उपयोग कर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। जिसे समिति द्वारा इस शर्त पर मान्य किया गया कि परियोजना प्रस्तावक को कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा कि यह खदान उस क्लस्टर का भाग है, जिसके लिए ई.आई.ए. स्टडी पूर्व में की गई थी।

19. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

(ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 855/खनि. लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 25/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 23 खदानें, क्षेत्रफल 51.67 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–गोंडपेण्ड्री) का रकबा 4.98 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–गोंडपेण्ड्री) को मिलाकर कुल रकबा 56.65 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

   iii. Project proponent shall submit revised mining plan for top soil managment, bench width and height accordingly.

   iv. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.

   v. Project proponent shall submit the details of crushers and its pollution control arrangments to control the fugitive emissions.

   vi. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from concern authority.

   vii. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

   viii. Project proponent shall submit land document and agreement copy of land owner of khasra number 394/1, 395/2 & 402/1.

   ix. Project proponent shall ensure that EIA study at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.

xii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

xiii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

30. मेसर्स इस्कॉन स्ट्रीप्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–गुमा, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1781)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 67044/ 2021, दिनांक 28/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–गुमा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित सर्वे क्रमांक 747/3, 747/4, 747/1, 469/6, 469/7 एवं 469/8, कुल क्षेत्रफल – 3.202 हेक्टेयर में स्थापित रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल (री–रोल्ड प्रोडक्ट्स) क्षमता – 50,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर रोलिंग मिल (री–रोल्ड प्रोडक्ट्स) क्षमता – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष (हॉट चार्जिंग आधारित 1,00,000 टन प्रतिवर्ष एवं री–हीटिंग फर्नेस आधारित 50,000 टन प्रतिवर्ष) करने तथा backward integration के तहत् इण्डक्शन फर्नेस (बिलेट्स) क्षमता – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग की कुल लागत 12 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 390वीं बैठक दिनांक 14/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पन्ना लाल बंसल, डॉयरेक्टर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति –

- पूर्व में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 346, दिनांक 07/12/2018 द्वारा री–हीटिंग

फर्नेस री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई।

- जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. **जल एवं वायु सम्मति –**

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा री–हीटिंग फर्नेस री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता – 50,000 टन प्रतिवर्ष एवं पाईप्स एण्ड एम.एस. पाईप्स क्षमता – 90,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु संचालन सम्मति दिनांक 13/02/2019 को जारी की गई है।

- वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है।

3. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम शहर रायपुर 4.6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन डब्ल्यू. आर.एस. कॉलोनी 3.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – कुल क्षेत्रफल 3.202 हेक्टेयर है, जिसमें से स्थापित रोलिंग मिल का क्षेत्रफल 0.8 हेक्टेयर, प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर, फिनिस्ड गुड क्षेत्रफल 0.2 हेक्टेयर, रॉ–मटेरियल यार्ड का क्षेत्रफल 0.102 हेक्टेयर, पार्किंग का क्षेत्रफल 0.1 हेक्टेयर, रोड का क्षेत्रफल 0.2 हेक्टेयर एवं हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल 1.3 हेक्टेयर (लगभग 40.6 प्रतिशत) होगा।

5. **रॉ–मटेरियल –**

For Induction Furanace (Billets)		
Name of Raw Material	**Quantity (TPA)**	**Mode Transport**
Sponge Iron	1,22,000	By Road
Scrap	37,000	
Alloys	3,200	
For Rolling Mill (Re-rolled Products)		
Billets	1,50,000	In house billets

6. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी** – वर्तमान में स्थापित कोल गैसीफॉयर आधारित रोलिंग मिल द्वारा कुल क्षमता 50,000 टन प्रतिवर्ष से री–रोल्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जाता है। क्षमता विस्तार उपरांत प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु इंडक्शन फर्नेसेस क्षमता–1,50,000 टन प्रतिवर्ष स्थापित किया

जाना प्रस्तावित है। कोल गैसीफॉयर आधारित रोलिंग मिल की क्षमता 50,000 टन प्रतिवर्ष एवं 1,00,000 टन प्रतिवर्ष क्षमता की रोलिंग मिल को हॉट चार्ज्ड सिस्टम से री–रोल्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है।

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर (पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम) एवं 35 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् इण्डक्शन फर्नेस से स्लेग–8,110 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल से मिल स्केल – 1,000 टन प्रतिवर्ष, फिल्टर डस्ट – 0.5 टन प्रतिवर्ष तथा यूस्ड आयल – 1 किलोलीटर प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। स्लेग को स्लेग क्रशिंग इकाई को उपलब्ध कराया जाएगा। मिल स्केल एवं फिल्टर डस्ट को पुनः प्रोसेस में उपयोग किया जाएगा। यूस्ड आयल को अधिकृत विक्रेता को विक्रय किया जाएगा। यही व्यवस्थायें प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् परियोजना हेतु कुल 90 घनमीटर प्रतिदिन जल का उपयोग किया जाएगा। औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 70 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 5.5 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन तथा घरेलू हेतु 4.5 घनमीटर का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल औद्योगिक दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग किया जाएगा। साथ ही ई.टी.पी.(न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। ई.टी.पी. से उपचारित जल को डस्ट सप्रेशन में उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 3.6 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का विस्तृत विवरण फ्लोचार्ट सहित प्रस्तुत नहीं की गई है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिए जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 20,740 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 15 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 16 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। वर्तमान में विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट एकॉस्टिक इंक्लोजर में स्थापित है। जिसमें 12 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु 1,188 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् 1.3 हेक्टेयर (लगभग 40.6 प्रतिशत) क्षेत्र में 2,062 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी चौड़ाई 8 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य अक्टूबर, 2021 से दिसम्बर, 2021 मध्य किया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit compliance report of Environment clearence from Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur.

ii. Project proponent shall submit compliance report of Air and Water consent from Chhattisgarh Environment Conservation Board if any violation related to environmental pollution committed by industry in last one year and the remedial measures taken in this regard.

iii. Project proponent shall submit the revised layout earmarking altleast 20m wide green belt all along the pheriphery of the project area.

iv. Project proponent shall complete plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

v. Project proponent shall submit details of water balance chart & STP flow chart with process and proposal for maintaining zero discharge condition and ETP along with its process flow chart.

vi. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

vii. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.

viii. Project proponent shall submit the details of air pollution equipments and its control arrangements , number pf stacks and stack height calculations.

ix. Project proponent shall submit the details calculation of fuel used for proposed unit.

x. Project proponent shall submit the detailed calculation of pollution load (PM, SO_X, NO_X) of existing & proposed unit.

xi. Project proponent shall submit the details of solid waste management, water requirement & waste water management for existing & proposed unit.

xii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiv. Project proponent shall ensure that all internal roads made pucca and submit photographs with final EIA.

xv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

31. मेसर्स चंगोरी लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री आदित्य भगत), ग्राम–चंगोरी, तहसील–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1784)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन/ 67085/2021, दिनांक 30/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–चंगोरी, तहसील–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 25/24, कुल क्षेत्रफल–1.374 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–15,435 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 390वीं बैठक दिनांक 14/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विकास श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत चंगोरी का दिनांक 06/03/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना –** क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/1519(ए)/ख.लि.–2/2021 रायगढ़, दिनांक 28/07/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 1419/खनिज/ख.लि.3/उ.प./2021 अम्बिकापुर, दिनांक 13/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 22 खदानें, क्षेत्रफल 22.142 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 1420/खनिज/ख.लि.3/उ.प./2021 अम्बिकापुर, दिनांक 13/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, अस्पताल, आबादी क्षेत्र, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राजमार्ग, राष्ट्रीय राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण –** भूमि आवेदक के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/1098/खनिज/ख.लि.1/न.क्र.1/2020 अम्बिकापुर, दिनांक 15/06/2021 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमंडल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2690 अम्बिकापुर, दिनांक 07/09/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन भूमि से 7 कि.मी. से 8 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–चंगोरी 0.8 कि.मी., स्कूल ग्राम–चंगोरी 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–चंगोरी 0.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7.15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10 कि.मी. दूर है। गागर नदी 0.7 कि.मी. एवं तालाब 0.52 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,71,750 टन, माईनेबल रिजर्व 1,09,762 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,07,567 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,065 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर एवं मात्रा 2,418.75 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	14,700	षष्टम	7,350
द्वितीय	14,455	सप्तम	6,615
तृतीय	15,067	अष्ठम	5,880
चतुर्थ	15,312	नवम	6,247
पंचम	15,435	दशम	6,504

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ओव्हर बर्डन की मोटाई 0.75 मीटर एवं मात्रा 7,256 घनमीटर को रैम्प एवं हॉल रोड में उपयोग किया जाएगा शेष बचे हुए ओव्हर बर्डन को स्वयं की भूमि क्षेत्रफल 2,000 वर्गमीटर पर संरक्षित रखने हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत भंडारित किया जायेगा।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 2.86 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 813 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में ग्राम–चंगोरी में आने वाली दो अन्य खदानों (श्री द्वितेंद्र मिश्रा एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता) को क्लस्टर में शामिल करते हुए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15/03/2021 से 15/06/2021 के मध्य किया गया था। तत्समय उपरोक्त दोनों खदानों द्वारा प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र में आवेदित खदानों का उल्लेख किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एकत्रित बेसलाईन डाटा का उपयोग कर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

(ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 1419/खनिज/ख.लि.3/उ.प./2021 अम्बिकापुर, दिनांक 13/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 22 खदानें, क्षेत्रफल 22.142 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–चंगोरी) का रकबा 1.374 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–चंगोरी) को मिलाकर कुल रकबा 23.516 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

   ii. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.

   iii. Project proponent shall submit NOC for usage of water.

   iv. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

   v. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

   vi. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

   vii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से

समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

32. मेसर्स क्वीन्स ग्रीन इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड, सेक्टर–24, झांझ लेक, मुक्तीधाम के पास, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1786)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 67156/2021, दिनांक 31/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सेक्टर–24, झांझ लेक, मुक्तीधाम के पास, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, खसरा क्रमांक – 4/2 एवं अन्य 196 खसरा, क्षेत्रफल – 56.17 हेक्टेयर (134 एकड़) में प्रस्तावित रेसीडेंशियल कॉम्पलेक्स के साथ गोल्फ कोर्स एवं एमेनिटिस के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत 100 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 390वीं बैठक दिनांक 14/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री महेश वाधवानी, प्रोजेक्ट ईनचार्ज विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि यह प्रकरण उल्लंघन का है। उनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना परियोजना के कुल निर्माण कार्य का 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में लगभग उक्त परियोजना हेतु राशि 75 करोड़ रूपये खर्च किया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि विगत 3 से 4 माह से कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया गया है एवं उनके द्वारा समिति के समक्ष यह आश्वासन दिया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त न होने तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि परिवेश पोर्टल में टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाइन आवेदन के फॉर्म में "Whether proposal involved violation of EIA notification" में त्रुटिवश "No" करके आवेदन किया गया था। उनके द्वारा वर्तमान में पुनः प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 67423/2021, दिनांक 08/09/2021 को परिवेश पोर्टल में टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाइन आवेदन के फॉर्म में "Whether proposal involved violation of EIA notification" में "Yes" करके आवेदन किया गया है। उनके द्वारा प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 67156/2021, दिनांक 31/08/2021 को वापस लिया जाकर प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 67423/2021, दिनांक 08/09/2021 में आगामी कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।
3. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम शहर केपिटल कॉम्पलैक्स 2.5 कि.मी., रेलवे स्टेशन मंदिर हसौद 9.25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 4.95 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग 43/30 – 0.95 कि.मी. दूर है। खारून नदी 13.9 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. सयुंक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/13474/नग्रानि/धारा–30'क'/पी.एल.07/17 रायपुर, दिनांक 22/11/2017 अनुसार विकास अनुज्ञा जारी की गई है।

5. भवन अधिकारी, नया रायपुर डेव्लपमेन्ट आथॉरिटी के ज्ञापन क्र 2390–5–/यो.न.नि.प्र./भा.नि.अ./एन.आर.डी.ए./2018 नया रायपुर, दिनांक 24/03/2018 द्वारा कुल निर्मित क्षेत्रफल 41,910.74 वर्गमीटर हेतु भवन निर्माण अनुज्ञा जारी की गई है।

6. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S. No.	Particulars	Area (in m^2)	Percentage (%)
1.	Golf Course	3,78,539.80	67.38
2.	Golf Parking and Roads	31,160.20	5.55
3.	Admin Building and club house	20,998.94	4.31
4.	Parking (Admin and club house)	3,221.97	
5.	Residential Area	84,139.80	14.98
6.	OSR	13,008.15	2.32
7.	Residential and commercial road	25,091.40	4.47
8.	Commercial	5,563	0.99
	Total	**561723.26**	**100.00**

7. प्रस्तावित कार्यकलापों की सुविधाओं का उपयोग रेसीडेंशियल विलास में 670 व्यक्तियों, क्लब हाउस में 122 व्यक्तियों, रेस्टोरेन्ट में 250 व्यक्तियों, स्यूट रूम में 3, बैंनक्यूट हॉल में 335 व्यक्तियों, स्पोर्ट काम्पलेक्स में 80 व्यक्तियों एवं विजिटर में 50 व्यक्तियों इस प्राकार अनुमानित कुल 1,510 व्यक्तियों द्वारा किया जाना बताया गया है।

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण** – निर्माण के दौरान उत्पन्न फ्युजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु ग्रीन नेट से ढ़क कर निर्माण कार्य एवं नियमित जल छिड़काव किया गया है। शेष निर्माण कार्यों के लिए भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई जाएगी। आंतरिक मार्गों का पक्कीकरण किया जाएगा।

9. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** – निर्माण के दौरान उत्खनित मिट्टी को ढके हुए क्षेत्र में रखा जाएगा एवं उस मिट्टी का उपयोग लेण्ड स्केपिंग, लेवलिंग एवं बैक फिलिंग में उपयोग किया जाएगा। रिसाईक्लेबल अपशिष्टों को अधिकृत वेण्डर्स

को विक्रय किया जाएगा। ब्रोकन ब्रिक्स, ब्रोकन टाईल्स आदि का उपयोग रोड निर्माण कार्य में उपयोग किया जाएगा। परियोजना से ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु तीन कलर बिन/बैग पद्धति अपनायी जाएगी। परियोजना से उत्पन्न कुल ठोस अपशिष्ट की मात्रा 706.61 किलोग्राम प्रतिदिन (वेट अपशिष्ट 431.61 किलोग्राम प्रतिदिन एवं रिसाईक्लेबल अपशिष्ट 206.25 किलोग्राम प्रतिदिन एवं इनर्ट 68.75 किलोग्राम प्रतिदिन) होगी। उत्पन्न ठोस अपशिष्टों को वेट एवं रिसाईक्लेबल के अनुसार संग्रहित किया जाएगा। एकत्रित अपशिष्ठ को अपवहन हेतु अटल नगर विकास प्राधिकरण, नवा रायपुर को उपलब्ध कराया जाएगा।

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना में ऑपरेशन फेज हेतु 185 घनमीटर प्रतिदिन (फ्रेश वॉटर हेतु 126 घनमीटर प्रतिदिन एवं रिसाइकल वॉटर हेतु 59 घनमीटर प्रतिदिन) जल का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति परियोजना हेतु अटल नगर विकास प्राधिकरण, नवा रायपुर से की जाएगी।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण** – दूषित जल की मात्रा 164 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू से 104.3 घनमीटर प्रतिदिन एवं फ्लशिंग से 59 घनमीटर प्रतिदिन)उत्पन्न होगा। दूषित जल के उपचार हेतु बायोफिल्टर सिस्टम टैकनोलॉजी आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 175 घनमीटर प्रतिदिन, स्थापित किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन, इक्विलाइजेशन टैंक, स्ट्रेनर, बायोफिल्टर बैड, इन्टरमिडियट टैंक, प्रेशर/ग्रेविटी सेण्ड फिल्टर, डिसइन्फेक्सन सिस्टम तथा ट्रिटेड वॉटर टैंक आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल को डिसइन्फेक्शन कर विभिन्न कार्यो में उपयोग किया जाएगा। उपचारित जल को फ्लशिंग हेतु 59 घनमीटर प्रतिदिन, फ्लोर क्लिनिंग हेतु 20 घनमीटर प्रतिदिन एवं हार्टिकल्चर हेतु 81 घनमीटर प्रतिदिन उपचारित जल का उपयोग किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उत्पन्न स्लज का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाएगा।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

11. **विद्युत खपत** – परियोजना हेतु 2,200 मेगावॉट की आवश्यकता होगी। जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1 नग 400 के.व्ही.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकॉस्टिकली इंक्लोजर में स्थापित किया जाएगा, जिससे संलग्न चिमनी की ऊंचाई ग्राउण्ड लेवल से 3 मीटर (सी.पी.सी.बी. द्वारा निर्धारित नॉर्म्स के आधार पर) रखा जाएगा।

12. **वृक्षारोपण संबंधी विवरण** – परियोजना हेतु 3,78,539.8 वर्गमीटर (67.38 प्रतिशत) क्षेत्रफल में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण हेतु गोल्फ कोर्स एवं अन्य क्षेत्र का पृथक–पृथक ले–आउट प्लान में वृक्षारोपण को दर्शाते हुए ई.आई.ए. में समावेश किया जाना आवश्यक है।

13. **ऊर्जा संरक्षण उपाय** – परिसर में सभी स्थलों पर एल.ई.डी. लाइट प्रयुक्त किया जाएगा। लेण्ड स्कैपिंग एवं ड्राईव–वे में सोलर एल.ई.डी. लाईटिंग सिस्टम प्रस्तावित है।

14. भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ अकंन समिति के 25वीं बैठक (इण्डस्ट्रीज–1 सेक्टर) दिनांक 25 से 27 नवम्बर, 2020 को विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई थी। जिसके प्रकरण क्रमांक 25.2 में मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड, कलिंगानगर इण्डस्ट्रीयल कॉम्पलेक्स, दुबुरी, जिला–जजपुर (ओड़िशा) के ऑनलाईन आवेदन क्रमांक आईए/ओआर/आईएनडी/128148/2016 दिनांक 21/09/2016 पर विशेषज्ञ अकंन समिति द्वारा निम्न तथ्य प्रस्तुत किया गया:–

"25.2.4 Based on the EAC recommendations, the file was processed wherein the Competent Authority of MoEF&CC observed that the instant case is beyond the applicability of S.O. 804 (e) dated 14/03/2017 and directed to adopt the following principle in all cases where violation is suspected or alleged.

i. Send the matter to the Sector EAC for consideration of the case on merit.
ii. Take action against the alleged violation as per law.
iii. Do not wait for either the evidence of action having been started or violation proceedings to finish before taking up the case on merit.
iv. The EC if given after consideration on merit would be valid from the date it is given and not with retrospective effect. For the period before it, if violation is established by the court or the competent authority, the punishment/penalty as per law would be imposed."

साथ ही भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ अकंन समिति के 10वीं बैठक (इण्डस्ट्रीज–3) दिनांक 18 से 19 मई, 2021 को विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई थी। जिसके एजेण्डा क्रमांक 10.1 में मेसर्स संस्कार केमिकल्स एण्ड ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–अम्मूर, ग्राम–चेट्टीथंगल, तहसील–वालाजाह, जिला–वेल्लोर (रानीपेट), तमिलनाडु पर विचार कर निम्न तथ्यों से अवगत कराया गया:–

"The Member Secretary informed the Committee that the Competent Authority in the Ministry, in a related case (of M/s Tata Steel Limited, Odisha, F. No. J-11011/7/2006-IA-II(I)), has observed and directed that the case is beyond the applicability of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and should be considered by EAC as normal project. He also informed the Committee that the Competent Authority in the Ministry has also directed to follow the procedure adopted in the case of M/s Electrosteel Ltd (F.No.L-11011/188/2017-IA.II(I)(Pt)) for consideration of such cases. It was also directed in the F. No. 2/8/2021-IA.III, to consider such cases of violation for grant of ToR/EC, if there is no specific stay by the Hon'ble Courts on consideration of such projects."

15. उपरोक्त उल्लंघन के प्रकरणों पर भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ अकंन समिति द्वारा विचार करते हुए निर्णय लिया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर राज्य स्तर विशेषज्ञ अकंन समिति, छत्तीसगढ़ द्वारा इस प्रकरण पर विचार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को निर्देशित की जाए। साथ ही स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु भी लिखा जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बिना पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये, परियोजना के कुल निर्माण कार्य का 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिये जाने के संबंध में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को उक्त तथ्यों से अवगत कराया जाए। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण से यह भी अनुरोध किया जाए कि आगामी परियोजनाओं में उनके द्वारा किसी परियोजना को **"पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए"** की शर्त के अधीन अनुमति प्रदान की जाए।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के अनुसार उल्लंघन करने वाले प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार बैंक गारंटी प्रस्तुत किये जाने के निर्देश है:—

   "The project proponent shall be required to submit a bank guarantee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Chhattisgarh Environment Conservation Board prior to the grant of EC. The quantum shall be recommended by the SEAC, C.G. and finalized by the SEIAA C.G. the bank guarantee shall be release after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan, and after the recommendation of the concerned Regional Office of the Ministry, the SEAC, C.G. and approval of the SEIAA C.G."

4. विचाराधीन परियोजना उल्लंघन का प्रकरण है। अतः समिति द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार एवं प्रकरण बी—1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 8(बी) टाउनशिप्स एण्ड एरिया डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) निम्न अतिरिक्त बिन्दुओं सहित जारी किए जाने की अनुशंसा की गई:—

   i. The Project proponent shall give an undertaking within a week by way of affidavit to comply with all the statutory requirement and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. before grant of ToR / EC. The undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation in future.

ii. In case of violation of above undertaking, the ToR / EC shall be liable to be terminated forthwith.

iii. Project proponent shall submit the videography and photographs of current status of the project area as on dated 14/09/2021 to SEIAA, CG within a week.

iv. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

v. Project proponent shall submit the details of land documents.

vi. Project proponent shall submit NOC from NRANVP for usage of water.

vii. Project proponent shall submit details of Sewage Treatment Plant (STP) along with process flow diagram and design & capacity of organic waste convertor.

viii. Project proponent shall submit individual revised layout plan of golf course area and other areas and carry out plantation during the current year incorporating the details alongwith photographs in the EIA report.

ix. Project proponent shall explore feasibility to install as maximum as possible solar power / lighting systems within premises.

x. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of installed / proposed structures in EIA report.

xi. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the environment (Protection) Act 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.

xii. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural and community resource augmentation plan corresponding to ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.

xiii. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA eport by accredited consultants.

xiv. The Environment Clearance will not be operational till such time the Project Proponent complies with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

xv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works and detail estimates.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

i. टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाइन आवेदन के फॉर्म में "Whether proposal involved violation of EIA notification" में त्रुटिवश "No" करके आवेदन किया गया

था। उनके द्वारा वर्तमान में पुनः प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 67423/2021, दिनांक 08/09/2021 को परिवेश पोर्टल में टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाइन आवेदन के फॉर्म में "Whether proposal involved violation of EIA notification" में "Yes" करके आवेदन किया गया है। उनके द्वारा प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 67156/2021, दिनांक 31/08/2021 को वापस लिया जाकर प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 67423/2021, दिनांक 08/09/2021 में आगामी कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया। जिसके परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक के प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 67156/2021, दिनांक 31/08/2021 द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

ii. प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 67423/2021, दिनांक 08/09/2021 द्वारा ऑनलाईन आवेदन में उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (बिना लोक सुनवाई) जारी करने का निर्णय लिया गया।

iii. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को निर्देशित की जाए। साथ ही स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु भी लिखा जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को पत्र लिखा जाए।

33. मेसर्स श्री शनि अग्रवाल (रामनगर ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी माईन एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट), ग्राम–रामनगर, तहसील व जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1787)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 227173/2021, दिनांक 31/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–रामनगर, तहसील व जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1131, 1132 एवं 1133, कुल क्षेत्रफल–1.09 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 980.1 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 9,81,708 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 08/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 390वीं बैठक दिनांक 14/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विष्णु अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–

i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 1131, 1132 एवं 1133, कुल क्षेत्रफल–1.09 हेक्टेयर, क्षमता–1,628.28 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 7,00,350 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–सूरजपुर द्वारा दिनांक 20/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई है।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 200 नग पौधों का रोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1509/खनिज/2021 सूरजपुर, दिनांक 13/08/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
2016	870	5,00,000
2017	1,027	5,90,000
2018	696	4,00,000
2019	696	4,00,000
2020	निरंक	निरंक

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत रामनगर का दिनांक 10/08/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एवं क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के पृ. ज्ञापन क्रमांक 103/खनिज/खलि.2/2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 19/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1508/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 13/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1508/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 13/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री शनि अग्रवाल के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षो अर्थात् दिनांक 15/10/2009 से 14/10/2019 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षों की, दिनांक 15/10/2019 से 14/10/2039 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 1131, 1132 श्री विष्णु अग्रवाल एवं खसरा क्रमांक 1133 श्री सुरजन के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–रामनगर 0.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–रामनगर 2.9 कि.मी. एवं अस्पताल सूरजपुर 8.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.85 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 20 कि.मी. दूर है। तालाब 0.86 कि.मी. एवं रेहर नदी 2.45 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 11,591 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 10,890 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 9,801 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 454 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर स्थापित फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 10 टन कोयले की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की गई है। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
2021–22	980	2026–27	980
2022–23	980	2027–28	980
2023–24	980	2028–29	980
2024–25	980	2029–30	980
2025–26	980		

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.02 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 227 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एक लाख ईंट निर्माण हेतु 10 टन कोयला से लगभग 32 प्रतिशत (31.41 टन प्रतिवर्ष) ऐश जनित होगा, जिसका उपयोग ईंट निर्माण में किया जाएगा। साथ ही रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks) / ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग बण्ड, हॉल रोड के रख–रखाव एवं लीज क्षेत्र के चारो तरफ पिट्स के भराव हेतु किया जाएगा।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
22.95	2%	0.45	Following activities at Government Primary School, **Village-Adarpara (Ramnagar)**	
			Rain Water Harvesting System	0.49
			Plantation	0.05
			Total	**0.54**

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1508/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 13/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–रामनगर) का रकबा 1.09 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स श्री शनि अग्रवाल (रामनगर ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी माईन एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट) की ग्राम–रामनगर, तहसील व जिला–सूरजपुर के खसरा क्रमांक 1131, 1132 एवं 1133 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई, कुल क्षेत्रफल–1.09 हेक्टेयर, क्षमता – 980 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 9,81,708 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स श्री शनि अग्रवाल (रामनगर ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी माईन एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट) की ग्राम–रामनगर, तहसील व जिला–सूरजपुर के खसरा क्रमांक 1131, 1132 एवं 1133 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई, कुल क्षेत्रफल–1.09 हेक्टेयर, क्षमता – 980 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 9,81,708 नग) प्रतिवर्ष हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर जिग–जेग आधारित किल्न एवं फिक्स चिमनी में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ग्रेविटी सेटलिंग चेम्बर की स्थापना की जाए। साथ ही एक लाख ईंट उत्पादन हेतु 10 टन से अधिक कोयले का उपयोग नहीं की जाए।

ii. खदान बंद होने के उपरांत खदान के चारों तरफ वृक्षारोपण के साथ–साथ वृक्षों के बीच में झाड़िया व घास लगाया जाये, जिससे मृदा अपरदन/भूमि क्षरण व सिल्टेशन को रोका जा सके।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

34. मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–खरगहनी, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1222)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 51827/2020, दिनांक 02/03/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी / सीएमआईएन/ 67036/2021, दिनांक 28/08/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–खरगहनी, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 79/1, 78, 95, 80, 81, पार्ट ऑफ 82, 84, 86, 87, पार्ट ऑफ 55, 56, 59/1, 58/1 एवं 58/2, कुल क्षेत्रफल – 16.37 एकड़ में प्रस्तावित कोल वॉशरी क्षमता–0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपये 22 करोड़ होगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/06/2020 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 2(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) कोल वॉशरी क्षमता–0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष वेट टाईप हेतु हेतु टीओआर जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 390वीं बैठक दिनांक 14/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विशाल कुमार जैन, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स आईएनडी टेक हाउस कन्सलट, दिल्ली की ओर से श्री जे.के. मोईत्रा, ई.आई.ए. को–आर्डिनेटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - निकटतम आबादी ग्राम–पथर्रा 0.5 कि.मी., ग्राम–खरगहनी 0.9 कि.मी., शहर कोटा 5 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन 1.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है। गोकेना नाला 0.15 कि.मी., छापी नाला 4.6 कि.मी., घोंघा नदी 5.6 कि.मी. एवं अरपा नदी 5 कि.मी. दूर है।

   - रामचंदा आरक्षित वन 5.5 कि.मी., कुआजाती आरक्षित वन 6.5 कि.मी., लोरभी आरक्षित वन 7 कि.मी., रतनपुर संरक्षित वन 7.5 कि.मी. एवं शिवतराई संरक्षित वन 9 कि.मी. दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि बरसाती नाला 300 मीटर दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – परियोजना स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत खरगहनी का दिनांक 21/05/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीवन और क्षेत्रीय निदेशक अचानकमार टाईगर रिजर्व, कोनी, जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/व.प्रा./तक.अधि./2021/1082 बिलासपुर, दिनांक 26/03/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा अचानकमार टाईगर रिजर्व से 24.2 कि.मी. की दूरी पर है।

4. संचालक, कार्यालय संचालक, अचानकमार–अमरकंटक जैव मंडल क्षेत्र, कोनी, जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक एमजीएमटी/540 दिनांक 07/09/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा अचानकमार–अमरकंटक जैव मंडल क्षेत्र से 5.51 कि.मी. की दूरी पर है।

5. **भूमि स्वामित्व** – भूमि महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है।

6. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – कुल क्षेत्रफल 16.37 एकड़ है, जिसमें वॉशरी प्लांट 2.75 एकड़, रॉ–कोल, स्टॉक यार्ड, क्लीन कोल एवं रिजेक्ट्स 3.45 एकड़, अन्य फेसिलिटी 0.47 एकड़, तालाब 1.44 एकड़ एवं ग्रीन बेल्ट 8.26 एकड़ (50.46 प्रतिशत) में प्रस्तावित है।

7. **रॉ–मटेरियल** – रॉ–कोल 0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष उपयोग किया जाएगा। वाश्ड कोल 0.792 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं रिजेक्ट्स कोल 0.198 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। रॉ–कोल एस.ई.सी.एल. कोरबा के खदानों दीपका, गेवरा एवं कुसमुंडा से आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। खदान से वॉशरी तक रॉ–कोल का परिवहन सकड़ मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा। वॉशरी से वाश्ड कोल का 30 से 40 प्रतिशत परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों एवं 60 से 70 प्रतिशत रेलमार्ग द्वारा किया जाएगा। रिजेक्ट का परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा।

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – कोल क्रशर इकाई, रोटरी ब्रेकर एवं स्क्रीन हाऊस में डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर की स्थापना की जाएगी। सभी कोल कन्व्हेयर बेल्ट्स एवं जंक्शन प्वाईट्स को ढ़का जाकर अतिरिक्त बेग फिल्टर से संलग्न कर चिमनी से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। परिसर के चारों ओर 3 मीटर ऊँची बाउण्ड्री वॉल का निर्माण एवं रेन गन के साथ ऊँची स्क्रीन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही डस्ट सप्रेशन / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु परिसर के भीतर एवं पहुंच मार्ग में जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही निम्न अतिरिक्त उपाय किए जायेंगे:–

   I. उद्योग द्वारा कोल क्रशर इकाई, रोटरी ब्रेकर एवं स्क्रीन हाऊस जैसे धुल उत्सर्जक इकाईयों की दूरी समीपस्थ रेल मार्ग से कम से कम 215 मीटर रखी जायेगी।

   II. उद्योग द्वारा परिसर के 50.46 प्रतिशत क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके तहत् चारों तरफ कम से कम 20 मीटर हरित पट्टी का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

   III. उद्योग द्वारा प्रस्तावित वॉशरी की पश्चिम दिशा एवं रेलवे लाईन की तरफ कम से कम 25 मीटर ऊंचाई प्राप्त कर सकने वाली वृक्ष प्रजातियों का सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

   IV. उद्योग द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से उपयुक्त मात्रा में बंजर भूमि उपलब्ध कराये जाने पर अमराई का वृक्षारोपण किया जाएगा।

   V. उद्योग द्वारा पश्चिम दिशा में 3 मीटर ऊँची बाउण्ड्रीवाल एवं इसके ऊपर 4 मीटर उंची स्क्रीन विंड वॉल के साथ रेन गन लगाया जायेगा। साथ ही रेल मार्ग की ओर कम से कम 3 मीटर ऊँची बाउण्ड्रीवाल एवं इसके ऊपर 4 मीटर उंची स्क्रीन विंड वॉल के साथ रेन गन लगाया जायेगा

   VI. रॉ–कोल अनलोडिंग स्टॉक यार्ड एवं प्रत्येक ट्रान्सफर प्वाईट पर डस्ट सप्रेशन हेतु रेन गन लगाया जाएगा।

   VII. उद्योग द्वारा संपूर्ण आंतरिक मार्गों का पक्कीकरण किया जायेगा। आंतरिक मार्गों की सफाई एवं जल छिड़काव नियमित रूप से किया जाएगा।

   VIII. कोयले का परिवहन तारपोलिन से ढ़क कर एवं सील लगे हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वॉशरी रिजेक्ट्स लगभग 0.198 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को संभावित खरीददारों (Prospective buyers) को विक्रय किया जाएगा।

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – घरेलू उपयोग हेतु 30 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 20 घनमीटर प्रतिदिन एवं वॉशरी हेतु 3,880 घनमीटर प्रतिदिन जल की खपत होगी। वॉशरी से उत्पन्न दूषित जल 3,680 घनमीटर प्रतिदिन को सेटलिंग पॉण्ड एवं बेल्ट प्रेस से उपचार उपरांत पुनः उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार कुल फ्रेश वॉटर की आवश्यकता 250 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसकी आपूर्ति भू–जल से की जाएगी। परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से 250 घनमीटर प्रतिदिन के लिए दिनांक 06/05/2021 से 05/05/2024 तक अनुमति प्राप्त की गई है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – हैवी मीडिया सायक्लोन आधारित वेट कोल वॉशरी स्थापित किया जाएगा। क्लोज्ड लूप वॉटर सिस्टम व्यवस्था की जाएगी। प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु थिकनर, बेल्ट प्रेस एवं सेटलिंग पॉण्ड की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को उपरोक्तानुसार उपचार उपरांत पुनः प्रक्रिया में तथा परिसर के भीतर वृक्षारोपण में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट क्षमता 30 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना की जाएगी। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

11. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 27,750 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 1 तालाब 18,252 घनमीटर (लंबाई 65 मीटर, चौड़ाई 65 मीटर, गहराई 8 मीटर) एवं 1 तालाब 6,912 घनमीटर (लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर, गहराई 8 मीटर) क्षमता का निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। समिति का मत है कि उक्त कार्य आगामी 01 माह में पूर्ण किया जाए।

12. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु 1,500 के.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 2 नग गुणा 500 के.व्ही.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकॉस्टिक इंक्लोजर में स्थापित किया जाएगा एवं सीपीसीबी द्वारा निर्धारित ऊंचाई (10 मीटर) की चिमनी संलग्न की जाएगी।

13. **वृक्षारोपण की स्थिति** – कुल क्षेत्रफल में से 8.26 एकड़ (50.46 प्रतिशत) में 1,000 नग प्रति एकड़ पौधों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। चारों तरफ कम से कम 20 मीटर हरित पट्टी का विकास किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित बॉशरी की पश्चिम दिशा एवं रेलवे लाईन की तरफ कम से कम 25 मीटर ऊंचाई प्राप्त कर सकने वाली वृक्ष प्रजातियों का सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति द्वारा वृक्षारोपण का कार्य आगामी 6 माह में पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

14. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूम्बर, 2020 से दिसम्बर, 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 10 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 16.1 से 32.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 20.0 से 42.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 4.0 से 5.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_2$ 9.0 से 11.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेशीय वायु में जी.एल.सी. (GLC) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार परियोजना के प्रारंभ होने के उपरांत पी.एम. की मात्रा 3.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि, डी.जी. सेट से सल्फर डाईआक्साईड की मात्रा 0.18 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि एवं एन.ओ.$_{एक्स}$ की मात्रा 5.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि होगी।

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 50.4 डीबीए से 52.3 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 41.4 डीबीए से 42.2 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

v. भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 9,342 पी.सी.यू. प्रतिदिन है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 10,299 पी.सी.यू. प्रतिदिन होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक के भीतर है।

15. लोक सुनवाई दिनांक 11/08/2021 प्रातः 12:00 बजे ग्राम–खरगहनी के पंचायत भवन के पास स्थित मैदान, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 24/08/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

16. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. प्रस्तावित उद्योग की स्थापना हेतु चयनित स्थल के आस–पास किसानों की उपजाऊ भूमि है। कोल डिपो स्थापित करने पर किसानों की उपजाऊ भूमि

एवं उनकी कृषि भूमि पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा तथा निश्चित रूप से उपजाऊ भूमि खराब होगी तथा पर्यावरण खराब होगा।

ii. पूर्व से संचालित वेलकम डिसलरी प्राईवेट लिमिटेड के संचालन से वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुई है। प्रस्तावित उद्योग की स्थापना से भविष्य में बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है।

iii. उद्योग की स्थापना से सड़क पर बड़ी–बड़ी वाहनों के आवागमन से दुर्घटना होने की संभावना है।

iv. उद्योग की स्थापना से आस–पास के क्षेत्र में रहवासियों को जैसे – खांसी, अस्थमा, श्वास लेने संबंधी आदि गंभीर बिमारियां उत्पन्न होने की संभावना है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. उद्योग परिसर के भीतर चारों तरफ सघन वृक्षारोपण किया जाएगा, रेन गन एवं वॉटर स्प्रिंकलर द्वारा नियमित रूप से जल छिड़काव किया जाएगा। कोल वॉशरी में प्रदूषण नियत्रंण हेतु उच्च दक्षता का बेग फिल्टर लगाया जाएगा। साथ ही टैंकर द्वारा सड़कों पर नियमित रूप से जल छिड़काव किया जाएगा। अतः गांव की उपजाऊ जमीन पर किसी भी प्रकार से प्रदूषण नहीं होगा।

ii. प्रस्तावित वॉशरी वेट प्रोसेस प्रक्रिया पर आधारित है तथा इस वॉशरी में शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी, जिससे वॉशरी परिसर की सम्पूर्ण जल को वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा उपचारित कर पुनः उपयोग में लाया जाएगा। वायु प्रदूषण नियत्रंण हेतु उच्च क्षमता का बेग फिल्टर लगाया जाएगा।

iii. कोयला परिवहन करने वाले वाहनों में गति नियंत्रक यंत्र लगाया जाएगा, जिससे वाहन नियमित सुरक्षित गति से चलेगी।

iv. उद्योग परिसर से किसी भी प्रकार का राख एवं अपशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं निकलेगा, जिससे वायु प्रदूषण तथा जल प्रदूषण नहीं होगा। साथ ही उद्योग परिसर के भीतर चारों तरफ सघन वृक्षारोपण किया जाएगा।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
2200	2%	44	Following activities at nearby Government 16 Schools as per	

			proposal	
			Rain Water Harvesting System	31.00
			Potable Drinking water Facility with 5 year AMC	5.60
			Running water facility for Toilets	3.76
			Plantation with fencing	3.64
			Total	**44.00**

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य (1) शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–खरगहनी, (2) शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–लमेर, (3) शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–गोबंद, (4) शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–लारीपारा, (5) शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला एवं उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–जोगीपुर, (6) शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–कल्हामार, (7) शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–मेन्द्रापारा, (8) शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–चेरकाबांधा, (9) शासकीय हाई स्कूल ग्राम–पिपरतराई, (10) शासकीय हाई स्कूल ग्राम–भुन्दा, (11) शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला एवं उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–कंचनपुर, (12) शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–तेंदुभाटा, (13) शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–भैंसझाल, (14) शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–लालपुर, (15) शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–सेमरा, (16) शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–उपरमारा में किया जाएगा।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति** से मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–खरगहनी, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 79/1, 78, 95, 80, 81, पार्ट ऑफ 82, 84, 86, 87, पार्ट ऑफ 55, 56, 59/1, 58/1, 58/2 कुल क्षेत्रफल – 16.37 एकड़ में प्रस्तावित कोल वॉशरी क्षमता–0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–खरगहनी, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 79/1, 78, 95, 80, 81, पार्ट ऑफ 82, 84, 86, 87, पार्ट ऑफ 55, 56, 59/1, 58/1, 58/2 कुल क्षेत्रफल – 16.37 एकड़ में प्रस्तावित कोल वॉशरी क्षमता–0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

35. मेसर्स एस.के.एस. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम–सिलतरा, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 703)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 25179/ 2018, दिनांक 13/04/2018 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 25179/ 2018, दिनांक 17/02/2021 द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत कर पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा उल्लंघन की श्रेणी के अंतर्गत ग्राम–सिलतरा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 16/1, 29/1, 29/2 एवं 28/1, कुल एरिया 121.40 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 2.529 हेक्टेयर में कोल वॉशरी क्षमता–0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 1450 लाख प्रस्तावित है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/04/2018 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 2(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) कोल वॉशरी क्षमता–0.72 मिलियन टन/वर्ष वेट टाईप हेतु जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 17/02/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. जारी टी.ओ.आर. एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई–मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 367वीं बैठक दिनांक 04/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक कुमार गुप्ता, मेनेजिंग डॉयरेक्टर एवं मेसर्स एनाकॉन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्रीकांत बी. व्यावेयर, वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति** – वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के ज्ञापन दिनांक 16/03/2018 द्वारा जारी जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण की जानकारी निम्नानुसार है:–

S.No.	Name of Product	Production Capacity
1.	Sponge Iron	2,70,000 Tonnes per Annum (Two Lakh Seventy Thousand Tonnes per Annum)
2.	Steel Division	3,31,500 Tonnes per Annum (Three Lakh Thirty one Thousand Five Hundred Tonnes per Annum)
3.	Rolling Mill (3+one additional)	3,84,000 Tonnes per Annum (Three Lakh Eighty Four Thousand Tonnes per Annum)
4.	Waste Heat Recovery Based Power Plant	25 MW (Twenty Five Megawatt)
5.	Coal Based Power Plant	2x30 MW (Two into Thirty Megawatt)
6.	Ferro Alloys Plant	29,400 Tonnes per Annum (Twenty Nine Thousand Four Hundred Tonnes per Annum)
7.	Coal Gasifier Plant	5x8,000 Nm^3 / hr (Five into Eight Thousand Nm^3 / hr)
8.	Oxygen / Nitrogen Gas Plant (One No.)	170 Nm^3 / hr (One Hundred Seventy Nm^3 / hr)

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

- निकटतम आबादी ग्राम–मांढर 8 कि.मी. एवं शहर रायपुर 12 कि.मी. की दूरी पर है। निकटम रेल्वे स्टेशन मांढर 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खारुन नदी 0.88 कि.मी. एवं छोकरा नाला 1.03 कि.मी. दूर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.89 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
- ग्राम पंचायत सिलतरा का दिनांक 25/08/2005 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – कुल क्षेत्रफल 2.529 हेक्टेयर है, जिसमें से खसरा क्रमांक 16/1 के अंतर्गत 0.534 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 29/1 के अंतर्गत 0.352 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 29/2 के अंतर्गत 0.809 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 28/1 के अंतर्गत 0.834 हेक्टेयर है।

4. **भू–स्वामित्व** – भूमि मेसर्स एस.के.एस. इस्पात प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है।

5. **रॉ–मटेरियल** – रॉ–कोल 0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष से वाश्ड कोल – 0.54 मिलियन टन प्रतिवर्ष तथा कोल रिजेक्ट्स – 0.18 मिलियन टन प्रतिवर्ष है।

रॉ–कोल एस.ई.सी.एल. / ओपन मार्केट के खदानों से आपूर्ति किया जाना है। खदान से वॉशरी तक रॉ–कोल का परिवहन रेल एवं सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा। वाश्ड कोल का उपयोग स्वयं के इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में किया जाएगा।

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – कोल क्रशर इकाई, रोटरी ब्रेकर एवं स्क्रीन हाऊस में डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर की स्थापना की जाएगी। सभी कोल कन्वेयर बेल्ट्स को ढ़का जाकर बेग फिल्टर से संलग्न कर 30 मीटर चिमनी से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। साथ ही डस्ट सप्रेशन / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। सभी कन्वेयर सिस्टम को ढंका जायेगा।

7. **ठोस अपशिष्ट की मात्रा** – रिजेक्ट कोल 0.18 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। रिजेक्ट्स का उपयोग स्वयं के पावर प्लांट में ईंधन के रूप में उपयोग किया जावेगा।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत संबंधी जानकारी** – कोल वॉशरी में प्रोसेस हेतु लगभग 72 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं इण्डस्ट्रीयल उपयोग हेतु 16 घनमीटर प्रतिदिन जल की खपत होगी। इस प्रकार कुल 90 घनमीटर प्रतिदिन जल खपत होगी। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में जल की आपूर्ति खारून नदी से की जाती है, इस हेतु 4,800 घनमीटर प्रतिदिन जल दोहन हेतु अनुमति जल संसाधन विभाग से प्राप्त किया गया है। यही व्यवस्था कोल वॉशरी भी अपनाई जावेगी। वॉटर बैलेंस चार्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – उद्योग द्वारा वेट प्रोसेस पर आधारित (क्लोज्ड लूप वॉटर सिस्टम व्यवस्था) कोल वॉशरी स्थापित किया गया है। प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु थिकनर एवं सेटलिंग पॉण्ड की स्थापना किया जावेगा। कोल स्लज के डिवॉटरिंग हेतु व्यवस्था की जाएगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को उपरोक्तानुसार उपचार उपरांत पुनः प्रक्रिया में तथा परिसर के अंदर वृक्षारोपण में उपयोग किया जाएगा। घरेलू दूषित जल की मात्रा 1.5 घनमीटर/दिन होगी। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक की व्यवस्था की जायेगी। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जायेगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। केन्द्रीय

भूमि जल प्राधिकरण के अनुसार उद्योग स्थल सेमीक्रिटिकल जोन के अंतर्गत आता है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

9. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु 85 मेगॉवाट विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति स्वयं के केप्टीव पावर प्लांट से की जाएगी।

10. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट परिसर के कुल क्षेत्रफल के लगभग 33 प्रतिशत क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट का विकास किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 700 से 800 नग वृक्षारोपण किया गया था। कोल वॉशरी के चारों तरफ 1,500 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

11. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः–**

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 15 मार्च 2019 से 15 जून 2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 4 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

    ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 15 से 39.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 42 से 112.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 8 से 23.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 10 से 28.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 51.5 डीबीए से 73.6 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 41.3 डीबीए से 61.4 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

12. लोक सुनवाई दिनांक 25/11/2020 प्रातः 03:00 बजे स्थान सी.एस.आई.डी.सी. भवन, औद्योगिक क्षेत्र, फेज–2, ग्राम–सिलतरा, तहसील व जिला–रायपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 05/01/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

13. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

    i. चिमनियों से निकलने वाले धुएं के कारण प्रदूषण अत्यधिक हो रहा है। साथ ही काले धुएं के कारण तालाब का पानी भी प्रदूषित होता है।

    ii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

    iii. जनसुनवाई रखे जाने की सूचना हेतु ग्राम पंचायतों में मुनादी नहीं कराये जाने के कारण जनता अपनी समस्या रख नहीं पाए।

जनसुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. कोल क्रशर इकाई, रोटरी ब्रेकर एवं स्क्रीन हाऊस में डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर की स्थापना की जाएगी। डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी। ई.आई.ए. रिपोर्ट में 10 कि.मी. की परिधि में आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता का अध्ययन किया गया है।

ii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

iii. जनसुनवाई के संदर्भ में जानकारी दी गई थी एवं स्थानीय समाचार पत्रों में भी इसकी सूचना दी गई थी।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा Environmental Compensation हेतु 57.116 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) की गणना की गई है। उक्त गणना का आधार एवं रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा माननीय न्यायलय में कोई वाद दायर नहीं होना बताया गया है, जबकि यह उल्लंघन का प्रकरण है। अतः इस संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:—

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. कोल वॉशरी एवं इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के विभिन्न इकाईयों तथा वृक्षारोपण को दर्षाते हुए ले–आउट प्लान प्रस्तुत की जाए।

3. ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाए।

4. Environmental Compensation हेतु की गई की गणना का आधार एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। तदनुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत की जाए।

5. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/12/2018 के परिपेक्ष्य में की गई कार्यवाही के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी प्राप्त किया जाए।

6. स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 367वीं बैठक दिनांक 04/05/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 29/05/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 374वीं बैठक दिनांक 01/06/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।
2. कोल वॉशरी एवं इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के विभिन्न इकाईयों तथा कम से कम 10–15 मीटर की चौड़ाई में वृक्षारोपण को दर्शाते हुए ले–आउट प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का गणना सहित विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. Environmental Compensation हेतु की गई की गणना का आधार एवं रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
6. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिसर के चारों तरफ एवं स्टॉक यार्ड में रेन गन की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. कोल वॉशरी क्षमता–0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु प्रोसेस में लगभग 90 घनमीटर प्रतिदिन जल खपत होना बताया गया है। जल की मात्रा वॉशरी की क्षमता के संदर्भ में कम प्रतीत् हो रही है। गणना सहित विस्तृत वॉटर बेलेंस चार्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/12/2018 के परिपेक्ष्य में की गई कार्यवाही के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी अप्राप्त है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. कोल वॉशरी एवं इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के विभिन्न इकाईयों तथा वृक्षारोपण को दर्शाते हुए ले–आउट प्लान प्रस्तुत की जाए।
2. ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का गणना सहित विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाए।
3. Environmental Compensation हेतु की गई गणना का आधार एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। तदनुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत की जाए।
4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिसर के चारों तरफ एवं स्टॉक यार्ड में रेन गन की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

5. कोल वॉशरी क्षमता–0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष के अनुसार आवश्यक जल की मात्रा की गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वॉटर बेलेंस चार्ट प्रस्तुत किया जाए।

6. स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/12/2018 के परिपेक्ष्य में की गई कार्यवाही के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी प्राप्त किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 379वीं बैठक दिनांक 19/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक गुप्ता, प्रबंध संचालक एवं पर्यावरणीय सलाहकार के रूप में मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर्स एण्ड कन्सलटेन्ट की ओर से श्री जगमोहन कुमार चंद्रा विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कोल वॉशरी एवं इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के विभिन्न इकाईयों तथा वृक्षारोपण को दर्शाते हुए ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है।

2. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था –** उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 4,19,568 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रिचार्ज पिट (व्यास 4 मीटर, गहराई 4 मीटर) एवं 4 नग रिजर्वायर (पौण्ड) क्षमता 4,94,500 घनमीटर स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अतिरिक्त 4 नग रिचार्ज पिट (व्यास 4 मीटर, गहराई 4 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। स्थापित एवं प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था तथा स्थापित रिजर्वायर से परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

3. **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कार्ययोजना–**

   I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि उनके द्वारा Environmental Compensation की गणना हेतु निर्माण के दौरान जल का उपयोग, उत्सर्जित होने वाले वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इकोलॉजिकल इन्वायरन्मेंट, सोसियो–इकोनॉमिक इन्वायरन्मेंट का समावेश करते हुए रेमेडियल प्लान एवं क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) रुपये 24,23,000, प्राकृतिक संसाधन संवर्धन प्लान रुपये 23,10,000 एवं सामुदायिक संसाधन संवर्धन प्लान रुपये 4,35,000 (कुल–रूपये 51,68,000/–) की गणना कर प्रस्तुत किया गया है। Environmental Compensation की गणना का आधार स्पष्ट नहीं किया गया है।

   II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राकृतिक संसाधन संवर्धन प्लान रुपये 23,10,000 एवं सामुदायिक संसाधन संवर्धन प्लान रुपये 4,35,000 (कुल–रूपये 27,45,000/–) को आस–पास के क्षेत्रों में सोलर पावर की व्यवस्था, पीने

योग्य पानी की व्यवस्था, हैण्ड पम्प के निर्माण, पहुच मार्गों में वृक्षारोपण, टॉयलेट्स के निर्माण, हेल्थ चेकअप किए जाने हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है, जिसे समिति द्वारा अमान्य किया गया।

4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिसर के चारों तरफ एवं स्टॉक यार्ड में स्थापित रेन–गन का फोटोग्राफ्स सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

5. कोल वॉशरी क्षमता–0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष के अनुसार आवश्यक जल की मात्रा की गणना वॉटर बेलेंस चार्ट सहित प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार परियोजना हेतु कुल 254 घनमीटर प्रतिदिन जिसमें से मेकअप वॉटर हेतु 90 घनमीटर प्रतिदिन (प्रोसेस हेतु 72 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन एवं वृक्षारोपण हेतु 16 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) एवं रिसाईकल वॉटर 158 घनमीटर होगी।

6. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1450	1%	14.5	Following activities at 10 Nearby Government Schools	
			Rain Water Harvesting System	8.23
			Potable Drinking Water Facility	5.15
			Running Water Facility	5.00
			Plantation	1.65
			Total	**20.03**

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) कार्य शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–चरौदा, ग्राम–कपसदा, ग्राम–धरसिवां, ग्राम–टांडा एवं नवीन प्राथमिक शाला चरौदा, शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–चरौदा, शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम–तिवरइया, दाउ पोषणलाल उच्चत माध्यमिक शाला ग्राम–पारसतराई, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–चरौदा, ग्राम–तियरइया में किया जाएगा। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. की गणना 2 प्रतिशत की दर से कर कुल राशि 29,00,000/– का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। प्रस्ताव में तालाब के गहरीकरण का प्रस्ताव शामिल किया जाए।

7. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/12/2018 के परिपेक्ष्य में की गई कार्यवाही के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी प्राप्त नहीं की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. Environmental Compensation की गणना का आधार स्पष्ट किया जाए। इससे संबंधित अभिलेख प्रस्तुत किये जाए।

2. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation की राशि का उपयोग आस–पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, तालाब गहरीकरण, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

3. सी.ई.आर. राशि की गणना 2 प्रतिशत के दर से कर कुल राशि रूपये 29,00,000/– का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

4. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/12/2018 के परिपेक्ष्य में की गई कार्यवाही के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी प्राप्त किया जाए।

5. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 18/06/2021 एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 12/08/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(इ) समिति की 365वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. मेसर्स Challa Chlorides Pvt. Ltd., district- Solapur, Maharastra एवं मेसर्स Sree Kartikeya Kameshwari Industries. द्वारा एस.ई.आई.ए.ए./एस.ई.ए.सी., महाराष्ट्र को प्रस्तुत Remediation, Community and Rosource Augmentation Plan अनुसार गणना की गई है। जिसके अनुसार Environmental Compensation की गणना हेतु निर्माण के दौरान जल का उपयोग, उत्सर्जित होने वाले वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इकोलॉजिकल इन्वायरन्मेंट, सोसियो–इकोनॉमिक इन्वायरन्मेंट का समावेश करते हुए रेमेडियल प्लान एवं क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) रुपये 28,25,000, प्राकृतिक संसाधन संवर्धन प्लान रुपये 23,10,000 एवं सामुदायिक संसाधन संवर्धन प्लान रुपये 4,35,000 (कुल–रूपये 51,68,000/–) की गणना कर प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि Environmental Compensation की गणना हेतु (1) कोल वॉशरी की स्थापना के उपरांत कभी भी उत्पादन कार्य किया गया, (2) संचालन प्रारंभ उपरांत कितनी अवधि के लिए कब–कब संचालित किया गया, (3) कोल वॉशरी के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मण्डल की गई है अथवा नहीं? आदि की जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से मंगाया जाना आवश्यक है, जिसके आधार पर Environmental Compensation की गणना की पुष्टि की जाकर Remediation, Community and Rosource Augmentation Plan पर उपयुक्त निर्णय लिया जा सके।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1450	2%	29	Following activities at 10 Nearby Government Schools and Deepening of Pond	
			Rain Water Harvesting System	8.23
			Potable Drinking Water Facility	5.15
			Running Water Facility for Toilets	5.00
			Plantation with Fencing	1.65
			Deepening of Pond	9.00
			Total	29.03

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) कार्य (1) नवीन शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–चरौदा, (2) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–चरौदा, (3) शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–चरौदा, (4) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–चरौदा, (5) डॉ. पोषणलाल उत्तर उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–पारसतराई, (6) शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम–तिवरइया, (7) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–कपसदा, (8) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–धरसीवां, (9) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–टांडा में किया जाएगा। (10) तालाब के गहरीकरण का प्रस्ताव अंतर्गत ग्राम–चरौदा, ग्राम–सिलतरा, ग्राम–परसरी एवं ग्राम–धरसीवां को शामिल किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन/परीक्षण किया गया, जिसमें प्रस्तावित कार्यों में अनुमानित खर्च अत्याधिक बताया गया है। अतः उक्त प्रस्ताव को समिति द्वारा अमान्य किया गया। समिति का मत है कि प्रस्तावित कार्यों में अतिरिक्त स्कूलों को शामिल करते हुये सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के माध्यम से निम्न जानकारी ली जाए:–
   i. क्या कोल वॉशरी की स्थापना के उपरांत कभी भी उत्पादन कार्य किया गया है?
   ii. कोल वॉशरी को कब–कब कितनी अवधि के लिए संचालित किया गया?
   iii. कोल वॉशरी का संचालन बन्द करने के लिए क्या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कोई निर्देश जारी किये गये हैं? साथ ही क्या कोल

वॉशरी के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल / विद्युत विभाग द्वारा की गई है?

iv. कोल वॉशरी वर्तमान में संचालित है अथवा नहीं? स्पष्ट किया जाए। साथ ही वर्तमान में विद्युत विच्छेदित है अथवा नहीं? बताया जाए।

2. उपरोक्त निर्णय अनुसार सी.ई.आर. के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों में अतिरिक्त स्कूलों को शामिल करते हुये इसकी उपयुक्त गणना कर विवरण सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज सहित एवं Environmental Compensation की उपयुक्त गणना उपरांत Remediation, Community and Rosource Augmentation Plan पर प्रस्तुतीकरण हेतु आगामी बैठक में ऑनलाईन उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 14/09/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(इ) समिति की 390वीं बैठक दिनांक 14/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक गुप्ता, प्रबंध संचालक विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 14/09/2021 के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित की गई है जिससे निम्न जानकारी प्राप्त हुई है:–

   i. उद्योग को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल मुख्यालय द्वारा पूर्व से स्थापित प्लांट परिसर में कोल वॉशरी–0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु स्थापना सम्मति दिनांक 02/06/2007 को जारी की गई थी। इस संदर्भ में उद्योग का निरक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 06/10/2009 को किया गया था, तत्समय उद्योग द्वारा कोल वॉशरी 200 टी.पी.एच का निर्माण कर उत्पादन कार्य आरंभ किया गया था।

   ii. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के ज्ञापन क्रमांक 2578 दिनांक 26/10/2010 के द्वारा उद्योग को निर्देशित किया गया कि आपके द्वारा 200 टी.पी.एच. क्षमता की कोल वॉशरी स्थापित की गई है। इस कोल वॉशरी के लिये अभी तक पर्यावरणीय स्वीकृति एवं संचालन सम्मति प्राप्त नहीं हुई है। नियमानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति एवं संचालन सम्मति प्राप्त किये बिना कोल वॉशरी संचालित नहीं की जा सकती है। निरीक्षण पर उद्योग की इस कोल वॉशरी इकाई में विद्युत समायोजन पाया गया है। अतः कोल वॉशरी के चलाये जाने की संभावनाओं को समाप्त करने के लिये कोल वॉशरी इकाई को विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को विच्छेदन कर सूचित करें।

   iii. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के ज्ञापन क्रमांक 2578 दिनांक 26/10/2010 के पालनार्थ कार्यालय मुख्य विद्युत निरिक्षक, छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक 491 दिनांक 24/12/2010 के अनुसार कोल वॉशरी प्लांट के लिए स्थापित मेन एल.टी. ब्रेकर को दिनांक 08/12/2010 को सील करने तथा

तत्समय विद्युत विभाग द्वारा स्थल पर बनाये गये पंचनामा की प्रति प्रस्तुत की गई है।

iv. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के द्वारा दिनांक 14/09/2021 को किये गये निरीक्षण के दौरान कोल वॉशरी बंद पाई गई तथा कोल वॉशरी के इलेक्ट्रिकल पैनल्स सील पाये गये।

उल्लेखनीय है कि उद्योग द्वारा अपने पत्र दिनांक 14/09/2021 के माध्यम से बताया गया कि कोल वॉशरी के स्थापना के उपरांत कभी भी उत्पादन कार्य नहीं किया गया है। कोल वॉशरी हेतु स्थापना सम्मति छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल मुख्यालय से पत्र कमांक 3236, दिनांक 02/06/2007 जारी किया गया था व उद्योग को क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र कमांक 2578, दिनांक 26/10/2010 के माध्यम से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था का विच्छेदन करने का निर्देश दिया गया था जिसके बाद उद्योग द्वारा स्वतः ही विद्युत आपूर्ति विच्छेदन कर दिया गया था। विद्युत विभाग द्वारा दिनांक 08/12/2010 को क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र कमांक 2579 दिनांक 26/10/2010 के निर्देशानुसार उद्योग में स्थापित कोल वॉशरी का निरीक्षण कर उद्योग बंद स्थित में पाया व संयुक्त रूप से हस्तांतरित सील किया। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण संरक्षण मंडल के निर्देशानुसार व विद्युत विभाग की कार्यवाही विद्युत विच्छेदन के बाद से अब तक कोल वॉशरी पूर्णतः बंद है व अब जर्जर अवस्था में है, पर्यावरणीय स्वीकृति व संचालन सम्मति मिलने तक कोल वॉशरी में कोई उत्पादन नहीं किया जाएगा।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अर्न्तगत प्रस्तावित कार्यों में अतिरिक्त स्कूलों को शामिल करते हुये निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1450	2%	29	Following activities at 14 Nearby Government Schools, 01 Govt. Hospital and Deepening of 04 villeage's Pond.	
			Rain Water Harvesting System	13.5
			Potable Drinking Water Facility	2.56
			Running Water Facility for Toilets	2.5
			Plantation with Fencing	1.65
			Deepening of Pond	9.00
			Total	29.31

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) कार्य (1) नवीन शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–चरौदा, (2) शासकीय प्राथमिक शाला केन्द्र ग्राम–चरौदा, (3) शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–चरौदा, (4) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–चरौदा, (5) दाऊ पोषणलाल उत्तर माध्यमिक शाला ग्राम–परसतराई, (6) शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम–तिवरइया, (7) शासकीय उच्चतर माध्यमीक शाला ग्राम–तिवरइया (8) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–कपसदा, (9) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–धरसीवां, (10) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–टांडा (11) शासकीय प्राथमिक शाला बरतनारा (12) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–कुर्रा (13) शासकीय प्राथमिक माध्यमिक शाला ग्राम–मुरेठी (14) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–धरसींवा भाठा (15) शासकीय स्वास्थ केन्द्र ग्राम–धरसींवा में किया जाएगा। (16) तालाब के गहरीकरण का प्रस्ताव अंतर्गत ग्राम–चरौदा, ग्राम–सिलतरा, ग्राम–परसतराई एवं ग्राम–धरसींवा को शामिल किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि उनके द्वारा Ecological Damage, Remedition Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan की गणना हेतु निर्माण के दौरान जल का उपयोग, उत्सर्जित होने वाले वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इकोलॉजिकल इन्वायरन्मेंट, सोसियो–इकोनॉमिक इन्वायरन्मेंट का समावेश करते हुए रेमेडियल प्लान एवं क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) रुपये 28,25,000, प्राकृतिक संसाधन संवर्धन प्लान रुपये 27,90,000 एवं सामुदायिक संसाधन संवर्धन प्लान रुपये 6,60,000 (कुल–रूपये 62,75,000/–) की गणना कर प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्लान के तहत् परियोजना स्थल से 10 कि.मी. की परिधि में आने वाले स्कूल, अस्पताल, ग्राम पंचायत भवन, आंगन बाड़ी में सोलर पावर की व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था, पहुंच मार्गों में वृक्षारोपण, जागरूकता कार्यक्रम, हेल्थ चेकअप आदि किए जाने हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है।

4. समिति द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली के पत्र क्रमांक B-12015/63/2019-AS/469 dated April 10, 2019 के "Record notes of discussion in the 6^{3rd} conference of Chairman and Member Secretaries of Pollution Control Boards / Committees held on March 18, 2018" के अनुसार Environmental Compensation हेतु निर्धारित फार्मुला EC=PIxNxRxSxLF (EC - Environmental compensation in Rs, PI - Pollution Index of Industrial Sector, N - Number of days of voilation took place, R - a Factor in Rs. For EC, S - Factor for scale of operation LF - Location Factor) अथवा न्यूनतम 5,000 रूपये प्रति दिन का अवलोकन किया गया। उक्त के परिपेक्ष्य में समिति द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु 5,000 रूपये प्रति दिन के आधार पर स्थापना सम्मति दिनांक 02/06/2007 एवं एल.टी. ब्रेकर सील दिनांक 08/12/2010 के मध्य की अवधि को संज्ञान में लेते हुये कुल उल्लंघन दिवस 1,254 मान्य किया गया। जिसके अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 62,70,000/– रूपये (5000 X 1254) होगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा Ecological Damage, Remedition Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan हेतु राशि 62,75,000/– रुपये की गणना कर प्रस्तुत की गई है। उक्त के संदर्भ में समिति सर्वमत रही कि सी.एस.आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ के माध्यम से सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में ईको पार्क निर्माण हेतु राशि 62,75,000/– रुपये का व्यय किया जाए। इस आशय हेतु उक्त राशि की बैंक गारंटी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में प्रस्तुत किया जाए। साथ ही

सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में ईको पार्क निर्माण, परिवेशीय वायु गुणवत्ता सुधार हेतु वाटर फाऊटेन, सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण कर सौंदर्यीकरण एवं फ्युजिटिव डस्ट नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलर निर्माण हेतु राशि 62,75,000/– रुपये का विस्तृत प्रस्ताव सी.एस.आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ से प्राप्त कर 02 माह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. मेसर्स एस.के.एस. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड की ग्राम–सिलतरा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 16/1, 29/1, 29/2 एवं 28/1, में स्थित कोल वॉशरी क्षमता–0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु सी.एस.आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ वन विकास निगम से सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में ईको पार्क निर्माण हेतु राशि 62,75,000/– रुपये का विस्तृत प्रस्ताव 02 माह में प्रस्तुत करने एवं पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि 62,75,000/– रुपये की बैंक गारंटी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में जमा करने की पुष्टि उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि 62,75,000/– रुपये की बैंक गारंटी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में जमा किये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए। उक्त बैंक गारंटी की क्लेम वैद्यता कार्य पूर्ण होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि तक होगी। बैंक गारंटी प्राप्त होने की पुष्टि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से होने के पश्चात् पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने बाबत् विचार हेतु प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

36. मेसर्स पथराकुण्डी लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री अवधेश जैन), ग्राम–पथराकुण्डी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 580)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी / एमआईएन/ 63990/2017, दिनांक 15/04/2017 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन/63696/2018, दिनांक 05/06/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–पथराकुण्डी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 314/2 एवं 315/2, कुल क्षेत्रफल–7.044 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–94,500 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/12/2018 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 378वीं बैठक दिनांक 18/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल पत्र दिनांक 18/06/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 11/06/2021 के परिपेक्ष्य की वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 20/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 360वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अवधेश जैन, प्रोपराईटर सलाहकार के रूप में मेसर्स ओवरशीस माईन–टेक कन्सलटेन्टस की ओर से डॉ. अंजली हरीभाउ चाचाने विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 314/2 एवं 315/2, कुल क्षेत्रफल– 7.044 हेक्टेयर, क्षमता–5,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 27/10/2009 को जारी की गई। यह स्वीकृति 5 वर्ष (For Commissioning of mine operation) तक की अवधि हेतु जारी की गई है।

   ii. क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर के ज्ञापन दिनांक 05/03/2018 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2008–09	2,223.75

2009–10	2,223.75
2010–11	3,890.62
2011–12	3,890.62
2012–13	5,555.62
2013–14	निरंक
2014–15	
2015–16	
2016–17	37,800
2017–18	37,800

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। उक्त के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज) जिला–रायपुर के पत्र क्रमांक 3010/तीन–6/ख.प. 11/07 रायपुर दिनांक 03/11/2011 एवं पत्र क्रमांक 1398/तीन–6/ख.प. 11/07 रायपुर दिनांक 20/09/2012 प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार ग्राम पंचायत के मवेशी की संख्या के अनुरूप आवश्यक चराई रकबा 40 हेक्टेयर भूमि सुरक्षित होना बताया गया है। ग्राम में शासकीय वन से भी चराई का निस्तार मिलता है तथा इस प्रकार ग्राम में चराई रकबा 115.984 हेक्टेयर है। समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि पूर्व में खनिज विभाग द्वारा ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये बिना लीज आबंटित की गई है तथा राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति भी जारी की गई है।

3. **उत्खनन योजना** – रीव्यु ऑफ माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान (Review of Mining Plan and Progressive Mine Closure Plan) प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के पत्र क्रमांक रायपुर/चूप/खयो/1143/2017–रायपुर/177, दिनांक 27/04/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क/खनिज/2018/क्यू रायपुर, दिनांक 01/10/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **लीज का विवरण** – लीज श्री अवधेश जैन के नाम पर है। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 02/05/2008 से 01/05/2028 तक की अवधि हेतु वैध है।

6. **भू–स्वामित्व** – भू–स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मंडलाधिकारी, रायपुर सामान्य वनमंडल, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./रा./635 रायपुर, दिनांक 27/06/2006 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से 1 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पथराकुण्डी 0.45 कि.मी. एवं अस्पताल खरोरा 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.77 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11.47 कि.मी. दूर है। छोटा नाला 0.2 कि.मी. एवं कलडबरी संरक्षित वन 1 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 49,16,420 टन एवं माईनेबल रिजर्व 14,72,793 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का कुल क्षेत्रफल 10,095 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 9,000 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 5 मीटर एवं चौड़ाई 10 मीटर है। खदान की संभावित आयु 15 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
2018–19	94,500
2019–20	94,500
2020–21	94,500
2021–22	94,500
2022–23	94,500

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ट्यूब वेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पेयजल की आपूर्ति ट्यूब वेल के माध्यम से की जाएगी। इस संबंध में उनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रस्तावित ट्यूब वेल सार्वजनिक है अथवा निजी?

    i. यदि स्थित ट्यूब वेल लीज क्षेत्र के भीतर अथवा अन्य स्थल पर व्यक्तिगत हो तो भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

    ii. यदि ट्यूब वेल सार्वजनिक हो तो जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 5,048 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य मार्च, 2019 से मई, 2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 6 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 1 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 21.36 से 32.16 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 50.26 से 66.72 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 8.14 से 11.82 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_2$ 8.56 से 15.62 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 46.8 डीबीए से 64.2 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 40.8 डीबीए से 59.8 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 18/11/2020 दोपहर 12:00 बजे स्थान – पंचायत भवन, ग्राम पंचायत भरूवाडीह कला, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 08/01/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. पर्यावरण की सुरक्षा हेतु व्यवस्था एवं सड़क निर्माण किया जाए।

ii. मजदूरों की स्वास्थ्य की जाँच की व्यवस्था की जाए।

iii. खदान के डस्ट उत्सर्जन से फसलों को नुकसान होगा।

iv. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार (उचित मजदूरी दर पर) दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. खदान के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। कंट्रोल ब्लास्टिंग एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी।

ii. मजदूरों के समय–समय पर स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा।

iii. खदान में डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाएगा।

iv. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार (शासन द्वारा निर्धारित दर पर मजदूरी प्रदान की जाएगी) हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

19. **इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान**– परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में कोई खदानें नहीं आती है। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदित खदान द्वारा इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए जल छिड़काव हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

II. गांव के पहुँच मार्ग के दोनों तरफ में (5,048 नग) वृक्षारोपण एवं वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 7,57,000/– प्रथम वर्ष में तथा आगामी चार वर्षों में अनुमानित राशि 5,07,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु अर्धवार्षिक मॉनिटरिंग कार्य (Half yearly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

IV. सड़को के संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 97,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यो क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

20. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
88.11	2%	1.76	Following activities at Government Primary and Middle Schools, **Village-Pathrakundi**	
			Rain Water Harvesting System in Government Primary School **Village-Pathrakundi**	0.855
			Rain Water Harvesting System in Government Middle School **Village-Pathrakundi**	0.915
			Total	**1.770**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भू–स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
2. उपरोक्त विवरण को स्पष्ट करते हुये पेयजल आपूर्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. विगत वर्षो में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/09/2021 एवं 14/09/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 389वीं बैठक दिनांक 13/09/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. आवेदित भूमि शासकीय भूमि है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पेयजल की आपूर्ति लीज क्षेत्र के भीतर स्थित ट्यूब वेल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 744/ख. लि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 08/09/2021 द्वारा विगत वर्ष 2017 से जून, 2021 तक उत्खनन कार्य निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 744/ख. लि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 08/09/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क/खनिज/2018/क्यू रायपुर, दिनांक 01/10/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–पथराकुण्डी) का रकबा 7.044 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।
2. पूर्व में खनिज विभाग द्वारा ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये बिना लीज आबंटित की गई थी तथा राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण

प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति भी जारी की गई थी। साथ ही रीव्हयु ऑफ माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान (Review of Mining Plan and Progressive Mine Closure Plan) क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के पत्र क्रमांक रायपुर/चूप/खयो/1143/2017–रायपुर/177, दिनांक 27/04/2018 द्वारा अनुमोदित है। वर्तमान में लीज क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं होते हुए यथावत है, केवल उत्खनन क्षमता में वृद्धि हो रही है। ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में निम्न प्रावधान है:–

"Clearances from other regulatory bodies or authorities shall not be required prior to receipt of applications for prior environmental clearance of projects or activities, or screening, or scoping, or appraisal, or decision by the regulatory authority concerned, unless any of these is sequentially dependent on such clearance either due to a requirement of law, or for necessary technical reasons.

3. उपरोक्त तथ्यों पर समिति द्वारा सम्यक रूप से विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स पथराकुण्डी लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री अवधेश जैन) की ग्राम–पथराकुण्डी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 314/2 एवं 315/2 में स्थित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–7.044 हेक्टेयर, क्षमता – 94,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

4. खनिज विभाग द्वारा पूर्व में लीज दिये जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में खनिज विभाग द्वारा उपयुक्त कार्यवाही एवं निर्णय लेने के उपरांत भू–प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता के संबंध में पेसा एक्ट (PESA Act) के तहत् परीक्षण कर, उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

37. मेसर्स गौरभाट सेण्ड क्वारी (प्रो.– श्री आशीष मयंक पाण्डेय), ग्राम–गौरभाट, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1749)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 221794/ 2021, दिनांक 27/07/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता के विस्तारीकरण का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–गौरभाट, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 1869, कुल क्षेत्रफल–4.9 हेक्टेयर में है। उत्खनन महानदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,04,285 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 25/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 386वीं बैठक दिनांक 01/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आशीष मयंक पाण्डेय, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत गौरभाट के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 1869, कुल क्षेत्रफल – 4.9 हेक्टेयर, क्षमता – 80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर द्वारा दिनांक 14/05/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के हस्तांतरण की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
   iii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
   iv. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
   v. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गौरभाट का दिनांक 05/10/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक खनि 02/रेत/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क.17/2021 नवा रायपुर, दिनांक 21/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/खनिज/2021 रायपुर, दिनांक 23/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/खनिज/2021 रायपुर, दिनांक 23/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **लीज का विवरण** – लीज श्री आशीष मयंक पाण्डेय के नाम पर है। लीज डीड 2 वर्षों अर्थात् दिनांक 23/10/2019 से 22/10/2021 तक की अवधि हेतु वैध है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जिला–रायपुर से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–गौरभाट 3 कि.मी., स्कूल ग्राम–गौरभाट 3 कि.मी. एवं अस्पताल मंदिर हसौद 30 कि.मी. में स्थित है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट/पुल स्थित नहीं है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 840 मीटर, न्यूनतम 774 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 158 मीटर, न्यूनतम 157 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 322 मीटर, न्यूनतम 302 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के पश्चिमी किनारे से दूरी अधिकतम 48 मीटर, न्यूनतम 35 मीटर एवं पूर्वी किनारे से दूरी अधिकतम 452 मीटर, न्यूनतम 415 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3.5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,04,285 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.5 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 16/05/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village-Gaurbhat**	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Plantation with Fencing	0.20
			Total	**0.80**

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 840 मीटर, न्यूनतम 774 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के पश्चिमी किनारे से दूरी अधिकतम 48 मीटर, न्यूनतम 35 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 7,286 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 4.17 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि रेत की गहराई हेतु उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ्ढे (Pits) किये गये है, जिसमें रेत की औसतन मोटाई 3.5 मीटर है। रेत खदान हेतु जारी दिशा निर्देशानुसार वॉटर लेवल्स से 2 मीटर छोड़ा जाना है। अतः 1.5 मीटर की गहराई तक वार्षिक अधिकतम रेत उत्खनन 73,500 घनमीटर किया जाएगा। उनके द्वारा रेत उत्खनन अधिकतम 73,500 घनमीटर प्रतिवर्ष के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के हस्तांतरण की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत की जाए।
5. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 386वीं बैठक दिनांक 01/09/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 14/09/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 390वीं बैठक दिनांक 14/09/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/10/2019 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत गौरभाट को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री आशीष मयंक पाण्डेय के नाम पर हस्तांतरण किया गया है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 08/09/2021 द्वारा विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की गई है, जो निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018–19	3,000
2019–20	36,000
2020–21	48,000

4. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/व.त.अ./रा/2421 रायपुर, दिनांक 14/09/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार आवेदित स्थल वन भूमि आरक्षित वन / संरक्षित वन अथवा नारंगी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है।
5. परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति क्षमता 80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु हस्तांतरण किया गया था। इस आधार पर वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन क्षमता – 1,04,285 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत की उपलब्धता, पूर्व वर्षों में किये गये उत्खनन एवं बाजार की मांग के आधार पर उत्खनन क्षमता – 73,500 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने का अनुरोध किया गया है।
6. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–गौरभाट) का रकबा 4.9 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,500 नग पौधे – 750 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 750 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –

   i. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स गौरभाट सेण्ड क्वारी (प्रो.– श्री आशीष मयंक पाण्डेय), खसरा क्रमांक 1869, ग्राम–गौरभाट, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 7,286 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने 4.17 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 62,500 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से

समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स गौरभाट सेण्ड क्वारी (प्रो.– श्री आशीष मयंक पाण्डेय), खसरा क्रमांक 1869, ग्राम–गौरभाट, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 7,286 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने 4.17 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 62,500 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

38. मेसर्स नरदहा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री इन्दर कुमार अठवानी), ग्राम–नरदहा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1330)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 54052/2020, दिनांक 23/06/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन/54052/2020, दिनांक 23/08/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नरदहा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1945, कुल क्षेत्रफल–0.963 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–43,350 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/02/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई. एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 03/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 388वीं बैठक दिनांक 07/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गुरुमुख चंदनानी, अधिकृत प्रतिनिधि एवं सलाहकार के रूप में मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर्स एण्ड कन्सलटेन्ट की ओर से श्री जगमोहन कुमार चंद्रा विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नरदहा का दिनांक 21/08/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 2387/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क.04/2019 नवा रायपुर, दिनांक 06/06/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क/ख.लि./तीन–6/2020 रायपुर, दिनांक 03/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 62 खदानें, क्षेत्रफल 77.832 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 10/03/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि शासकीय भूमि है। लीज श्री इन्दर कुमार अडवानी के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षो अर्थात् दिनांक 13/08/2010 से 12/08/2015 तक की अवधि हेतु थी। न्यायालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर के अपील प्रकरण क्रमांक 16/2020 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 21/06/2015 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "**राज्य शासन द्वारा दिनांक 04/01/2013 को छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(3) में किये गये संशोधन के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार परिक्षण एवं पर्यावरण सम्मति प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी को अधिकतम अवधि तक नवीनीकरण स्वीकृत कर प्रकरण का निराकरण करें**" का उल्लेख है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./रा/2682 रायपुर, दिनांक 13/08/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नरदहा 1.5 कि.मी., स्कूल नरदहा 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल नरदहा 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.9 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 4,81,500 टन, माईनेबल रिजर्व 2,02,528 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,82,275 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.287 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया

जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 6,760 घनमीटर में से 4,305 घनमीटर मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण एवं शेष 2,455 घनमीटर मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि पर भंडारित किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नही है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नही किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2020–21	40,500
2021–22	40,462
2022–23	43,350
2023–24	40,069
2024–25	41,782

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 800 नग पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः–**

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर, 2020 से दिसम्बर, 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 10 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

    ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 21.08 से 43.55 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 41.19 से 64.13 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.06 से 16.23 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_2$ 9.22 से 16.24 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

    iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 39.5 डीबीए से 61.3 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 30.5 डीबीए से 46.1 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

v. भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 49 पी.सी.यू. प्रतिघंटा है। प्रस्तावित परियोजना से 64 पी.सी.यू. प्रतिघंटा होगी। खदान प्रारंभ के उपरांत भी चूना पत्थर के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक के भीतर है।

16. लोक सुनवाई दिनांक 14/07/2021 प्रातः 12:00 बजे स्थान – पंचायत भवन, ग्राम पंचायत नरदहा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 18/08/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

17. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. पर्यावरणीय दृष्टिकोण से खदान में सुरक्षा व्यवस्था एवं वृक्षारोपण का कार्य होना चाहिए तथा खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाना चाहिए।

ii. गांव के स्कूलों में रनिंग वॉटर की व्यवस्था एवं समय समय पर स्वास्थ्य शिविर संचालित किया जाए।

iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. प्रथम वर्ष में ही खदान के चारों तरफ कटीले तारों से फेंसिंग कार्य किया जाएगा एवं खदान के चारों तरफ वृक्षारोपण का कार्य तथा खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

ii. सी.ई.आर. के तहत् स्कूलों में शौचालय हेतु जल व्यवस्था की जाएगी तथा प्रतिवर्ष 1 स्वास्थ्य शिविर की व्यवस्था की जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

18. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में कुल 62 खदानें आती है। वर्तमान में 2 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया है। शेष 60 खदानों को पूर्व से ही पर्यावणीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उनके द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु रूचि नहीं ली जा रही है। अतः क्लस्टर में शामिल पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदित 2 खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड एवं खदानों के चारों तरफ से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, 9.5 कि.मी. तक पहुँच मार्गो हेतु अनुमानित राशि 9,60,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

II. 4 कि.मी. तक पहुँच मार्ग के दोनों तरफ कम से कम दो कतार में (8,000 नग) वृक्षारोपण एवं 5.5 कि.मी. तक पहुँच मार्ग के एक तरफ में (5,500 नग) वृक्षारोपण अनुमानित राशि 41,70,580/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। आगामी तीन वर्षो के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 17,31,500/– प्रतिवर्ष एवं पंचम वर्ष के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 16,64,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quaterly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 2,10,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

IV. सड़कों/ पहुँच मार्ग (9.5 कि.मी. तक) का संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 20,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

V. अन्य कार्यों (Other Miscellaneous) हेतु अनुमानित राशि 5,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

VI. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यो हेतु प्रथम पांच वर्षो में कुल राशि 2,93,79,080/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

- प्रथम वर्ष में राशि 78,40,580/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintanance), अन्य कार्यो (Other Miscellaneous) हेतु आगामी तीन वर्षो में राशि 54,01,500/– प्रतिवर्ष एवं पंचम वर्ष हेतु अनुमानित राशि 53,34,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VII. पंचम वर्ष के बाद आगामी वर्षों में डस्ट सप्रेशन, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग एवं सड़कों/पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintanance) हेतु राशि 31,70,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

19. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड एवं खदानों के चारों तरफ से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, 0.5 कि. मी. तक पहुँच मार्गो हेतु अनुमानित राशि 1,92,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

II. 0.5 कि.मी. तक पहुँच मार्ग के दोनों तरफ कम से कम दो कतार में वृक्षारोपण एवं 1 कि.मी. तक पहुँच मार्ग के एक तरफ में (1,000 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 9,13,420/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। आगामी तीन वर्षो के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित

राशि 2,97,000/– प्रतिवर्ष एवं पंचम वर्ष के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 2,92,000/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quaterly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 56,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

IV. सड़कों/ पहुँच मार्ग (0.5 कि.मी. तक) का संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 1,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

V. अन्य कार्यों (Other Miscellaneous) हेतु अनुमानित राशि 50,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

VI. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यों हेतु प्रथम पांच वर्षों में कुल राशि 40,86,420/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

- प्रथम वर्ष में राशि 13,11,420/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), अन्य कार्यों (Other Miscellaneous) हेतु आगामी तीन वर्षों के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 6,95,000/– प्रतिवर्ष एवं पंचम वर्ष के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 6,90,000/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

VII. पंचम वर्ष के बाद आगामी वर्षों में डस्ट सप्रेशन, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग एवं सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance) हेतु राशि 3,48,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

20. प्रस्तुत कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यों के क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त नहीं की गई। चूंकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान एवं व्यक्तिगत इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के वृक्षारोपण कार्य के व्यय की गणना त्रुटिपूर्ण है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण के लिए वन विभाग द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर पुनः गणना कर कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान एवं व्यक्तिगत इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

21. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
70	2%	1.40	Following activities at Late Man Vishram Tandon Government Boys Middle School,	

			Village-Nardaha	
			Rain Water Harvesting System	0.46
			Potable Drinking Water Facility with 5 years AMC	0.25
			Total	**0.71**
			Following activities at Government Girls High School, **Village-Nardaha**	
			Rain Water Harvesting System	0.80
			Potable Drinking Water Facility with 5 years AMC	0.25
			Plantation with Fencing	0.20
			Total	**1.25**
			Grand Total	**1.96**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि वृक्षारोपण के लिए वन विभाग द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर पुनः गणना कर कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान एवं व्यक्तिगत इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 388वीं बैठक दिनांक 07/09/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 14/09/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 390वीं बैठक दिनांक 14/09/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में कुल 62 खदानें आती है। वर्तमान में 2 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया है। शेष 60 खदानों को पूर्व से ही पर्यावणीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उनके द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु रूचि नहीं ली जा रहीं है। अतः क्लस्टर में शामिल पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदित 2 खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

   I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड एवं खदानों के चारों तरफ से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, 7.5 कि.मी. तक पहुँच मार्गो हेतु अनुमानित राशि 9,60,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

II. 7.5 कि.मी. तक पहुँच मार्ग के दोनों तरफ कम से कम दो कतार में (1,000 नग) वृक्षारोपण अनुमानित राशि 41,17,385/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। आगामी तीन वर्षो के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 19,52,385/– प्रतिवर्ष एवं पंचम वर्ष के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 11,68,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quaterly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 2,80,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

IV. सड़कों/ पहुँच मार्ग (7.5 कि.मी. तक) का संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 20,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

V. अन्य कार्यों (Other Miscellaneous) हेतु अनुमानित राशि 5,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

VI. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यो हेतु प्रथम पांच वर्षो में कुल राशि 2,98,42,540/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

- प्रथम वर्ष में राशि 78,57,385/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintanance), अन्य कार्यो (Other Miscellaneous) हेतु आगामी तीन वर्षो में राशि 56,92,385/– प्रतिवर्ष एवं पंचम वर्ष हेतु अनुमानित राशि 59,08,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VII. पंचम वर्ष के बाद आगामी वर्षों में डस्ट सप्रेशन, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग एवं सड़कों/पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintanance) हेतु राशि 32,40,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VIII. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यो क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

2. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक एवं मेसर्स श्रीचंद प्रितवानी की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड एवं खदानों के चारों तरफ से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, 1 कि.मी. तक पहुँच मार्गो हेतु अनुमानित राशि 1,92,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

II. 1 कि.मी. तक पहुँच मार्ग के दोनों तरफ कम से कम दो कतार में वृक्षारोपण (1,000 नग) हेतु अनुमानित राशि 7,63,868/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। आगामी तीन वर्षो के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 3,36,255/– प्रतिवर्ष एवं पंचम वर्ष के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 2,19,200/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quaterly Environment Monitoring) किया जाएगा।

इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 56,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

IV. सड़कों/ पहुँच मार्ग (1 कि.मी. तक) का संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 2,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

V. अन्य कार्यों (Other Miscellaneous) हेतु अनुमानित राशि 1,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

VI. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यो हेतु प्रथम पांच वर्षो में कुल राशि 47,31,833/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

- प्रथम वर्ष में राशि 13,11,868/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), अन्य कार्यों (Other Miscellaneous) हेतु आगामी तीन वर्षो के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 8,84,255/– प्रतिवर्ष एवं पंचम वर्ष के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 7,67,200/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

VII. पंचम वर्ष के बाद आगामी वर्षों में डस्ट सप्रेशन, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग एवं सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance) हेतु राशि 4,48,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

3. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यो क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by

SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in Process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क/ख.लि. /तीन–6/2020 रायपुर, दिनांक 03/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 62 खदानें, क्षेत्रफल 77.832 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–नरदहा) का रकबा 0.963 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–नरदहा) को मिलाकर कुल रकबा 78.795 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स नरदहा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री इन्दर कुमार अठवानी) की ग्राम–नरदहा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1945 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.963 हेक्टेयर, क्षमता – 43,350 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स नरदहा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री इन्दर कुमार अठवानी) की ग्राम–नरदहा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1945 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.963 हेक्टेयर, क्षमता – 43,350 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि क्लस्टर में शामिल कुछ खदानों को पूर्व से ही पर्यावणीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उनके द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु रूचि नहीं ली जा रहीं है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि क्लस्टर में आने वाले अन्य खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष खदानों को भी शामिल करते हुये क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल

नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से 03 माह के भीतर उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया जाए एवं कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान अनुसार शेष खदानों द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने पर पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही करने के संबंध में भी अवगत कराया जाए।

संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को उपरोक्तानुसार सूचना एवं परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(सुब्रत साहू) 28/9/21
सदस्य सचिव,
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(भोगी लाल सरन) 28/9/21
अध्यक्ष,
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

28/9/2021
(डॉ. समीर बाजपेयी)
सदस्य
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़